

षोडश माला, खंड 12, अंक 12

गुरुवार, 6 अगस्त, 2015

15 श्रावण, 1937 (शक)

**लोक सभा वाद-विवाद  
(हिन्दी संस्करण)**

**पांचवां सत्र  
(सोलहवीं लोक सभा)**



(खंड 12 में 11 से 17 तक हैं)

**लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली**

**© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

---

**अस्वीकरण**

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

## विषय-सूची

**षोडश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)**

**अंक 12, गुरुवार, 6 अगस्त, 2015 / 15 श्रावण, 1937 (शक)**

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
<b>अध्यक्ष द्वारा उल्लेख</b>	
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 70वीं बरसी	13
<b>प्रश्नों के मौखिक उत्तर</b>	
*तारांकित प्रश्न संख्या 243 से 247	15-40
<b>□ प्रश्नों के लिखित उत्तर</b>	
तारांकित प्रश्न संख्या 248, 249, 251, 252, 254 और 256-262	41
अतारांकित प्रश्न संख्या 2761, 2763-2765, 2767-2769, 2771-2800, 2802- 2810, 2813-2878, 2880, 2882-2944, 2946-2948, 2950-2981 और 2983-2990	

---

\* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था

□ नियम 374 क के अंतर्गत सदस्यों के निलंबन के कारण तारांकित प्रश्न सं. 250, 253, 255, और अतारांकित प्रश्न सं. 2762, 2766, 2770, 2801, 2811, 2812, 2879, 2881, 2945, 2949, और 2982 का लोप किया गया और जैसा कि 6 अगस्त, 2015 के समाचार भाग-1 में दर्शाया गया है।

**सभा पटल पर रखे गए पत्र**

42-57

**मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(एक) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह

58

(दो) 5 अगस्त, 2015 को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुए आतंकी हमले के बारे में वक्तव्य

श्री राजनाथ सिंह

59-60

(तीन) आई.पी.एल के भूतपूर्व चीफ को यात्रा दस्तावेज निर्गत किए जाने हेतु ब्रिटिश सरकार को अनुरोध किए जाने के मुद्दे पर अपनी कथित भूमिका के बारे में

श्रीमती सुषमा स्वराज

61-66

**सदस्यों द्वारा निवेदन**

5 अगस्त, 2015 को अध्यक्ष के सरकारी आवास के सामने युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के बारे में

67-93

**नियम 377 के अधीन मामले****94-114**

(एक) झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दी गई निविदा में पाई गई अनियमितताओं के बारे में

श्री सुनील कुमार सिंह

94-95

(दो) महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान अर्धरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे

96

(तीन) उत्तर प्रदेश के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांवों के विद्युतीकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति वर्धन सिंह

97

(चार) उत्तर प्रदेश में आनंदनगर-महाराजगंज-घुघुली रेल लाइन के निर्माण हेतु प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता

श्री पंकज चौधरी

98

(पांच) बरौनी तेल शोधक कारखाने में औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह

99

(छह) उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पैकेज और ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'

100

(सात) दिल्ली में दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन को आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री महेश गिरी

101

(आठ) मध्य प्रदेश के दतिया जिले में प्रस्तावित 342 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. भागीरथ प्रसाद

102

(नौ) सिंचाई हेतु अधिक निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया

103

(दस) महाराष्ट्र में कल्याण-टिटवाला-मुरबाड हेतु नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील

104

(ग्यारह) राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के चक राजासर, नोहर तहसील में एक परिवार की हत्या की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां

105

(बारह) पावर स्टेशन हेतु कोयले के परिवहन हेतु रेलवे द्वारा ढुलाई का युक्तिकरण किये जाने की आवश्यकता

	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	106
(तेरह)	तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त हज कोटा जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती के. मरगथम	107
(चौदह)	वन और अन्य वन्यजीव देखभाल सेवाओं हेतु प्रतिपूर्ति वानिकीकरण निधि स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री के. अशोक कुमार	108
(पंद्रह)	दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री रवीन्द्र कुमार जेना	109
(सोलह)	गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की समस्याओं को दूर करने हेतु चीनी नीति में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजू शेटी	110-112
(सत्रह)	राजस्थान के कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का परिसर स्थापित करने हेतु अवसंरचना विकास में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री ओम बिरला	112
(अठारह)	भारत-नेपाल पंचेश्वर एवं सप्तकोशी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता	

**परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प,  
2015**

**और**

**परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015**

विचार करने के लिए प्रस्ताव

143-144

श्री जयंत सिन्हा

श्री प्रहलाद सिंह पटेल

120

श्री बी. सेनगुट्टुवन

122-126

श्री तथागत सत्पथी

127-129

श्री आनंदराव अडसुल

130-131

श्री जयदेव गल्ला

132-134

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़

135-137

श्रीमती रमा देवी

138

श्री वी० वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

139-140

श्री अरुण जेटली

141-142

खंड 2 से 5 और 1 147-148

पारित करने के लिए प्रस्ताव

### निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 149-150

श्री गणेश सिंह 151-153

एडवोकेट एम. उदयकुमार 154-158

श्री तथागत सत्पथी 159-162

डॉ. सत्यपाल सिंह 163-165

श्री बी. विनोद कुमार 166

खंड 2 से 4 और 1 169-170

पारित करने के लिए प्रस्ताव

### नियम 193 के अधीन चर्चा

सतत विकास लक्ष्य **171-198**

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 171-177

डॉ. कुलमणि सामल 178-180

श्री एस. आर. विजया कुमार	181-186
श्री जयदेव गल्ला	187-190
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	196-198

**लोक सभा के पदाधिकारी**

**अध्यक्ष**

श्रीमती सुमित्रा महाजन

**उपाध्यक्ष**

डॉ. एम. तंबिदुरै

**सभापति तालिका**

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंद राव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना (नाग) डे

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

**महासचिव**

श्री अनूप मिश्र

## लोक सभा वाद-विवाद

---

---

लोक सभा

-----

गुरुवार, 6 अगस्त, 2015 / 15 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

## अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 70वीं बरसी

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, इस वर्ष हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त, 1945, को परमाणु बम गिराए जाने की 70<sup>वीं</sup> वर्षगांठ है। इस बम बारी से अकल्पनीय विनाश हुआ था। इस त्रासदी में हजारों निर्दोष व्यक्तियों की मौत हुई, लाखों लोग घायल हुए और जीवन भर के लिए अपंग हुए। लगभग सात दशक व्यतीत होने के बाद भी, इन शहरों के निवासी विकिरण के खतरनाक दुष्प्रभावों से प्रभावित हो रहे हैं।

भारत हमेशा अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर चला है और उसने विश्व शांति और स्थिरता में योगदान दिया है। दशकों तक, भारतीयों ने शांति के लिए जैसे 'अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति' इत्यादि के लिये प्रार्थना की है।

इस अवसर पर, आइए हम पूरे विश्व में शांति और समृद्धि का प्रसार सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को फिर से दोहराएँ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

---

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपने कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन, मैं आपको प्रश्न काल के बाद अनुमति दूंगी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सोमैया जी, आपका नोटिस मेरे पास है। इसलिए, मैं देखूंगी कि क्या करना है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं आपको प्रश्न काल के बाद अनुमति दूंगी; यह तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अब प्रश्नकाल; प्रश्न संख्या 243; रविंदर कुशवाहा जी

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपने कोई नोटिस नहीं दिया। मुझे कोई नोटिस दें। मुझे खेद है। आपको मुझे लिखित में कुछ नोटिस देना चाहिए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप ऐसा नहीं कर सकते; मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं विचार करूंगी लेकिन मुझे कुछ नोटिस दें। नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ।

... (व्यवधान)

**पूर्वाह्न 11.05 बजे**

(इस समय श्री पी. करुणाकरन, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्रीमती सुप्रिया सुले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

... (व्यवधान)

**पूर्वाह्न 11.05 ½ बजे****प्रश्नों के मौखिक उत्तर\***

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न सं. 243 - श्री रविन्दर कुशवाहा जी।

**(प्रश्न संख्या 243)**

[हिन्दी]

**श्री रविन्दर कुशवाहा :** माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत को सशक्त बनाने के लिए गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण पर सबसे अधिक जोर डाला था क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए पंचायतें ही प्राथमिक इकाई हैं। ...(व्यवधान ) इसी प्रकार, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योजनाएँ बनाने के लिए गांवों की भागीदारी होनी चाहिए। ...(व्यवधान ) उन्होंने "अपना गांव, अपना विकास" का नारा देते हुए कहा कि यदि देश के गांव समृद्ध हो जाएं, तो देश खुशहाल हो जाएगा।  
...(व्यवधान)

**पूर्वाह्न 11.06 बजे**

*इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव और श्री जय प्रकाश नारायण यादव आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो*

*गए।)*

*... (व्यवधान)*

---

\* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>  
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[हिन्दी]

**श्री रविन्दर कुशवाहा:** इसीलिए गांव के लोग आपस में बैठकर योजनाएँ बनाएं ...(व्यवधान ) ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के पीछे भी सरकार की मंशा यही थी ...(व्यवधान ) कि ये सचिवालय की तरह ही भूमिका निभाएंगे। ...(व्यवधान )

### पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री जय प्रकाश नारायण यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

...

(व्यवधान )

**श्री रविन्दर कुशवाहा:** इसमें पंचायत प्रतिनिधि तथा विकास के कार्यों से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी बैठकर ग्राम विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देंगे। देश के दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्षों पहले जिन पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया, उनमें अधिकांश या तो जर्जर हालत में हैं अथवा उन पर अवैध कब्जा हो गया है। कई पंचायत भवन आवारा पशुओं के विश्राम गृह बन गये हैं। इसका कारण यह है कि इन पंचायत भवनों के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब माननीय कल्याण सिंह की सरकार थी, तब सप्ताह में एक दिन निर्धारित था, जिसमें अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारी तथा दूसरे विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी जाते थे। जनता की समस्याओं का समाधान होता था, लेकिन उस सरकार के जाते ही यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी और पंचायत भवन लावारिस और निरर्थक हो गये। आज हालत यह है कि गांवों के लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण

पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा दूसरे जरूरी कागजातों के लिए विकास खण्डों एवं तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या पंचायत भवनों के रखरखाव तथा सप्ताह में एक दिन विकास संबंधी बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने की कोई कारगर व्यवस्था करेंगे?

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदया, यह सही है कि यदि गांव के स्तर पर हम पंचायत के माध्यम से जो काम ग्राम स्तर पर ही पूरे हो सकते हैं, उनको वहाँ किया जाए, तो ग्रामवासियों को दूर ब्लॉक के ऑफिस तक या जिले के ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारें अपने-अपने यहाँ की लोकल कंडीशन के मुताबिक पंचायत घरों का निर्माण कर सकती हैं।

केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीन ऐसे राज्य हैं, जहाँ सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बने हैं। दूसरे राज्यों में भी इसमें काफी प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी भी 51,914 पंचायत हैं, जिनमें से 18,000 ग्राम पंचायतें अभी भी बिना पंचायत भवन के हैं। यह राज्य का अपना एकाधिकार है, इसके लिए फंड्स भी वे अपने स्कीम्स से ही जुटाते हैं और जिन-जिन राज्यों ने इसमें ज्यादा तत्परता दिखायी है, वहाँ बड़े पंचायत घरों का निर्माण भी हुआ है ताकि वहाँ मीटिंग भी हो सके। उनका जो कार्यालय है, वह भी नियमित रूप से चल सके। ऐसे प्रावधान भी बहुत से राज्यों में किए गये हैं।

**श्री रविन्दर कुशवाहा:** केन्द्र सरकार से जिलों के विकास के लिए धनराशि भेजी जाती है, तो जिला स्तर पर सांसदों को डीआरडीए का अध्यक्ष बनाने की सरकार की कोई योजना है?

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** महोदया, जब डीआरडीए स्थापित किये गये थे, तो उनका मुख्य उद्देश्य ही यह था कि जो भारत सरकार से विभिन्न स्कीम्स जाती हैं या जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, उनका वहाँ ठीक तरह से क्रियान्वयन हो। इसलिए हर जिले में डीआरडीए के कार्यालय स्थापित किए गए थे। यह भी सही है कि उनका महत्व राज्य सरकारों में इतना नहीं रहा और राज्य सरकारें हमसे कहती हैं कि इनकी सैलरी भारत सरकार दे। देश भर में जितने भी डीआरडीए हैं, उनके रखरखाव के लिए और उनके कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए

भारत सरकार हर साल . 300 करोड़ रुपये देती है। हम इस पर गहन विचार कर रहे हैं कि हमारे जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, उनकी जिला स्तर पर हम ठीक से मॉनिटर कर सकें। हम ठीक तरह से यह देख सकें कि राज्य सरकार हमारी गाइडलाइन्स के मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं, इसलिए हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि हम इन डीआरडीएज को अपने साथ लेकर चलें और उस समय यह तय किया जाएगा कि उसका अध्यक्ष कौन हो और उसकी संरचना कैसी हो।

[अनुवाद]

**श्रीमती आर. वनरोजा:** माननीय अध्यक्ष महोदया, कई पंचायती राज परियोजनाएं धन की कमी के कारण प्रभावित हो रही हैं और कई परियोजनाओं को कम करना पड़ रहा है। यह सच है कि देश का वास्तविक विकास विभिन्न पहलुओं व पक्षों में पंचायतों के विकास से शुरू होता है। तमिलनाडु की राज्य सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री, डॉ. पुरात्वी थलाइवी अम्मा के गतिशील नेतृत्व में पंचायतों के विकास और पंचायतों में शक्तियों के हस्तांतरण के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस संबंध में कई योजनाएं और परियोजनाएं लागू की गई हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार पंचायतों के समग्र विकास के लिए किए गए अच्छे उपायों में तमिलनाडु सरकार की सहायता करने पर विचार कर रही है।

**श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह:** महोदया, वास्तव में यह प्रश्न पंचायत घर से संबंधित है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, अगले पांच वर्षों में देश की 2,40,000 पंचायतों को 2,00,292 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। मुझे लगता है कि, अगर कोई पंचायत ऐसी स्थिति में है जहां उसके पास गांवों के विकास से संबंधित कुछ काम करने की क्षमता है, तो उसके पास पर्याप्त धन होगा। इस सरकार की यह एक कार्रवाई स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि हम बीच में कोई लेन-देन नहीं चाहते हैं। यदि पंचायत का आकार बड़ा है, तो यह प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से भी अधिक की उम्मीद कर सकता है, और सबसे छोटी पंचायत को प्रति वर्ष 16 लाख रुपये से 17 लाख रुपये मिल सकते हैं।

जहां तक धन की समस्या का प्रश्न उठता है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पंचायत को धन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मुझे बस यही चिंता है कि पंचायत के पास काम को ठीक से करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। उस हिसाब से भी, हम सोच रहे हैं कि सभी पंचायतों के क्षमता निर्माण में कैसे सुधार किया जाए ताकि वे जो भी काम करें वह अच्छी गुणवत्ता का हो। हम पहले से ही इस बारे में योजना बना रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाडा):** अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार की मंशा है कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो और कोई भी व्यवस्था तब मजबूत होती है जब उसका भवन वहां हो। जैसा माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसके लिए फंडिंग राज्य सरकार करेगी, लेकिन अगर राज्य सरकार पंचायत भवनों के लिए फंडिंग नहीं करती है तो क्या को ईयरमार्कड फण्ड केन्द्र सरकार से राज्यों में जाएगा, जो केवल पंचायत भवनों के निर्माण के लिए हो? क्या यह संभव है?

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी बताया कि हमारे देश में 2,39,812 पंचायतें हैं और उनमें से 43,653 पंचायतें अभी भी बिना पंचायत घर के हैं। दो लाख के करीब जो पंचायत घर बने हैं, वे सब राज्य सरकारों ने अपने संसाधनों से, उनकी स्कीम के तहत बनाए गए हैं। जहां तक हमारे यहां से फंडिंग की बात है तो पहले भारत सरकार की दो स्कीम्स बी.आर.जी.एफ. और राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना, थीं। ये दोनों स्कीम्स अब राज्य सरकारों को भेज दी हैं और पैसा भी उन्हें दे दिया गया है। अब इनकी फंडिंग हमारे पास नहीं होगी। राज्य सरकारों को स्वतंत्रता होगी कि वे चाहें तो पंचायत घर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं।

[अनुवाद]

**डॉ. बूरा नरसैया गौड़:** जैसा कि आप जानते हैं, महोदया, हमारे बापू ने कहा था 'ग्राम स्वराज' गांव की प्रगति होती है तो देश की प्रगति हो जाती है।' लेकिन हाल ही में, पिछले बजट में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, पंचायतों, जिला परिषदों और मंडलों के लिए धन के आबंटन में भारी कटौती की गई है। माननीय मंत्री जी ने

स्वयं राज्यों को धन के 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के अतिरिक्त आबंटन की आड़ में ऐसा कहा है। लेकिन पंचायतों और जिला परिषदों के लिए धन इतना कम कर दिया गया है कि आज, पंचायत, मंडल परिषदों के अध्यक्ष और जिला परिषदों के अध्यक्ष कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं जबकि उन्हें पंचायत भवन के अतिरिक्त कई कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे बी.आर.जी.एफ. और राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत धन में कटौती के निर्णय की समीक्षा करेंगे। अगर आप आंकड़े देखें, तो आप पाएंगे कि गांवों में लगभग कोई भी पंच काम नहीं कर पा रहा है। क्या माननीय मंत्री इस विषय पर स्पष्टीकरण देंगे?

**श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह:** माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, भारत सरकार की ये दोनों योजनाएं, बी.आर.जी.एफ. और राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना, राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई हैं; और, उनकी धनराशि भी राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई है। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में, गांवों के विकास के लिए पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। हमारा अभी भी मानना है कि हमारे मंत्रालय से ग्राम पंचायतों को किसी प्रकार का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसके लिए, हमने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है। इस पूरक बजट में, ग्राम पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हम अभी भी यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें और अधिक धन मिले ताकि हम ग्राम पंचायतों के क्षमता निर्माण में भी मदद कर सकें।

[हिन्दी]

**श्री शरद त्रिपाठी:** अध्यक्ष जी, अभी यह विषय आया कि बहुत से पंचायत भवन जर्जर स्थिति में हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहां 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत पंचायत भवन निष्प्रभावी यानी जर्जर हो चुके हैं और किसी काम नहीं आ रहे हैं। गांवों में कोई सरकारी भवन नहीं है, जिससे सामूहिक कार्यक्रम करने में वहां के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा जैसी योजना पर भारत सरकार भारी मात्रा में धनराशि खर्च कर

रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार, माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पर, जिन गांवों में पंचायत भवन नहीं है या सरकारी भवन नहीं है, वहां सामुदायिक भवन बनाने पर विचार करेगी?

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** अगर हम यह निर्णय लेते हैं कि डीआरडीए का कार्यभार हम संभाल लें, राज्य सरकारें भी यही चाहती हैं कि हमसे यह ले लिया जाए, तो जैसा मैंने पूर्व में बताया कि 300 करोड़ रुपए हर साल डीआरडीए में हम वेतन और रखरखाव के लिए देते हैं। उसके माध्यम से हम यह जरूर चाहेंगे कि जिन गांवों में पंचायत भवन अभी तक नहीं बने हैं, वह बनें और उत्तर प्रदेश में तो उसकी संख्या 18 हजार है। माननीय सदस्य ने कहा कि स्टेट को 32 परसेंट से 42 परसेंट डिवोल्यूशन हुई है। उसके अतिरिक्त दो लाख करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में पंचायतों को सीधा जाएगा और मैंने जैसा कहा कि जिस पंचायत को वह धनराशि मिले उसका सही उपयोग अगर करें तो वह तभी संभव है, जब उनके पास इतनी क्षमता हो कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने के लिये हम काम करेंगे। आपका सुझाव है कि ग्राम पंचायत का दफ्तर होना चाहिए। मेरी अपनी कल्पना के अनुसार अगर मैं सोचना चाहूँ तो मैं यह चाहूँगा कि हर गांव में ग्राम सचिवालय होने चाहिए, जिसमें हर प्रकार के दफ्तर एक गांव में हों ताकि किसी को बाहर न जाना पड़े। इसके लिए धन का प्रावधान हमने राज्य सरकारों के लिए किया है, जिसके लिए वे हमारी एक्सपर्टीज लेंगे तो वह हम उनको देंगे। अगर हमें पैसा मुहैया करवा दें तो हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं कि हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी विभाग, पीने के पानी, कोआपरेटिव सोसाइटी और गांव के पटवारी के कार्यालय एक जगह होंगे जिससे उस पंचायत को वित्तीय आमदनी भी होगी। गांव के लोगों के लिए अगर बैंक भी उसी काम्प्लेक्स में खुल जाए, उसी दायरे में रहकर इकनोमिक एक्टिविटीज भी हों। सारी संस्थाएं एक ही स्थान पर खुल जाएं, ऐसी हमारी कल्पना है। इसके माध्यम से हम ग्रामीण लोगों का आर्थिक सशक्तीकरण भी कर सकते हैं।

## (प्रश्न संख्या 244)

[अनुवाद]

**रविन्दर बाबू:** आदरणीय महोदया, यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, यह एक तथ्य है कि 55 प्रतिशत बिजली हमेशा कोयले से मिलती है, और 75 प्रतिशत कोयला हमेशा बिजली क्षेत्र को दिया जाता है। मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में, कोयले की चोरी में व्यवस्थित वृद्धि हुई है। अब यह खतरनाक अनुपात में बढ़ गया है, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपये शामिल हैं। जवाब में, यह कहा गया है कि कंपनियों द्वारा उठाए गए उपाय हैं-मामलों को सी.बी.आई. को सौंपना, एफ.आई.आर. दर्ज करना, पिछला सत्यापन और वह सब। माना जा रहा है कि भारत के पास लगभग 247 अरब टन का भंडार है। इस तरह का भण्डारण बहुत अभूतपूर्व है और किसी अन्य देश को इतना वरदान नहीं मिला हुआ है। हमारे पास 1000 मीटर की गहराई पर अरबों टन का भंडार है। इसका मतलब है कि, इसे निकालना बहुत आसान है।

जब ऐसे भंडार हैं, तो हम हर वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के कोयले का आयात कर रहे हैं। मेरा सवाल होगा, इतनी महंगी विदेशी मुद्रा बर्बाद करने के बजाय, हम वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर अन्वेषण क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग इस की चोरी पर भी अंकुश क्यों नहीं लगा सकते हैं? इसका मतलब है कि सभी बिजली संयंत्र कोयले का उपयोग कर रहे हैं। हम कोयला संयंत्रों में जा सकते हैं। प्रत्येक एक टन कोयले से प्रति घंटे दो मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस तरह से इसकी गणना आसानी से की जा सकती है और हम उन बिजली संयंत्रों पर जिम्मेदारी तय कर सकते हैं जो समझौते का पालन नहीं करके कोयले का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। कानून और व्यवस्था और अन्य संबंधित मुद्दे राज्य के विषय हैं। महोदया, यह मेरी सच्ची भावना है।

**माननीय अध्यक्ष:** क्या आप सुझाव दे रहे हैं? अथवा आप पूछना चाहते हैं?

**डॉ. रविन्दर बाबू (अमलापुरम):** यह दोनों ही हैं। कोयला खदान के लिए मेरी चिंता देश के लिए मेरी चिंता है।

**श्री सुरेश प्रभु:** महोदया, मैं इस तरह के बहुमूल्य सुझाव देने के लिए माननीय सदस्य का आभारी हूँ। उनका यह कहना बिल्कुल सही है कि हमारे पास दुनिया के सबसे अधिक कोयला भंडारों में से एक है। इसके केवल एक हिस्से की खोज की जाती है, इसके एक हिस्से का खनन किया जाता है और इसके एक हिस्से का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए, हमारे पास अधिक कोयले के खनन की बहुत बड़ी क्षमता है। इसके लिए, हमें अन्वेषण और, निश्चित रूप से, एक खनन नीति की आवश्यकता है ताकि अधिक खनन किया जा सके और वह भी आधुनिक खनन। इन सभी मुद्दों का समाधान इस सरकार ने किया है।

महोदया, अगर आपने गौर किया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उसके तुरंत बाद, एक नियत समय में, हमारी सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाने के लिए इस पर कार्रवाई की और नए लाइसेंस जारी किए गए।

इन सभी कारकों को एक साथ रखने के परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इसे और बढ़ाने के तरीके और साधन खोजने का हमेशा प्रयास होता है।

माननीय सदस्य द्वारा कही गई दूसरी बात बहुत मान्य है कि हमें यथासंभव अधिक से अधिक बिजली संयंत्रों की आवश्यकता है। पुनः, यही सरकार की नीति भी है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बिजली संयंत्र हों क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक कोयला है जिसमें राख की मात्रा बहुत अधिक है और हम बिजली पैदा करने के लिए कोयले के साथ राख का परिवहन नहीं करना चाहते हैं। अगर हम वास्तव में गड्ढों के पास बिजली संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, तो यह वास्तव में मदद करेगा। यह सरकार की प्राथमिकता है।

वास्तव में, यदि आपने देखा है, तो पिछले वर्ष रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हुआ है। यह सभी थर्मल पावर स्टेशन हैं। कोयला भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, मुख्यतः बिजली उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए भी। इसलिए, यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य होगा कि हम उनके सभी सुझावों पर कार्य करें जो बहुत मान्य, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मूल्यवान हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** क्या आपके पास दूसरा पूरक है?

**डॉ. रविन्दर बाबू:** नहीं।

**माननीय अध्यक्ष :** बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आनंदराव अडसुला।

**श्री आनंदराव अडसुल:** महोदया, मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिए गए बयान को पढ़ा है। कोयले की चोरी और कोयले के अवैध खनन के संबंध में एक चार्ट दिया गया है। यहाँ कई राज्यों का उल्लेख किया गया है। एक राज्य में, यानी, नागालैंड में, कुल कोयला खदानें माफियाओं के हाथों में हैं। अन्यथा, इस कोयले का संचालन उनके द्वारा ही किया जाता है। इससे केंद्र और राज्य सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सौभाग्य से, हाल ही में, माननीय प्रधानमंत्री ने एक कदम उठाया है और माफिया के मुख्य गिरोह को देश की मुख्यधारा में लाया गया है। क्या सरकार खदानों को अपने हाथों में लेने के लिए कदम उठाएगी?

**श्री सुरेश प्रभु:** महोदया, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की सराहना करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान के तहत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इसलिए, जब भी कानून और व्यवस्था तंत्र में कोई खराबी आती है, तो हमारे पास एकमात्र विकल्प यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से बात करते रहना है कि इसमें सुधार हो।

बेशक, माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर, हम वास्तव में राज्य सरकार से बात करेंगे और कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

**डॉ. बंशीलाल महतो:** अध्यक्ष महोदया, इसमें कोयले की चोरी, उठायी गिरी के संबंध में जो चार्ट दिया है, समाचार पत्रों में रोजाना आता है कि आज चोरी का 25 टूक कोयला पकड़ा गया, जगह-जगह इसका स्टॉक किया गया है और यहां आंकड़ा दिया गया है कि सिर्फ पांच हजार रुपये का कोयला बरामद हुआ। यह आंकड़ा अपने आपमें विवादास्पद है। मैं तो बोल ही रहा हूँ और शायद मंत्री जी भी इससे सहमत नहीं होंगे। हमारे कोरबा

में दक्षिण-पूर्व कोयला क्षेत्र है, वहां प्रतिदिन के हिसाब से करोड़ों रुपये के कोयले की चोरी होती होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि वहां कोयले का सबसे बड़ा व्यापार होता है। हर आदमी बोलता है कि मुझे एक डी.ओ. दिला दो, वहां डी.ओ. की लाइन लगती है, वहां कोयले की अफरा-तफरी हो रही है और यहां मात्र पांच हजार रुपये का आंकड़ा दिया गया है। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के लिए यह आंकड़ा मान्य नहीं है। इसके बारे में मंत्री जी फिर से सही जांच करायें और अपराधियों को पकड़ें।

**श्री सुरेश प्रभु :** महोदया, जब से कोयले की खान में उत्पादन शुरू हुआ, उसी समय से लगी हुई यह समस्या है कि कोयले की पिलफरेज होना, इसलिए इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर कदम उठाये हैं। मैं आपकी अनुमति से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर हमने इलैक्ट्रॉनिक सर्विलांसकी शुरुआत की है। जीपीएस, जीपीआरएस बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है। इसके साथ-साथ बड़े पैमाने पर सीसीटीवी भी वल्लरेबल पॉइंट्स पर लगाये गये हैं। आरआईपीडी आधारित बूम बैरियर्स भी लगाए हैं। वेब ब्रीच इंटीग्रेशन विद कोलनेट बीटीएस एंड वेट मॉनिट्रिंग का भी काम शुरू है। मैडम, आपने देखा होगा कि इन सभी चीजों के कारण जो शिकायतें पहले आती थीं कि कोयले की चोरी ज्यादा हो रही है, कोयले का पिलफ्रेज ज्यादा हो रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। मेरा यह दावा बिल्कुल नहीं है कि कोयले की चोरी नहीं होती, जैसा मैंने कहा कि जब से कोयले की खान की शुरुआत हुई, तभी से चोरियों का सिलसिला चालू है। इसको रोकने के लिए हमें लगातार काम करना होगा, लगातार एक कोशिश करनी होगी। मैन्युअल सर्विलेंस जो पहले हुआ करता था, उसके साथ ही हमने टैक्निकल सर्विलेंस की भी शुरुआत की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे तो कम से कम गिरावट लाने में सफल रहेंगे। लेकिन लोगों की मानसिकता भी बदलेगी तो भी हम उसमें ज्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसे कदम जरूर उठाएगी, जिसके कारण चोरी को रोका जा सके और जो पिलफ्रेज हो रहा है, उसका धन सरकारी खजाने में आ सके।

[अनुवाद]

**श्री के. अशोक कुमार:** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, ऐसी खबरें हैं कि देश की अधिकांश कोयला खदानों में कोयले की अवैध बिक्री हो रही है। हाल ही में, यह पता चला है कि कोयला अवैध रूप से बेचा और खरीदा जा रहा था और संदिग्ध सौदे चल रहे थे। यह खुलासा तब हुआ जब 30,000 टन कोयला जब्त किया गया और 52 वाहन बरामद किए गए। मुझे लगता है कि अवैध बिक्री, आदि के कारण निश्चित रूप से कोल इंडिया लिमिटेड के 1.5 बिलियन टन कोयले के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानना चाहूंगा। धन्यवाद, महोदया।

**श्री सुरेश प्रभु:** महोदया, जैसा कि उत्तर के मुख्य भाग में पहले ही उल्लेख किया गया है, कोल इंडिया सभी सहायक कंपनियों और कोयला मंत्रालय के साथ चोरी के कारण की पहचान करने; उपचारात्मक कार्रवाई करने; उचित हस्तक्षेप करने; और मुद्दे के समाधान के लिए उचित शासन अनुपालन सुनिश्चित करने की इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है। लेकिन जवाब के मुख्य भाग में पहले से ही जवाब है कि कितने मामलों पर ध्यान दिया गया है।

[हिन्दी]

**श्री अजय मिश्र टेनी :** महोदया, अभी जिस तरीके से हमारे साथियों ने प्रश्न पूछे, वास्तव में जो पूर्व की सरकार थी, उसमें कोल माइंस के बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए थे, लाखों-करोड़ों रुपये के घोटाले हुए थे। केवल घोटाले ही नहीं हुए थे, निर्लज्जतापूर्वक उन्होंने उन घोटालों और भ्रष्टाचार की रक्षा करने का भी प्रयास किया था, उनको सही साबित करने का प्रयास किया था। जब से एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में बनी है, कुशल प्रबंधन के द्वारा, हमारे मंत्रियों ने उन घोटालों और भ्रष्टाचार पर ही रोक नहीं लगाई है, बल्कि अच्छा प्रबंधन कर के सरकार के लिए लाखों-करोड़ों रुपये आर्जित करने का भी काम किया है।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड व व्यापारियों के बीच तालमेल से माइन ग्रेड कोयले के स्थान पर स्टीम कोयला उठाया जा रहा है व

रेलवे बिक्री सेवा योजना के जरिए कोयला ढोने के क्रम में अधिक कोयला रेल डिब्बों में भरने की वजह से प्रति माह करोड़ों रूपए की राजस्व हानि हो रही है। यदि हाँ तो क्या सरकार इस प्रकार की आनियमितताओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था करेगी तथा इसी परिप्रेक्ष में यह भी पूछना है कि निजी निवेश को आकर्षित करने, विशेषकर ऐसी खनन कंपनियों, जिन्हें खनन कार्यों व आपूर्ति में विशेषज्ञता प्राप्त है, क्या सरकार उन पर विचार करेगी?

**श्री सुरेश प्रभु :** मैडम, यह सही है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, उनका परिणाम यह हुआ कि सरकार के खजाने में आने वाले दिनों में सिर्फ 29 माइंस से 1,93,510 करोड़ रूपये और 38 माइंस से 1,41,854 करोड़ रूपये खजाने में आ जाएं। आपने जैसा कहा कि निजी क्षेत्र को किस तरह से बढ़ावा देने की कोशिश चल रही है। हमने नौ ऐसी माइंस को अनुमति दी हैं, जिनसे 9000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का निर्माण आगे आने वाले दिनों में होगा। उसी तरह से जो नॉन रेगुलेटेड सैक्टर्स हैं, स्टील है, सीमेंट है, ऐसे सैक्टर्स के लिए भी हमारी सरकार की तरफ से 20 अलग-अलग माइंस को लाइसेंस दिए गए हैं। उसके अलावा हमारी जो स्टेट और सेंट्रल यूटिलिटी है, वह भी वैसे तो निजी क्षेत्र से निर्मित नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम करने में वे कामयाब रही हैं, जो पॉवर के लिए 37 और स्टील के लिए एक है, ऐसे लोगों को भी हमने इसी तरह से अनुमति दी है। आपका जो सवाल है कि किस तरह से चोरी होती होगी, जिसकी खबर आपके पास होगी तो जरूर दीजिए। सरकार की तरफ से उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

**श्री अरविंद सावंत:** महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ ही, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री से, पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? चोरी क्यों हो रही है? हम कैप्टिव बिजली उत्पादकों को उनके बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि पिछले एक साल से मैं इस मुद्दे का पीछा कर रहा हूँ कि कैप्टिव बिजली उत्पादकों को उनके उत्पादन के कारण ट्रांसमिशन का कोई नुकसान नहीं होता है और बिजली का उत्पादन 100 प्रतिशत होता है और इसका उपयोग भी किया जा रहा है, और, अंततः, उत्पाद की लागत कम हो जाती है। इसलिए, कोयला आबंटन करते समय कैप्टिव बिजली उत्पादकों को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आप ऐसा करेंगे अथवा नहीं? मुझे यह बात माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से बताएं, महोदया।

**श्री सुरेश प्रभु:** महोदया, जैसा कि आप जानती हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय में कुछ खानों के आबंटन के साथ-साथ स्वामित्व को भी दरकिनार कर दिया है, जिनका उपयोग कैप्टिव खानों के रूप में किया जाता था। उसके बाद, हमारी सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया है और किसी भी इच्छुक व्यक्ति को खदानें आवंटित करने की सभी प्रक्रियाएं बहुत ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होती हैं। इसलिए, जैसा कि मैंने कहा है, हम पहले से ही अंतिम उपयोगकर्ता के लिए कुछ दे रहे हैं। यह प्राथमिकता थी क्योंकि अंतिम उपयोगकर्ता के लिए कुछ करने की आवश्यकता थी, और यहां तक कि कैप्टिव पावर प्लांट भी दिए गए हैं। इसलिए, इस नए साल के दौरान, हम निश्चित रूप से इससे निपटने के लिए एक नीति लेकर आएंगे।

## (प्रश्न संख्या 45)

[हिन्दी]

**श्री कौशल किशोर :** महोदया, मैं आपको माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो गंगा जीर्णोद्धार का मामला है, उसमें इतना ज्यादा दूषित पानी शहरों से, नालियों आदि से बहकर आता है कि उससे नदियाँ पूरी तरह से प्रदूषित हो रही हैं। इसके लिए जहाँ से गंगा नदी शुरू होती है और जहाँ पर जाकर खत्म होती है, उस क्षेत्र में नदी के किनारे-किनारे जो भी गाँव आते हैं, उनके ग्राम प्रधानों और जो ब्लॉक आते हैं, उनके क्षेत्र पंचायत सदस्यों, वहाँ उस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी और वहाँ के जो सांसद हैं, इन सब को मिलाकर एक कोई कमेटी बनाकर उस गंगा सफाई अभियान में अगर सब को पूरी तरीके से जोड़ने का काम किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस मामले में क्या सरकार या माननीय मंत्री जी इस तरीके की कोई कमेटी बनाकर और उनको शामिल करके गंगा का जीर्णोद्धार करने या दूसरी नदियों का जीर्णोद्धार करने का कोई विचार कर रही हैं?

**सुश्री उमा भारती :** महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। गंगा में कुछ काम ऐसे हैं, जो सरकार कर सकती है, लेकिन गंगा को निरंतर स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना जन प्रतिनिधियों और समाज का ही काम है।

महोदया, आपको स्मरण होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला वक्तव्य इस सदन में प्रधानमंत्री की हैसियत से हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि विकास तभी इस देश में सफल होगा, जब विकास जन-आंदोलन का रूप लेगा और यह मंत्र पूर्णतया गंगा के ऊपर लागू होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीस हजार करोड़ का प्रावधान किया है। मैं माननीय सदन को आपके माध्यम से एक सूचना दे रही हूँ, क्योंकि कैबिनेट का जो अप्रूवल हुआ नई स्कीम को, वह बजट सत्र की समाप्ति के बाद हुआ था। मैं एक अति महत्वपूर्ण सूचना दे रही हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा मंत्रालय का निरीक्षण किया, हमारा प्रेजेंटेशन लिया, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया था कि 29 साल इस कार्य योजना की असफलता का कारण क्या रहा? उसकी समीक्षा

करने के बाद जो स्थिति हमारे सामने आई और हमने प्रधानमंत्री जी को उससे अवगत कराया कि इसका कारण यह रहा कि यह 70:30 फंडिंग रेश्यो की स्कीम थी। एक यह भी महत्वपूर्ण कारण इसकी असफलता का रहा कि राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा, केन्द्र ने उसको मान्य किया, फिर राज्य सरकार ने अपना पैसा दिया, फिर केन्द्र सरकार ने अपना पैसा दिया और इस प्रक्रिया में कई बार ऐसी स्थिति बन गई कि कहीं न कहीं से कमी छूट गई, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती गई और परिणाम निकला कि लगभग तीन हजार करोड़ रूपए लगभग व्यर्थ हो गए, कुछ हो नहीं पाया। मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन को यह सूचना दे रही हूँ कि इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जब हमने यह बात बताई कि 29 सालों की गंगा कार्य योजनाओं की असफलताओं के कई कारणों में से एक यह भी कारण था तो शायद पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है जब मात्र एक नदी के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया और कैबिनेट ने उस फैसले के ऊपर अपनी मुहर लगाई कि यह 100 प्रतिशत केन्द्र की फंडिंग की स्कीम होगी। यह जो 20 हजार करोड़ रुपये गंगा के लिए रखे गए हैं, इसमें राज्य की अंश धनराशि की आवश्यकता नहीं होगी, यह सौ प्रतिशत केन्द्र सरकार की योजना होगी। इसलिए 13 मई के कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हमने सभी राज्यों को इसकी सूचना दी कि अब नए तरीके से प्रस्ताव बनेंगे। क्योंकि इसके पहले के जो प्रस्ताव थे, वह पुराने फंडिंग पैटर्न के मुताबिक थे। उसी पर माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं उसका भी उत्तर उनको दे रही हूँ कि हमने 1750 करोड़ रुपये ग्रामीण स्वच्छता के लिए रखे हुए हैं जिसमें से 263 करोड़ रुपये हमने ग्रामीण स्वच्छता के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग को दे भी दिये हैं। उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है कि गंगा के किनारे के जिले और गाँव, वहाँ की ग्राम पंचायतें, वहाँ के विधायक और वहाँ के सांसद, इनका इसमें इन्वोल्वमेंट होगा तो यह कार्य तेजी से सफल होगा। यह उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। इसके लिए हमारी पूरी कार्य योजना है। इसके लिए एन.वाई.के.एस. - नेहरू युवा केन्द्र संगठन के साथ भी हमारा एक एम.ओ.यू. साइन हो चुका है। इसके अलावा हमने सामाजिक संस्थाओं को बुलाया था गंगा मंथन कार्यक्रम के ज़रिये और हमने इसमें किस प्रकार से वे भागीदारी कर सकते हैं, इसकी कार्य योजना बनाकर हमें वह दें, ऐसा हमने उनको कहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि अभी तक इस पर जो खर्च हुआ है, वह लगभग 91लाख 75 हजार खर्च हुआ है जन संपर्कों के लिए। लेकिन आगे एन.वाई.के.एस. संगठनों के द्वारा, आई.टी.बी.पी. जैसी संस्थाओं के द्वारा, और इसके अलावा अन्य सामाजिक संस्थाएँ भी इसमें भागीदारी करें। वे किस किस प्रकार से भागीदारी कर सकती हैं, उनके प्रस्ताव हमारे पास आयेंगे। बहुत बड़ी संख्या में कई औद्योगिक घरानों ने सी.एस.आर. फंड का प्रस्ताव भी हमें दिया है और बहुत बड़ी संख्या में मैंने देखा है कि गंगा के मसले पर देश में एकता का ऐसा भाव है जो शायद किसी भी मसले पर नहीं होगा। इसलिए इस नए फंडिंग पैटर्न के बाद, नए तरीके से ग्रामीण स्वच्छता के लिए एप्रोच होगा और उसमें सामाजिक संगठनों की, जन प्रतिनिधियों की और जनता की भागीदारी तय होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य गण को अनुरोध करूँगी कि गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए, उसकी निर्मलता को बनाए रखने के लिए सरकार कटिबद्ध है और फंडिंग पैटर्न बदल जाने के बाद जो काम सात से दस साल में होता था, वह काम हम तीन से सात साल के बीच में करके दिखायेंगे और साथ ही साथ हमने यह भी तय किया है कि यह जो 20 हजार करोड़ रुपये का अलोटमेंट हुआ है, हम इसको वर्ष 2018 तक ही शायद पूरी तरह से क्रियान्वित करके दिखाएँ। लेकिन फिर भी, मेरा सभी सदस्य गणों से अनुरोध है कि गंगा की स्वच्छता के लिए जो भी सामाजिक अभियान वे चलाना चाहें, वे हमसे संपर्क कर सकते हैं।

**श्री कौशल किशोर :** माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नदियाँ प्रदूषित हैं, उसका मूल कारण यह है कि ज्यादातर शहरों के किनारे से नदियाँ निकलकर जाती हैं और शहरों का कूड़ा करकट और गंदा पानी, नालों का पानी लगातार नदियों में जाता है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। निश्चित तरीके से हम गंगा की या दूसरी नदियों की कितनी भी सफाई कर लें, जब तक वह गंदा पानी उन नदियों में जाना नहीं रुकेगा, तब तक वे नदियाँ किसी भी तरह से अविरल और स्वच्छ नहीं हो सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कौन से तरीके से शहरों का पानी या गाँवों का पानी जो नदियों में जाता है, प्रदूषित पानी है या गंदा पानी है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या इसके लिए एक बेहतर तरीका यह हो सकता है और क्या गंगा नदी पर हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे दोनों तरफ हम एक पक्की ड्रेन बनाएँ जिससे जो शहरों का पानी है, वह

पानी उन नालों से, ड्रेन से निकलकर जाए और नदी में न मिले? ऐसी व्यवस्था अगर हम बना लेते हैं तो निश्चित तरीके से हमारी नदियाँ स्वच्छ रहेंगी और गंदा पानी नदियों में नहीं जाएगा। क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कोई विचार करके गंगा नदी के दोनों तरफ ड्रेन बनाकर जो शहरों का गंदा पानी है, उसे नदियों में जाने से रोकने पर विचार कर रही हैं?

**सुश्री उमा भारती :** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, इस पर भी विचार हुआ। इस प्रकार के प्रस्ताव पर आंशिक रूप से बहुत पहले वाराणसी को लेकर भी विचार हुआ था। कई प्रकार के मोड हैं जिन पर विचार हो रहा है और बहुत जल्दी हम गंगा की निर्मलता के लिए फैसला करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस गंगा की निर्मलता के ऊपर है। उसके लिए बहुत जल्दी हम एक फैसला करके कैबिनेट से उसका अप्रूवल लेने के बाद विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी को हमने आमंत्रित किया है और हमने यह तय किया है कि जो नया फंडिंग पैटर्न है, उसमें एक नई बात और तय की है कि हम कोशिश यह करेंगे जो अभी तक होता था कि ट्रीटेड वाटर को गंगा में जाने देते थे। लेकिन कई बार अन ट्रीटेड वाटर गंगा में जाता था, क्योंकि, उसको देखने के लिए कोई मोनेटरिंग की प्रणाली नहीं थी और उसको चलाने की जिम्मेदारी की व्यवस्था जो खड़ी हो गई थी, कोई एस.टी.पी. या ई.टी.पी. खड़ा हो गया था, उसको चलाने की भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब हमने तय किया है कि जो बनाएगा, उसको 15 से 20 साल तक चलाने की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, देख-रेख की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ हमने यह भी तय किया है कि हम ट्रीटेड वाटर का कोई दूसरा यूज करने का रास्ता निकालेंगे, उसको भी गंगा में नहीं जाने देंगे, ताकि ट्रीटेड वाटर के बहाने से अन ट्रीटेड वाटर गंगा में न जा सके। यह भी एक बात है, जो हमने गंगा की सहयोगी नदियों के लिए हमने यह फैसला लिया है। माननीय सदस्य ने जिस प्रस्ताव के बारे में कहा है, इस प्रस्ताव का भी विचार हुआ है, लेकिन समग्रता के साथ में जो विचार हमने तय किया है, उसका हम कैबिनेट में नोट भेजेंगे और उसके अप्रूवल के बाद फिर हम आगे का रास्ता निकालेंगे, लेकिन यह मैं आपके माध्यम से कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता निकाला, एक हाई लेवल की टास्क फोर्स बनाई, ताकि राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ में ठीक से बात हो सके। केन्द्र के कई विभाग जो गंगा की निर्मलता से सम्बन्धित थे, उनसे बात हो सके, फिर उसके साथ

ही साथ उन्होंने जो रास्ता निकाला कि 100 परसेंट फंडिंग कर दी, उसका परिणाम यह निकला है कि जो आज तक नहीं हो पाया, वह राजा भागीरथ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करके दिखा देंगे, यह मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा सकती हूँ।

**योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे है, माननीय मंत्री जी की संजीदगी और इसके प्रति उनके समर्पण पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए अब तक 528 करोड़ में से मात्र 91 लाख रुपये ही खर्च हो पाये हैं। एक तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की व्यवस्था, दूसरे मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अविरलता के बगैर निर्मलता नहीं हो सकती है। रुड़की के नीचे तो गंगा जी का पानी गंगा में है ही नहीं। गंग नहर में सारा पानी आ जा रहा है, उसके बाद की जो स्थिति है और जो कयास लगाये जा रहे हैं कि प्रयागराज से लेकर के हुबली के बीच में कई डैम बनाए जाएंगे, आखिर उसमें गंगा की अविरल कैसे रहेगी? मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहूंगा कि जो अब तक फण्ड रिलीज़ हुई है, जो खर्च हुआ है, बहुत कम हुआ है। साथ ही गंगा की अविरलता अत्यन्त महत्वपूर्ण है और गंगा की निर्मलता, अविरलता के साथ-साथ उनकी सहायक नदियों की निर्मलता के साथ जुड़ी हुई है तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**सुश्री उमा भारती :** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि बहुत कम खर्च हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि जो 528 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया है, जिसमें से अभी 91.75 लाख रुपये खर्च हुए हैं। मेरा तो यह मानना है कि यह भी शायद ज्यादा ही खर्च हो गये हैं, क्योंकि, हम तो यह मानकर चल रहे हैं कि सामाजिक सरोकार के लिए पैसा क्यों खर्च होना चाहिए। गंगा के लिए तो लोग स्वयं जान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पूरा दुनिया में जो बसे हुए लोग हैं, सामाजिक भागीदारी के लिए आज तक किसी ने पैसा नहीं मांगा और ये भी जो पैसे खर्च हुए हैं, वे उन व्यवस्थाओं के लिए खर्च हुए हैं, जैसे गंगा मंथन की वजह से लोग आये या हमने 764 वे इंडस्ट्रीज़, जो गंगा के किनारे हैं, उनको हमने बुलाया या हमने जो लोकल बॉडीज़ हैं, वहां की, 118, जो छोटी-बड़ी नगरपालिकाएं हैं, उनको हमने बुलाया तो उसमें

ये पैसे खर्च हुए हैं, अन्यथा सामाजिक सहभागिता के लिए लगभग स्थिति ऐसी है कि चाहे आर्मी के लोग हों, चाहे पैरा मिलिट्री फोर्सों के लोग हों या जन-सामान्य हों, वे कहते हैं कि आप हमें बताइये कि हमें गंगा के लिए क्या करना है, इसलिए सामाजिक भागीदारी के लिए तो निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह कम लग रहा होगा, लेकिन हमने तय किया है कि गंगा में विलासिता नहीं होने देंगे। चवन्नी भी खर्च करेंगे तो बहुत सोच करके खर्च करेंगे, जो भी खर्च होगा, वह गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए ही खर्च होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, उन्होंने एक जो दूसरा प्रश्न अविरलता के बारे में किया है, इसके लिए हमने एक तीन सदस्यों की कमेटी बनाई है जिसमें हमारे मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सेवन आई.आई.टी. कंसोर्टियम के जो कन्वीनर हैं, उन तीनों की एक कमेटी बनी है, जो यह बताएंगे कि किसी भी नदी को जीवित रहने के लिए कितना पानी उसके मूल मार्ग में रहना चाहिए। अभी तक दुनिया में जो भी रिजर्व वायर या बांध बने हैं, उनमें कभी भी इकोलाजिकल फ्लो का निर्धारण नहीं सोचा गया और अगर विचार हुआ भी है तो अभी हालिया विचार हुआ है। मुझे लगता है कि भारत दुनिया में पहला देश बनेगा, जो इस बात का निर्धारण करेगा कि कभी भी किसी भी बांध को बनाने के लिए नदी को नष्ट नहीं करना है, नदी के मूल मार्ग में इतना जल छोड़ना ही पड़ेगा, जो नदी को आदि से, जहां वह विसर्जित होती है, वहां तक नदी को जीवित बनाए रखे। यह रिपोर्ट 5-7 दिन के अंदर ही हमारे पास आने वाली है। इसकी सूचना हम प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी देंगे और सी.डब्ल्यू.सी. को भी देंगे।

महोदया, अविरलता का दूसरा एक पक्ष और है और आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना बहुत जरूरी है कि गंगा और यमुना से जो नहरें निकली हैं, क्योंकि यमुना, गंगा की मुख्य ट्रिब्यूटी है, हथिनीकुंड से इतना पानी यमुना से निकल जाता है कि यमुना के मुख्य मार्ग में पानी नहीं बचता है। यमुना के जल के नाम पर जब तक की चंबल उसमें आकर नहीं मिलती है, जो जल मिलता है, वह सिर्फ गंदे नालों का जल है। गंगा की भी यही स्थिति टिहरी, भीमगोड़ा और नरौरा के बाद हो जाती है। इसीलिए हमने तय किया है कि हमारे ही मंत्रालय का एक और विंग है, जिसको एआईबीपी कहते हैं और पीएमकेएसवाई के जरिए माननीय प्रधानमंत्री

जी ने जो योजना बनाई है, उसका उपयोग हम यहां करेंगे। नरौरा से जो नहरें निकली हैं, भीमगोड़ा से जो सिंचाई के लिए पानी लिया, हथिनीकुंड से जो सिंचाई के लिए पानी लिया, हम दो साल का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें किसान नई टेक्नॉलाजी से सिंचाई करें, इसकी व्यवस्था में हम उनका सहयोग करेंगे। उससे जो बचा हुआ पानी होगा, वह गंगा और यमुना के मूल मार्ग में हम छोड़ेंगे, ताकि गंगा और यमुना की जो अविरलता है, वह बनी रहे। इकोलाजिकल फ्लो का भी निर्धारण होगा और यमुना और गंगा में किस प्रकार से पानी बचाकर छोड़ा जा सके, जिससे मां भी बची रहे और बेटे भी भूखों न मरें, इसकी व्यवस्था हम करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी।

[अनुवाद]

**डॉ. कुलमणि सामल:** माननीय अध्यक्ष महोदया, गंगा के पास स्थित कई औद्योगिक क्षेत्र अपने औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे नदी में बहा रहे हैं जिससे न केवल मनुष्यों को बल्कि जलीय जानवरों और पौधों को भी नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री महोदया, से जानना चाहता हूं कि उन औद्योगिक क्षेत्रों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और जिनके पास उचित जल उपचार संयंत्र नहीं हैं।

**सुश्री उमा भारती:** माननीय अध्यक्ष, महोदया, जैसा कि मैंने अभी-अभी उत्तर दिया है, हम जल उपचार संयंत्रों के लिए नए प्रकार के वित्त पोषण के साथ एक नई प्रकार की तकनीक की योजना बना रहे हैं। जहां तक दूसरी बात के बारे में सदस्य ने कहा, मैंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा है, क्योंकि सभी प्रदूषण कारी उद्योगों को विस्तार दिया गया था, ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि प्रदूषण नदी में न जाए; और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे विस्तार न दें। मुझे लगता है कि किसी भी समय उन उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अपना अपशिष्ट सीधे गंगा नदी में बहा रहे हैं। हम इसकी देखभाल कर रहे हैं।

## (प्रश्न संख्या 246)

[हिन्दी]

**श्री बलभद्र माझी:** महोदया, भारतवर्ष में सालाना 40 लाख गाड़ियाँ बेची जाती हैं। सालाना रोड्स पर पाँच लाख दुर्घटनाएं होती हैं और डेढ़ लाख लोग इन दुर्घटनाओं में मरते हैं। मंत्री जी ने जो उत्तर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के बारे में दिया है, वह बहुत ही असंतोषजनक है। वर्ष 2012-13 में सिर्फ 13 हजार लोगों को इंस्टिट्यूट में ट्रेनिंग दी गई, वर्ष 2013-14 में 30 हजार और वर्ष 2014-15 में 15 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी गई है।

महोदया, सालाना जो 40 लाख गाड़ियाँ बिक रही हैं, उसमें से टू व्हीलर 15 लाख के करीब होते हैं, उन्हें निकाल दें, जो निजी चलने वाली कारें हैं, उन्हें निकाल दें, उसके बाद जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं और जो निजी चालक द्वारा चलाई जा रही गाड़ियाँ हैं, यह सब मिलाकर करीब 20 लाख गाड़ियों के लिए ड्राइवर्स की जरूरत है। 20 नहीं तो कम से कम 10 लाख गाड़ियों के लिए तो ड्राइवर्स की जरूरत है ही। इतनी बड़ी जॉब अपार्चुनिटी !

, इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपार्चुनिटी !

आज के दिन में किसी भी सेक्टर में नहीं है। ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। क्या इसके बारे में गवर्नमेंट ने कभी सोचा है कि पूरा इंस्टिट्यूट लाइजेशन करके यह जिस व्यक्ति ने इंस्टिट्यूट से पास किया है उसे ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए? जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आज दिया जा रहा है, आरटीओ देख लेता है और ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर देता है। कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि व्यक्ति को देखे बिना भी ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू हो रहा है। बिना इंस्टिट्यूट में ड्राइविंग सीखे कम से कम 10-15 दिन का एक थ्योरीटिकल क्लास लेकर, कुछ प्रैक्टिकल क्लास लिए बिना और बिना इंस्टिट्यूट के सर्टिफिकेट के ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू नहीं होगा, क्या सरकार ने इसके लिए कोई कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

**श्री पोन राधाकृष्णन:** महोदया, लाइसेंस केवल राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** उन्होंने जो कहा वह सही है।

... (व्यवधान)

**श्री तथागत सत्पथी:** महोदया, यह एक गंभीर मुद्दा है। सड़कों पर रोजाना कई लोगों की मौत हो रही है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की दर सबसे अधिक है। सरकार इस मामले में कितनी लापरवाह है! यह शर्म की बात है!

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू):** महोदया, वह एक ऐसे वरिष्ठ सदस्य हैं जो माननीय मंत्री के खिलाफ इस तरह की अनुचित टिप्पणी कर रहे हैं। माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। उन्होंने इतना ही कहा है, उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री भर्तृहरि महताब:** प्रश्न यह था कि क्या आप ड्राइविंग प्रशिक्षण को संस्थागत बनाने जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

**श्री एम. वेंकैया नायडू:** केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए और तरीके विकसित करने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद इस बारे में बात की है।

[हिन्दी]

**श्री बलभद्र माझी:** महोदया, हमने मंत्री जी से पूछा है कि केन्द्र सरकार ने इस चीज को इंस्टिट्यूटलाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, या नहीं? उसमें बहुत बड़ी अपार्युनिटी है तो उसमें हर वर्ग को अपार्युनिटी मिलनी

चाहिए। उसे जब इंस्टिट्यूट लाइज करेंगे तो पिछड़े वर्ग, आदिवासी, हरिजन और ओ.बी.सी उन लोगों को भी इंस्टिट्यूशन में आरक्षण देंगे तो सभी को समान रूप से फायदा होगा।

दूसरी बात यह है कि बहुत-सारे जान-माल की हानि हो रही है, हम ने लाइफ के बारे में बता दिया कि डेढ़ लाख मर रहे हैं, क्या सरकार ने कभी अनालाइसिस किया है कि इससे कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है? यह हजारों-करोड़ों रुपये में आयेगा। क्या सरकार ने कभी इसका अनालाइसिस किया है?

[अनुवाद]

**श्री पोन राधाकृष्णन:** महोदया, हर साल पाँच लाख से अधिक दुर्घटनाएँ होती हैं, लगभग 1,50,000 लोग मारे जाते हैं, और चार लाख से अधिक लोग घायल होते हैं। अधिकांश दुर्घटनाएँ चालकों की गलती के कारण हो रही हैं। लगभग 78 प्रतिशत दुर्घटनाएँ चालकों की गलती के कारण होती हैं। इसलिए, चालकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इसी वजह से सभी राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान के आदर्श संस्थान स्थापित होने जा रहे हैं। सभी राज्यों से इन संस्थानों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया था।

[हिन्दी]

**श्री नाना पटोले:** अध्यक्ष महोदया, ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में शहरी एरिया में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। रूरल एरियाज में इसके प्रशिक्षण सेंटर्स नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशिक्षित ड्राइवर्स को हम लोग जो प्रशिक्षण देते हैं, क्या इसके केन्द्र रूरल एरियाज में खोले जायेंगे? यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

**श्री पोन राधाकृष्णन:** महोदया, 10<sup>वीं</sup> योजना के दौरान हमने 13 राज्यों में 13 आदर्श प्रशिक्षण स्कूलों को मंजूरी दी थी। 11<sup>वीं</sup> योजना में, आठ आदर्श संस्थानों को मंजूरी दी गई थी जिनमें से 16 काम कर रहे हैं। 12<sup>वीं</sup> योजना में भी हमने 10 संस्थानों को मंजूरी दी है। सभी संस्थान अलग-अलग राज्यों में हैं। राज्यों के अनुरोध के अनुसार ही हम इन संस्थानों को उपलब्ध करा रहे हैं। वे उन संस्थानों में प्रशिक्षण दे रहे हैं।

## (प्रश्न संख्या 247)

[हिन्दी]

**श्री राजेशभाई चुड़ासमा:** माननीय अध्यक्ष जी , आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम कसने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन की प्रक्रिया की गयी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस समय राज्यों द्वारा कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्य कर रही हैं और भविष्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विस्तार और कार्य करने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

[अनुवाद]

**श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:** माननीय अध्यक्ष महोदया, व्यावहारिक रूप से सरकार की सोच थी कि देश भर में लंबित मामलों की भारी संख्या को निपटाने के लिए एक बार के हस्तक्षेप के रूप में इन फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाए। बेशक, 11<sup>वें</sup> वित्त आयोग में हमने इसके लिए लगभग 870 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। वास्तव में राज्यों और माननीय उच्च न्यायालयों को इस मामले को देखना होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने सोचा कि हमें इन फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स को प्रोत्साहित करना चाहिए और कुछ वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि महिलाओं और बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, जैसे ही 11<sup>वें</sup> वित्त आयोग के बाद केंद्र सरकार ने वित्त पोषण किया, राज्यों ने फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या भी कम कर दी।

वर्ष 2005 में, देश भर में काम करने वाले फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या 1562 थी। वर्ष 2011 में, 11<sup>वें</sup> वित्त आयोग के आने और धनराशि कम होने के बाद, 1192 फास्ट ट्रैक कोर्ट थे। अब फास्ट ट्रैक न्यायालयों की वास्तविक संख्या घटकर 473 रह गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है जिसमें कहा गया है कि फास्ट ट्रैक अदालतें समय की आवश्यकता हैं और 1800 फास्ट ट्रैक अदालतों की आवश्यकता है। हमारे प्रस्ताव पर 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया है और कुल 9,749 करोड़,

रुपये की धनराशि में से 50 प्रतिशत यानी लगभग 4,444 करोड़ रुपये आने वाले पाँच वर्षों में इन फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए थी। इसलिए, हम इस पर काम कर रहे हैं।

व्यावहारिक रूप से, राज्य सरकारों द्वारा उपाय किए जाने चाहिए। उन्हें विभिन्न मामलों की पहचान करनी होगी जिन्हें तेजी से ट्रैक करने की आवश्यकता है। मैं वास्तव में मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सराहना करता हूँ। उन्होंने ऐसे मामलों की जांच की है और फास्ट ट्रैक अदालतों के बजाय, उन्होंने ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई शुरू कर दी है। उन्होंने इसके आधार पर एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया है। हम प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से, उस दिशा में, भविष्य के फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करेंगे।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 248, 249, 251,252, 254 और 256-262

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761, 2763-2765, 2767-2769, 2771-2800, 2802-2810, 2813-2878, 2880, 2882-2944, 2946-2948, 2950-2981 और 2983-2990)

---

<sup>1</sup> प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।

<https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

**अपराह्न 12.02 बजे****सभा पटल पर रखे गए पत्र**

**माननीय अध्यक्ष:** अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

**विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) (एक) इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2964/16/15]

- (3) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोलयूशन, नई दिल्ली, के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोलयूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2965/16/15]

**रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभु):** श्री पीयूष गोयल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम, विद्युत मंत्रालय द्वारा, 2007-12 के दौरान विद्युत उत्पादन में क्षमता संवर्धन के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 का संख्यांक 22) कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2966/16/15]

- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

- (1) एस.जे.वी.एन. लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए समझौता ज्ञापना।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2967/16/15]

- (2) एन.एच.डी.सी. लिमिटेड तथा एन.एच.पी.सी. लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापना।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2968/16/15]

- (3) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2969/16/15]

- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत डी.एन.एच. पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (4) उपर्युक्त (7 ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2970/16/15]

[हिन्दी]

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सांवर लाल जाट):** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2012- 2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लेखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2971/16/15]

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिपिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो न राधाकृष्णन):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1677(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (हसन-बंटवाल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2972/16/15]

(दो) का.आ. 893(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 (कुंदापुर-सूरतकल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2973/16/15]

(तीन) का.आ. 2698(अ) जो 20 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 948 (तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा से

थलागट्टापुुरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2974/16/15]

(चार) का.आ. 805(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (शोलापुर-संगारेड्डी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2975/16/15]

(पांच) का.आ. 749(अ) जो 13 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.65) (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2976/16/15]

(छह) का.आ. 404(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2977/16/15]

(सात) का.आ. 736(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 (चेन्नई-कोलकाता खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (आठ) का.आ. 1062(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 163) (यादगिरी-वारंगल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 258(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 163) (यादगिरी-वारंगल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का.आ. 395(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 163) (यादगिरी-वारंगल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 1059(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.5 (गुंडगुलानु-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 750(अ) जो 13 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 (चेन्नई-कोलकाता खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 398(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा 30अक्टूबर, 2012की अधिसूचना सं. का.आ. सा.का.नि.2635 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 397(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा 30अक्टूबर, 2012की अधिसूचना सं. का.आ. सा.का.नि.2636 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ. 371(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 53) (जलगाँव-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2897(अ) जो 13<sup>वें</sup> नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.63 (होसपेट-बेल्लारी-ए.पी./कर्नाटक सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 408(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.63 (होसपेट-बेल्लारी-ए.पी./कर्नाटक सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 260(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.218 (बीजापुर-गुलबर्गा-होमनाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 583(अ) जो 20 फरवरी, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में उल्लिखित किए जाने के बारे में हैं।

- (बीस) का.आ. 710(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.63 (हुबली-होसपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का.आ. 1334(अ) जो 19 मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के पनवेल महाद पणजी सड़क पर सावित्री नदी पर स्थायी सेतु का प्रयोग करने वाले यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के लिए मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), लोक निर्माण विभाग, मुंबई या उनके अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि को प्राधिकृत किया गया है।
- (बाईस) का.आ. 657(अ) जो 4 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सब कलेक्टर, मदनापल्ले, आंध्र प्रदेश को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।
- (तेईस) का.आ. 1197(अ) जो 6 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सब कलेक्टर, अनन्तपुरम, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।
- (चौबीस) का.आ. 1249(अ) जो 11 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर संयुक्त कलेक्टर, अनन्तपुरम, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।
- (पच्चीस) का.आ. 1275(अ) जो 14 मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.18 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि

के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।

(छब्बीस) का.आ. 1276(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर संयुक्त कलेक्टर, अनन्तपुरम, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।

(सत्ताईस) का.आ. 1277(अ) जो 14<sup>वें</sup> मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.219के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उप कलेक्टर, मदनापल्ले, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।

(अठ्ठाईस) का.आ. 1463(अ) जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 31जुलाई, 2013की अधिसूचना सं. का.आ..2325 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्तीस) का.आ. 1747(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 23दिसम्बर, 2014की अधिसूचना सं. का.आ.. 104 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का.आ. 3217(अ) जो 18 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.8 (अच्छद-धेकाले) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्तीस)का.आ. 3227(अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 10सितम्बर, 2014की अधिसूचना सं. का.आ.. 2296 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का.आ. 401(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राजमार्ग सं. 66 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 790(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में प्रस्तावित बंगलौर चेन्नई एक्सप्रेसवे के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1304(ई) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.63 (हुबली-होसपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 7(अ) जो 1 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 17 सितम्बर, 2014की अधिसूचना सं. का.आ.. 2415 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 643(e) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 18दिसम्बर, 2014की अधिसूचना सं. का.आ.. 3230 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का.आ. 2274(अ) जो 8 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.4 (हावेरी-हुबली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 653(अ) जो 3 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन हेतु विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवम सम्पदा अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, मिनी विधानसौध धारवाड़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(उन्तालीस) का.आ. 642(अ) जो 3 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (बड़ागंडी गांव) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन हेतु विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवम सम्पदा अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, मिनी विधानसौध धारवाड़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चालीस) का.आ. 1074(अ) जो 24 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 50(पुणे, नासिक फाटा-खेड़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए, भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(इक्तालीस) का.आ. 1075(अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.234(हुलियार-सिरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1076(अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.206(तुमकुर-होन्नावर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 2423(अ) जो 17 सितंबर, 2014, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28मई, 2013की अधिसूचना सं. का.आ.. 1390 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चवालीस) का.आ. 2424(अ) जो 17 सितंबर, 2014, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2मार्च, 2001की अधिसूचना सं. का.आ.. 194 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का.आ.1285(अ) जो 14 मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छियालीस) का.आ. 1286(अ) जो 14 मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अप्रैल, 2011की अधिसूचना सं. का.आ.. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तालीस) का.आ.1409(अ) जो 26मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(अड़तालीस) का.आ.1031(अ) जो 17मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(उन्चास) का.आ.1513(अ) जो 10 जून, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पचास) का.आ. 1410(अ) जो 26मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अप्रैल, 2011की अधिसूचना सं. का.आ.. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकावन) का.आ. 1150(e) जो 1 मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अप्रैल, 2011की अधिसूचना सं. का.आ.. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का.आ. 1283(अ) जो 14 मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खंडों को, नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 129क के खंडों को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तिरपन) का.आ. 1284(अ) जो 14मई, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का.आ. 1514(अ) जो 10 जून, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का.आ. 1518(अ) जो 10 जून, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का.आ. 1515(अ) जो 10 जून, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तावन) का.आ. 1516(अ) जो 10 जून, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26अप्रैल, 2002की अधिसूचना सं. का.आ.. 465 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठ्ठावन) का.आ. 1517(अ) जो 10 जून, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनसठ) का.आ. 1033(अ) जो 10 जून, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का.आ. 1034(अ) जो 17 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खंडों को, नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 313 और 713 के खंडों को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(इकसठ) का.आ. 1035(अ) जो 17 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बासठ) का.आ. 878(अ) जो 31 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खंडों को राष्ट्रीय राजमार्गों, और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(तिरसठ) का.आ. 879(अ) जो 31 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंसठ) का.आ. 883(अ) जो 31 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खंडों को, नए राष्ट्रीय राजमार्ग के, खंडों को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पैंसठ) का.आ. 884(अ) जो 31 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का.आ. 978(अ) जो 9 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का.आ. 880(अ) जो 31 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अप्रैल, 2011की अधिसूचना सं. का.आ.. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का.आ..881(अ) जो 31 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(उनहत्तर) का.आ. 1037(अ) जो 17 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तर) का.आ. 976(अ) जो 9 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28मई, 2014की अधिसूचना सं. का.आ.. 1395 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एकहत्तर) का.आ. 977(अ) जो 9 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बहत्तर) का.आ. 973(अ) जो 9 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 सितम्बर, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1399 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिहत्तर) का.आ. 974(अ) जो 9 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का.आ. 975(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में, घोषित किया गया है।

(पछत्तर) का.आ. 882(अ) जो 31 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छिहत्तर) का.आ. 972(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में, घोषित किया गया है।

(सतहत्तर) का.आ. 1036(अ) जो 17 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4अगस्त, 2005की अधिसूचना सं. का.आ.. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का.आ. 1032(अ) जो 17 अप्रैल, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खंडों को, नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 123 के खंडों को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(उन्नासी) का.आ. 362(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 202(नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.163 ) (यादगिरी-वारंगल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2978/16/15]

(2) मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 212 की उपधारा (4), के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) केन्द्रीय मोटर यान (8वां संशोधन) नियम, 2015 जो 12 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 487(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय मोटर यान (9वां संशोधन) नियम, 2015 जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय मोटर यान (10वां संशोधन) नियम, 2015 जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 498(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केन्द्रीय मोटर वाहन (7<sup>वां</sup> संशोधन) नियम, 2015 जो 21 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2979/16/15]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1453(अ) जो 2 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजमार्ग प्रशासनों की स्थापना के बारे में है, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2980/16/15]

**अपराह्न 12.04 बजे****मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(एक) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति<sup>2\*</sup>

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री और पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन, 16<sup>वीं</sup> लोक सभा 19 दिसंबर 2014 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। भू संसाधन विभाग की अनुदानों की मांगों 2014-15 की जांच से संबंधित प्रतिवेदन समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/अवलोकन पर एक कार्यवाही प्रतिवेदन 2 जून, 2015 को ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति को भेजी गई थी। समिति द्वारा रखी गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के संलग्नक में दर्शाई गई है जो सभा पटल पर रखी गई है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पठित माना जाए।

---

<sup>2\*</sup>सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2981/16/15।

**अपराह्न 12.05 बजे**

**(दो) 5 अगस्त, 2015 को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में हुए आतंकवादी हमले के बारे में एक वक्तव्य**

**माननीय अध्यक्ष:** अब, माननीय गृह मंत्री एक बयान दे सकते हैं।

[हिन्दी]

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** महोदया, 5 अगस्त, 2015 की सुबह लगभग 7.00 बजे उधमपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर जिला उधमपुर तहसील चिनानी में नरसू नाला के समीप जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बीएसएफ. काफिले के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। इस घटना में बीएसएफ के दो जवान 59वीं बटालियन के कांस्टेबल रॉकी न. 120628139 निवासी जिला यमुना नगर हरियाणा और 2nd बटालियन के कांस्टेबल शुभेन्दु राय नं. 994001100 निवासी जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल शहीद हो गए और बीएसएफ के 14 अन्य जवान घायल हो गए। इस हमले में संलिप्त दो आतंकवादियों में से एक को मार गिराया गया, जबकि दूसरे को स्थानीय निवासियों की सहायता से बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पकड़े गए आतंकवादियों को जम्मू लाया गया जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा उससे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए आतंकवादी ने अपना नाम मोहम्मद नावेद उर्फ उस्मान निवासी फैसलाबाद, पाकिस्तान बताया है। उसने अपने मारे गए साथी का नाम मोहम्मद नोमेन उर्फ नोमीन (यह उसका कोड नाम है) निवासी भावलपुर, पाकिस्तान बताया है। इस संबंध में चेनानी पुलिस स्टेशन में एक केस एफआईआर नं. 60/2015 यू/एस 120/120-ब/307/302/आरपीसी, 7/25 आर्म्स एक्ट, 15/16 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। आतंकवादियों से 2 एके 47 राइफल (मैगजीन के साथ), ग्रेनेड और गोला-बारूद आदि बरामद किया गया है।

हम इस हमले की एवं जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को सीमापार से आतंकवादियों द्वारा लगातार अस्थिर करने की कोशिशों की कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। संसद की ओर से हमले में शहीद हुए बीएसएफ के जवानों के प्रति मैं हृदय से शोक एवं इस माइंडलेस वॉयलेंस में घायल जवानों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने क्षति को कम करने और हमले को विफल करने में अदम्य साहस का परिचय दिया है तथा जवानों के इस साहसपूर्ण कार्य के लिए शहीद हुए जवानों के परिजनों को एक्स-ग्रेशिया कम्पन्सेशन एवं नौकरी देने के अतिरिक्त सरकार तत्काल सभी को वीरता पुरस्कार देने के लिए भी विचार कर रही है। हम विशेष रूप से उन निहत्थे ग्रामीणों के अदम्य साहस की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल कर पूरी तरह से हथियारों से लैस आतंकवादियों को बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए धर-दबोचने में कामयाबी पाई। इस संबंध में उन ग्रामीणों को उनके इस साहसी कार्य को पहचानने एवं पुरस्कृत करने के लिए राज्य सरकार से हम अनुरोध करेंगे।

हमें पूरा विश्वास है कि पकड़े गए आतंकवादी की जांच से उनके मोडस ओपरेण्डे , सीमा पार से आतंकवाद और उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। सरकार पूर्ण संकल्प के साथ अपने देशवासियों एवं सुरक्षा बलों की सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी के लिए आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि इस घटना के एक महीने के अंदर पांच बार घुसपैठ की कोशिशों की गईं, इन पांच घुसपैठ की कोशिशों में चार घुसपैठ की कोशिशों को हमारे सेना के जवानों और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने नाकाम करने में पूरी कामयाबी हासिल की और 8 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज भी करने में कामयाबी हासिल की है। मैं सुरक्षा बल के जवानों के साहस, शौर्य और पराक्रम की भूरी-भूरी प्रशंसा इस सदन के समक्ष करना चाहता हूँ।

**अपराह 12.10 बजे**

(एक) पूर्व आई.पी.एल चीफ को यात्रा दस्तावेज जारी करने हेतु ब्रिटिश सरकार से किए गए अनुरोध के मामले में उनकी कथित भूमिका

[हिन्दी]

**विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):** अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैं विपक्ष के अपने साथियों की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपने से संबंधित विषय पर चर्चा को रोकने के लिए प्रीएम्प्ट या स्कटल करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं अपनी ओर से इस विषय पर चर्चा कराने का अनुरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

अध्यक्ष जी, पिछले लगभग दो माह से मीडिया के माध्यम से मेरे खिलाफ अपप्रचार चल रहा है, लेकिन मैं शांति से बैठकर संसद के मानसून सत्र की प्रतीक्षा करती रही कि संसद का सत्र शुरू होगा, इस विषय पर चर्चा होगी और मैं हर प्रश्न का विस्तार से उत्तर दूंगी। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, मैंने दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को भी सूचित किया, सदन में खड़े होकर भी कहा कि मैं इस पर चर्चा करवाना चाहती हूँ और आज ही तैयार हूँ, तुरंत तैयार हूँ। लेकिन अध्यक्ष जी, दो सप्ताह बीत गये और तीसरा सप्ताह कल बीत जायेगा। मैं दोनों सदनों में बारी-बारी से बैठती रही कि शायद आज चर्चा हो जाये, लेकिन चर्चा होना तो दूर, चर्चा के कोई आसार भी मुझे नजर नहीं आ रहे। सत्र समाप्त हो जाये और आरोप अनुत्तरित रह जायें, मुझे अपनी स्थिति, अपना पक्ष रखने का भी मौका न मिले, यह मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए आज मैंने आपसे यह प्रार्थना की कि मुझे कुछ कहने के लिए आप अनुमति दें। लेकिन तो भी मैं पुनः कह रही हूँ कि अभी एक सप्ताह बाकी है। अगले सप्ताह सांसदों का निलंबन भी समाप्त हो जायेगा। उनकी सहयोगी पार्टियों का बहिष्कार भी समाप्त हो जायेगा। मैं भी कोशिश करूंगी, आप भी कोशिश कीजिए कि कम से कम अगले सप्ताह इस विषय पर चर्चा जरूर हो जाये, ताकि जो प्रश्न मीडिया में उछाले जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिख-लिखकर मुझसे पूछे जा रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं इस सदन में खड़े होकर के विस्तार से दे सकूँ। जहां तक आज का सवाल है,

जब मैं अपने इर्द-गिर्द का माहौल देखती हूँ, तो मुझे रामचरित मानस का एक दोहा याद आता है। आप मानस पर बहुत अधिकार वाणी से बोलती हैं। आपको मालूम है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, जिसकी दूसरी पंक्ति है -- 'हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि हाथ'। मुझे लगता है कि यह नफा-नुकसान, जीना-मरना, नेकनामी और बदनामी जो ग्रहों ने अपने हाथ में रखी हुई है, जरूर मेरा कोई अपयश का ग्रह चल रहा होगा, तभी तो मेरे वे साथी जो मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना आदर करते हैं, वे आज मेरी इतनी तीखी आलोचना कर रहे हैं, यहां तक कि मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि ग्रह बहुत जल्दी टलेगा और मेरे साथियों का सद्भाव वापिस लौटेगा।

अध्यक्षा जी, मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया या सिफारिश की। मैं सदन के ऊपर खड़े होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि यह आरोप सिर से गलत है, असत्य है, निराधार है। मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का अनुरोध नहीं किया। मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने की सिफारिश नहीं की। मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया, कभी रिकमेंडेशन नहीं की। आपको मालूम है कि अनुरोध और सिफारिश पत्रों की एक भाषा तय होती है। जब हम किसी से अनुरोध करते हैं, तो हम कहते हैं कि यह काम कर दीजिए। जब हम सिफारिश करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी राय में यह काम कर देना चाहिए। अगर मैं अनुरोध करती तो मैं ब्रिटिश सरकार को कहती - 'कृपया ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दें।

अगर मैं सिफारिश करती तो मैं लिखती- "मैं सलाह देती हूँ कि ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिए जाने चाहिए।" मैं आज यहां चुनौती देकर कहती हूँ कि एक कागज, एक पर्ची, एक पुर्जा, एक चिट्ठी, एक ई-मेल मुझ पर आरोप लगाने वाले यहां प्रस्तुत कर दें जिसमें मैंने ऐसा कोई भी वाक्य लिखा हो कि ललित मोदी को ट्रेवल डाक्यूमेंट्स दे दीजिए या आपको दे देने चाहिए। लेकिन मैं एक कागज पेश कर सकती हूँ जो इकनामिक टाइम्स की खबर है। यह इकनोमिक टाइम्स की कतरन है, इकनोमिक टाइम्स अखबार ने ब्रिटेन के होम आफिस

को लिखा यानी ब्रिटेन के गृह मंत्रालय को लिखा और उनसे पूछा कि आपने ललित मोदी को दस्तावेज किस आधार पर दिए। उनके गृह मंत्रालय ने इकनोमिक टाइम्स को जवाब दिया और कहा -

“ब्रिटेन के गृह विभाग ने सोमवार को दावा किया कि आई.पी.एल. के पूर्व प्रमुख, ललित मोदी, को उनकी बीमार पत्नी की मदद के लिए पुर्तगाल जाने के लिए जारी किए गए यात्रा दस्तावेज 'उचित नियमों' के अनुसार निर्धारित किए गए थे।”

यह मेरे द्वारा लिखा गया जवाब नहीं है, मेरे द्वारा पूछा गया प्रश्न भी नहीं है। इकनोमिक टाइम्स अखबार ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से पूछा और ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने ई-मेल के माध्यम से उनको जवाब दिया। मैं इकनोमिक टाइम्स की आभारी हूँ कि उन्होंने यह जानकारी अपने तक नहीं रखी बल्कि पाठकों के साथ शेयर की, अपने पाठकों को उन्होंने यह पढ़वाया।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैंने अनुरोध किया होता, अगर मैंने रिकमेन्डेशन की होती तो होम आफिस यह लिखता कि हमने ललित मोदी को यह यात्रा दस्तावेज भारत की विदेश मंत्री के रिक्वेस्ट पर दिए थे या हमने यह ट्रैवल डाक्यूमेंट्स भारत की विदेश मंत्री की रिकमेन्डेशन पर दिए थे। उन्होंने जवाब दिया कि हमने उन्हें अपने नियमों के तहत दिए थे। आज मेरा कहना है कि इस जवाब के बाद यह मुद्दा समाप्त हो जाना चाहिए था क्योंकि यह नॉन इश्यू बन गया है। लेकिन इसके बाद भी यह मुद्दा जिंदा रखा गया और मुझसे सवाल किए गए कि आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कैसे किया, क्यों किया से पहले यह तो बता दो क्या किया। क्या किया? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैंने ललित मोदी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाया, नहीं। क्या मैंने ललित मोदी को भारत से भगाया, नहीं। क्या मैंने ललित मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवाया, नहीं। क्या मैंने ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलवाने का अनुरोध किया, नहीं। तो मैंने किया क्या? मैंने पूरी तरह से यह निर्णय ब्रिटिश सरकार पर छोड़ा। मैंने उन्हें जो एक मौखिक संदेश भिजवाया उसका पहला वाक्य यह है -

“अगर ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का फैसला करती है तो इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध खराब नहीं होंगे।”

मैंने निर्णय ब्रिटिश सरकार पर छोड़ा, यदि ब्रिटिश सरकार यात्रा दस्तावेज देने का विकल्प चुनती है। यानि यदि ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का निर्णय करती है तो निर्णय उनका है। मैंने निर्णय में कोई भूमिका नहीं रखी। वे निर्णय दोनों तरह का कर सकते थे। वे न देने का भी कर सकते थे। अगर वे न देने का निर्णय करते तो मेरे संदेश का असर ही समाप्त हो जाता, वह निरर्थक हो जाता लेकिन उन्होंने निर्णय देने का किया। मैंने उनसे कहा कि आप अपने रूल्स और रेगुलेशंस के तहत जांच करने के बाद अगर यात्रा दस्तावेज का निर्णय करते हैं तब तो मेरे संदेश का असर तो उनके निर्णय के बाद शुरू होता। मेरी भूमिका न निर्णय करवाने में है और न निर्णय करने में है। यह संदेश मैंने शुद्ध मानवीय आधार पर भेजा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भेजा। वह , ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या था?

माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि ललित मोदी की पत्नी पिछले 17 वर्षों से कैंसर से पीड़ित है। उसका कैंसर दसवीं बार उभरा था। वह पुर्तगाल के एक क्लीनिकल सेंटर जो रिसर्च सेंटर है, उसमें इलाज करवा रही थी। वहां उसका एसेसमेंट करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इस बार का आपका कैंसर, लाइफ थ्रेटनिंग है, जीवन घातक है, लेकिन हम जो इलाज करेंगे, वह इलाज खतरों से भरा हुआ है। यानी उस इलाज के दौरान उसकी मृत्यु भी हो सकती थी और उसकी दोनों किडनीज़ भी डैमेज हो सकती थीं। उन्होंने कहा कि आपकी डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग है, आपका इलाज खतरों से भरा है इसलिए हमें आप अपने पति के साथ यहां उस दिन चाहिए। 4 अगस्त की तारीख तय थी। ललित मोदी की पत्नी ने जो विटनैस स्टेटमेंट ब्रिटेन के होम ऑफिस में दिया और डायरेक्टर का जो पत्र उसके साथ लगाया, उसका एक एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। यह विटनैस स्टेटमेंट है और यह काफी बड़ा है लेकिन मैं इसके केवल आखिरी पैराग्राफ की चार लाइनें पढ़कर सुनाती हूँ। वो कहती हैं:-

“मेरी चिकित्सा स्थिति ने मेरे परिवार को बहुत प्रभावित किया है और हमें एक-दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से, मुझे उनके समर्थन और ललित के समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता है। ललित और मेरी शादी को 20 साल से अधिक समय हो चुका है और हम एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। मुझे अब उसकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। ”

मुझे अब उनकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। ये अंतिम शब्द हैं और ये वहां के डायरेक्टर हैं जिनका नाम डा. कार्लो ब्रेक है। यह रिसर्च फाउंडेशन है जहां उसका इलाज चल रहा है, उन्होंने लिखा है:-

"श्रीमती मोदी की स्थिति का आकलन 14 जुलाई, 2014 को किया गया। दुर्भाग्यवश, ऐसी बीमारी के प्रमाण हमें मिले हैं जो जीवन घातक हो सकती है। अंतिम निर्णय लेने से पहले हमें रोगी और उसके निकटतम सम्बन्धी के साथ मिलकर उपचार विकल्पों के लाभ तथा खतरों के बारे में सूक्ष्म आकलन करना पड़ता है। लिस्बन, पुर्तगाल की सी. सी. यू. में चिकित्सीय प्रक्रिया का समय 4 अगस्त नियत कर दिया गया है। श्रीमती मोदी और उनके पति की उपस्थिति उस स्थिति से पूर्व आवश्यक है।"

श्रीमती मोदी और उनके पति की उपस्थिति उस स्थिति से पूर्व आवश्यक है। [हिन्दी] अध्यक्ष जी, यही दो कारण थे जो कागज पढ़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको यात्रा दस्तावेज देने का निर्णय किया। मेरे सामने केवल एक प्रश्न था कि क्या मैं यह कह दूँ कि आप, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको यात्रा दस्तावेज जरूर दे रहे हैं लेकिन अगर आप ये यात्रा दस्तावेज देंगे तो आपके और भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह आप होतीं तो आप क्या करतीं? मैं कहती हूँ कि अगर मेरी जगह सोनिया जी ही होतीं तो क्या करतीं? क्या मरने के लिए छोड़ देतीं? यह इतना बड़ा मानवीय संवेदना का केस है जहां ललित मोदी की मदद नहीं हुई, मदद उस पत्नी की हुई जो भारतीय नागरिक है, ...(व्यवधान) जो किसी अपराध में लिप्त नहीं

है। जिसके खिलाफ कोई केस देश या विदेश में नहीं चल रहा है और जो 17 वर्षों से कैंसर से पीड़ित है, जिसका कैंसर दसवीं बार उभरा है, जो एक जीवन घातक बीमारी झेल रही है और वह जो इलाज कराने जा रही है, वह इलाज खतरों से भरा है। इसलिए वह चाहती है कि उसका पति उस दिन अस्पताल में मौजूद हो, उसे भावनात्मक संबल देने के लिए भी और यह निर्णय देने के लिए भी कि यह ट्रीटमेंट आगे किया जाए या न किया जाए। अध्यक्ष जी, इस चीज को सामने रखकर मैंने यह कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार उनको यात्रा दस्तावेज देने का निर्णय करती है तो हम दोनों देशों के रिश्ते खराब नहीं होंगे और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की महिला की मदद करना यदि गुनाह है तो मैं कहना चाहती हूँ कि यह गुनाह मैंने किया है और माननीय अध्यक्ष जी, आपको साक्षी मानकर इस सदन में खड़े होकर पूरे राष्ट्र के सामने मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ और यह सदन इसके लिए मुझे जो सजा देना चाहे, मैं वह भुगतने के लिए तैयार हूँ।

**अपराह्न 12.23 बजे****सदस्यों द्वारा निवेदन**

**माननीय अध्यक्ष के सरकारी आवास के सामने 5 अगस्त 2015 को युवक कांग्रेस के सदस्यों द्वारा  
विरोध प्रदर्शन के बारे में**

[हिन्दी]

**डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) :** माननीय अध्यक्ष जी, सुषमा जी के भावनात्मक बयान और जो उन्होंने कहा है, उसके बाद में मैं सदन का थोड़ा ध्यान चाहता हूँ और दुख व्यक्त करना चाहता हूँ। कल यूथ कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस सदन की जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, कांस्टीट्यूशनल हेड है, उस कांस्टीट्यूशनल हेड के खिलाफ प्रदर्शन करना, उनके बारे में इस प्रकार के वाक्य उच्चारण करना और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुके, उनके अध्यक्ष कहते हैं कि हम सदन के पास, पार्लियामेंट में आकर, पार्लियामेंट के गेट पर स्पीकर का पुतला जलाएंगे...(व्यवधान) यह बहुत ही खेद की बात है...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ वाक्य पढ़कर सुनाना चाहूँगा और सदन से अनुरोध करूँगा कि इस संबंध में खेद प्रस्ताव व्यक्त करे...(व्यवधान) यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता, ...<sup>3\*</sup> ने न्यायसंगत ठहराते हुए कहा, "यदि अध्यक्ष न्यायसंगत नहीं हैं, तो उनके खिलाफ विरोध करने में कुछ भी गलत नहीं है।"

**माननीय अध्यक्ष :** उनके किसी के नाम नहीं जाएंगे।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** किसी के नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे।

... (व्यवधान)

<sup>3\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**डॉ. किरीट सोमैया:** स्पीकर महोदया, मैं एक ही प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रिविलेज मोशन भी सबमिट किया है। आप मेरा प्रिविलेज मोशन एडमिट करें, क्योंकि यह विषय आपका व्यक्तिगत नहीं है। यह लोकतंत्र का विषय है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रिविलेज कमेटी को यह विषय भेजिए।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** महोदया, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि स्पीकर के निर्णय को इस तरह से चैलेंज किया जाए। यह लोकतंत्र की हत्या है इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र, निशिकांत दुबे, पी.पी. चौधरी, सुधीर गुप्ता और रत्नलाल कटारिया को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू):** मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से निवेदन करता हूँ कि वो इस घटना को व्यक्तिगत न मानें क्योंकि यह प्रदर्शन माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध है। यह इस संस्था के विरुद्ध है। मैं पूरी सभा से और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हम संसद, माननीय अध्यक्ष, सभापति महोदय, भारत के राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री जैसी संस्थाओं की रक्षा करें। यहाँ, संसद में, हमने ग्यारह दिनों तक देखा है कि माननीय अध्यक्ष ने कितना धैर्य दिखाया है, उन्होंने कितना समझाया है; वे कितनी बार सदस्यों से मिलीं। उन्होंने एक बैठक भी बुलाई और उनसे अनुरोध भी किया। इसके बावजूद, उन्होंने क्या किया। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वे यहां नहीं हैं इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मुझे इससे दुःख होता है कि कोई माननीय अध्यक्ष के घर पर जाए और प्रदर्शन करें और धमकी दें कि वे माननीय अध्यक्ष का पुतला जलाएंगे और फिर माननीय अध्यक्ष पर पक्षपात होने का आरोप लगाते हैं। तो, आप संस्थानों से प्रभावी ढंग से चलने की उम्मीद कैसे करते हैं? यह ब्लैकमेलिंग के अलावा और कुछ नहीं है, यह धमकी देने के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे यह नहीं है कि किस पार्टी ने

ऐसा किया है। आज आप पीठासीन हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह संसदीय लोकतंत्र पर हमला है, यह व्यवस्था पर हमला है। इसलिए इसे गंभीरता से लेना होगा और सदन के नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही करनी होगी। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण भी हैं जहां श्री के. के. वेणुगोपाल और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अल्ताफ अहमद जैसे संविधान विशेषज्ञों ने भी इस मुद्दे पर न्यायालय में तर्क किए हैं।

मुझे नहीं लगता कि देश में किसी को इस मामले पर किसी तरह का विवाद हो सकता है। सुबह से समाचार पत्रों में इसके बारे में पढ़ने के बाद, मुझे बहुत पीड़ा हुई है। मैंने कुछ लोगों से बात की, न केवल इस पक्ष के बल्कि दूसरे पक्ष के भी। हर कोई हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप अध्यक्ष से असहमत हो सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोग अध्यक्ष से असहमत हुए हैं लेकिन अध्यक्ष की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाने, उन पर पक्षपात का आरोप लगाने और अध्यक्ष के घर पर जाकर प्रदर्शन करने जैसी बातें पहले कभी नहीं सुनी गईं। अध्यक्ष के घर जाने का क्या उद्देश्य है? फिर वे प्रदर्शन कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि वे अध्यक्ष का पुतला जला देंगे और अपने सिर मुंडवा देंगे, आदि। मुझे नहीं लगता कि संसदीय लोकतंत्र में विरोध करने का यह एक उचित तरीका है। विरोध करने के अन्य तरीके हैं। वे पहले दिन से क्या कर रहे हैं, यह सभी को पता है।

इसलिए, मैं माननीय अध्यक्ष से अपील करता हूँ कि इसे व्यक्तिगत रूप में न लें। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए। इसको विशेषाधिकार समिति के माध्यम से जाने दें और फिर मामले के गुण अवगुणों के आधार पर विशेषाधिकार समिति को समुचित कार्रवाई करने दें। यही एकमात्र अनुरोध है कि जो मेरे पास संसदीय कार्य मंत्री के रूप में है।

**माननीय अध्यक्ष :** बहुत-बहुत धन्यवाद। विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए आपके नोटिस मेरे विचाराधीन हैं। मैं उन पर विचार करूंगा।

**माननीय अध्यक्ष:** अब, सभा में 'शून्यकाल' चलेगा।

**श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल):** आदरणीय महोदया, माननीय रेल मंत्री द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किया गया रेल बजट स्वतंत्र भारत के इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत हैं। माननीय मंत्री जी उच्च प्रशंसा के पात्र हैं। कृपया मेरी बधाई स्वीकार करें। मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया डिब्बों का उचित रखरखाव और स्वच्छता सुनिश्चित करें, जिससे ऑनबोर्ड हाउस रखने वाले कार्मिक कम-से-कम लंबी दूरी में यात्रा कर सकें।

अब, महोदया, कृपया मुझे कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के तहत जानकारी देने की अनुमति दें जो काफी लंबे समय से लंबित हैं: कोप्पल स्टेशन को "बी" ग्रेड स्टेशन के रूप में अपग्रेड किया गया था। इसलिए, मैं आपसे मानदंडों के अनुसार नीचे उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। कृपया स्टेशन के लिए जूनियर स्वास्थ्य निरीक्षक को एक सफाई कर्मचारी प्रदान करें। कृपया रेलवे सुरक्षा बल की चौकी स्थापित करें और राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या में वृद्धि करें। पी.आर.एस. दो पालियों में होना चाहिए -पूर्वाह्न 8.00. से अपराह्न 2.00 बजे . और अपराह्न 2.00 बजे .से सांयकाल 8.00 बजे तक, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आरक्षण, कोच सूचना प्रणाली होनी चाहिए। कृपया शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के लिए एक फुट ओवर ब्रिज रैंप प्रदान करें। दूसरे और तीसरे प्लेटफॉर्म का काम टी.एफ.सी. को भानापुर या मुनीराबाद में स्थानांतरित करके शुरू किया जाना है। इसके अलावा, कृपया एक आरक्षण क्लर्क और टिकट परीक्षक कर्मचारी प्रदान करें। कृपया होस्पेट - बेंगलुरु / बेंगलुरु - होस्पेट यात्री ट्रेन संख्या .56909/56910 को गडग तक विस्तारित करें। कृपया बागलकोट, गडग, कोप्पल, होस्पेट और बेलारी के वाया विजयपुर और बेंगलुरु के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करें। साथ ही हुबली और कलबुर्गी के बीच गडग, कोप्पल, बेल्लारी और गुंटकल के बीच एक नई यात्री ट्रेन शुरू करें। बन्नीकोप्पा और गिनीगेरा स्टेशनों पर हम्पी एक्सप्रेस (16591/16592) का ठहराव होना चाहिए।

सेक्टर हुबली - चेन्नई - हुबली में चलने वाली ट्रेन संख्या .07324/07323 को अप्रैल, 2015 के महीने में एक विशेष ट्रेन के रूप में लाया गया था। यह पूरी भरी हुई रहती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे दैनिक और स्थायी बनाएं।

मैं आपसे हुबली और निजामुद्दीन के बीच कोप्पल, बेलारी, गुंटकल और सिकन्दराबाद होकर एक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का अनुरोध करता हूँ जो कर्नाटक के भीतरी इलाकों की यात्रा करने वाली जनता के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी।

वर्तमान में, हावड़ा और वास्को के बीच चलने वाली अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन संख्या .18407/18408 सप्ताह में चार दिनों के लिए चलती है। यह पूरी भरी हुई रहती है और इस प्रकार, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे एक दैनिक ट्रेन बना दें। यह ट्रेन वास्को से हावड़ा और हावड़ा से वास्को 40 घंटों तक चलती है लेकिन इसमें कोई पेंट्री कार नहीं है। इस सुविधा के अभाव में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए मैं आपसे एक पेंट्री कार प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** आपको इन सभी चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। नियम 377 के अधीन "शून्य काल" और मामलों के बीच अंतर है। यह नियम 377 के अधीन मायने नहीं रखता है। यह कोई चर्चा नहीं है। मुझे खेद है।

**श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल):** मैं एक मिनट लूंगा। निधियों और भूमि अधिग्रहण की कमी के कारण निम्नलिखित नई रेलवे लाइनें लंबित हैं। मैं आपसे पर्याप्त धनराशि मंजूर करने और परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की दृष्टि से कार्यों को शुरू करने का अनुरोध करता हूँ। वे हैं: मुनीराबाद - मेहबूब नगर; बेलारी - लिंगासगुर; कोप्पल - अलमट्टी और गडग - वाड़ी। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** कुमारी शोभा करंदलाजे को 'शून्यकाल' के दौरान आज श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा द्वारा उठाए गए मामले से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

**श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं खूब-खूब आभारी हूँ।

गुजरात के कई टोल रोड्स की शुल्क लागत पूरी होने के बाद भी टोल फी वसूल की जा रही है, जिसकी वजह से वाहन-धारकों का जो खर्च हो रहा है, उसे वह माल-सामानों की आवाजाही पर जोड़कर वसूल कर रहे हैं। बड़े वाहनों की टोल फी वसूली से महंगाई भी बढ़ रही है। इसलिए टोल रोड के दोनों तरफ तुरंत सर्विस रोड बनाना जरूरी है जिससे समग्र जिले के वाहन बिना टोल फी दिये आवागमन कर सकें, खासतौर पर गांव-खेड़ा के नागरिकों को यह सुविधा तुरंत मिलनी जरूरी है।

आपके माध्यम से रोड मंत्रालय से मेरी मांग है कि हर टोल मार्ग की टोल फी वसूल होने पर तुरंत फी वसूली बंद की जाए तथा इसके बारे सारी जानकारी लोक-पट से उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा जानकारियाँ ऑन-लाइन भी होनी चाहिए।

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आप ने मुझे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है।

महोदया, आप जानती हैं कि गुजरात के कई लोग विदेश में रहते हैं और विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां गुजराती लोग नहीं रहते हैं। खासकर, अमेरिका और यूरोपियन देशों में गुजरात के लोगों की बस्ती बहुत ज्यादा है। इसी कारण गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की अनुमति दी गयी थी। अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना और इसके साथ हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम उसके साथ जोड़ा गया है। मगर, आज स्थिति ऐसी है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट शाम को छः बजे से पूरी रात तक चालू रहता है। दिन में वहां से कोई उड़ान नहीं होती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए जो भी उड़ानें सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होती हैं, उनमें कोई भी डायरेक्ट नहीं होती है। पहले लंदन के लिए वहां से डायरेक्ट फ्लाइट होती थी। पर, आज सभी फ्लाइटें वाया दिल्ली या मुंबई होती हैं। इसी कारण से वहां जो पैसेंजर आते हैं, उनका सामान उसी दिन नहीं आता है, क्योंकि उन्हें या तो दिल्ली में या मुंबई में फ्लाइट बदलनी पड़ती है। उनका सामान वहां दूसरे दिन या तीसरे दिन आता है। जब वहां से बड़ा एयरक्राफ्ट आता है, तो उसके बाद छोटे एयरक्राफ्ट में कई मुसाफिरों को जगह नहीं मिलती है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए, ताकि मुंबई एयरपोर्ट पर ज्यादा भार न पड़े। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने ई-वीजा देने की घोषणा की थी। देश के सिर्फ छः एयर पोर्ट्स पर ई-वीजा की सुविधा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ई-वीजा की सुविधा दी जाए।

**श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) :** अध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में अभी माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य भी दिया है। मुंबई में 26/11 की आतंकी घटना के दौरान जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब के बाद कल हमारे जांबाज सैनिकों ने लश्कर-ए-तोएबा के आतंकवादी, जिसने अपना नाम मोहम्मद नावेद बताया है, उसे जिंदा पकड़ा है। इस आतंकवादी ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तानी है और इनके सारे आक्रा पाकिस्तान में बैठकर समय-समय पर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। कल भी हमारे दो सैनिक शहीद हो गए।

दिनांक 27 जुलाई, 2015 को पंजाब के गुरदासपुर में हुई आतंकवादी घटना का जिम्मेदार भी पाकिस्तान है। पाक सरकार के बार-बार इन्कार के बाद अभी हाल ही में पाकिस्तानी फेडरल एजेंसी के पूर्व प्रमुख तारिक कोसा ने स्वीकार किया कि मुंबई में 26/11 को जो हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान का हाथ है।

महोदया, मेरा आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि जब तक पाकिस्तान, भारत में आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करता, एवं 26/11 तथा गुरदासपुर की घटना की जांच करने में सहयोग नहीं देता, तब तक उससे कोई बातचीत न की जाए। दिनांक 23-24 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की प्रस्तावित बैठक को रद्द किया जाए और ऐसे देश से कोई बातचीत न हो। साथ ही, इस ज़िंदा पकड़े गए आतंकवादी के सहारे पाकिस्तान को अन्तराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जाए, ऐसी मेरी मांग है।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री सुधीर गुप्ता, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, कुमारी शोभा कारानन्दलाजे एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमन्द के मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड के बीच में संचालित होने वाली रेल बस की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उस रेल बस में बैठने की व्यवस्था केवल 72 की है, जबकि उसके अंदर 150 से ज्यादा लोग सफ़र करते हैं। इसके कारण वृद्धों, बीमार व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों को इससे सफर करने में बहुत बड़ी असुविधा होती है। वे लोग उस रेल में चढ़ भी नहीं सकते। पहले इस रेल बस को दोनों स्टेशनों के बीच आने-जाने में मात्र पन्द्रह मिनट का समय लगता था, लेकिन अब वही सफर 35 मिनट में पूरा होता है। इसका कारण उसके रास्ते में आने वाली दो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। वह मानव रहित क्रॉसिंग है। इसकी कारण से रेल बस का ड्राइवर वहां पर पहले नीचे उतरता है, उसका फाटक खोलता है, गाड़ी को पास कराता है और फिर उतर कर उस फाटक को बंद करता है और तब जाकर उस रेल को आगे ले जाता है। इसके कारण पन्द्रह मिनट का समय 35 मिनट में पूरा होता है। इस सफर में पहले करीब बारह-तेरह फेरे रोज हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति में वहां सिर्फ नौ फेरे हो रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस रेल बस सेवा को बंद कर डेमू ट्रेन की व्यवस्था की जाए, ताकि उन दोनों स्टेशनों के बीच में आने-जाने वाले लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** धन्यवाद अध्यक्ष जी। उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनावों से ही ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा विकास के लिए जो धन विभिन्न योजनाओं में दिया जाता है, उसका क्रियान्वयन भी इन संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा किया जाता है। इस समय सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस समय वहां की राज्य सरकार येन-केन-प्रकारेण इन संस्थाओं पर कब्जा करने के प्रयास में है और इसके लिए उन्होंने आरक्षण में गड़बड़ियां करना शुरू कर दिया है। इसके साथ उन्होंने अपने लोगों को बैठाने के लिए विशेषकर एक ही वर्ग, एक ही जाति के लोगों की थानों में नियुक्ति कर दी है। मैं तो समझता हूँ कि किसी एक जिले को देखा जाए तो 60 प्रतिशत तक एक ही जाति-वर्ग के अपने निजी लोगों को दारोगा नियुक्त किया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे ही सीओ भी नियुक्त किए जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं और यहां तक कि लोक सेवा आयोग के जो पद हैं, जिनमें अध्यक्ष का भी पद है, वहां भी एक ही जाति के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। अभी पुलिस में 40 हजार लोगों की भर्ती की गई है, जिनमें से 29500 लोग एक ही जाति के भर्ती किये गये हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** भैरों प्रसाद मिश्र जी, आप सभी विषय मैटर्स उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है।

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र:** अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां लोगों को उन थानेदारों के माध्यम से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है उन थानेदारों के माध्यम से, जिससे कि लोग उनके लोगों को वोट दे सकें।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो भी नियुक्तियां हों, उनकी जांच कराई जाए। तीन जिलों - इटावा और कन्नौज के एक ही जाति के 14000 लोगों की भर्ती की गई है। इस सबकी जांच कराई जाए और जो नियुक्तियां की गई हैं, उनमें हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। पहले हमेशा ऐसा होता था कि हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को थानों में नियुक्त किया जाता था। इसी हिसाब से थानों में नियुक्ति होनी चाहिए

और जो नियुक्तियां की गई हैं, उन्हें रद्द करके ऐसी कारगर व्यवस्था की जाए, जिससे कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हो सकें। इसके लिए केंद्रीय बल भी जाए और इन नियुक्तियों की जांच भी की जाए। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) :** महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर में पिछड़ा किसान कई मुसीबतों का सामना कर रहा है और अपने परिवार का कैसे पालन करे यह स्थिति उसके सामने है। इसके लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है जो पिछले समय की बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ था उसकी तहसील-वार सूचना देने के बाद किसानों को पचास प्रतिशत मुआवजा वितरित हुआ है। मुआवजे का भी प्रदेश सरकार के कारण राजनीति करण हो रहा है, जिससे किसान बहुत आक्रोशित है। अभी तक गन्ना किसानों को गन्ने की फसल का मूल्य नहीं मिला है। किसान मिल मालिकों से जब गन्ना मूल्य लेने जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। किसानों का भुगतान न होने के कारण प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, जो कि चीनी मिलों पर कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मेरा सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि सरकार किसानों को मुआवजा दिलाए और गन्ने का भुगतान कराए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. नैपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) :** अध्यक्ष महोदया, आपकी सदाशयता के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। बिहार कभी औद्योगिक विकास के क्षेत्र में वर्ष 1960 के पूर्व तक फूलता-फलता रहा है, लेकिन वर्ष 1960 के बाद राजनीतिक सत्ता की आकृति ने उसके जीवन में जहर घोलकर रख दिया है। अब वहां उद्योग धंधे नहीं, किसानों के पसीने की कीमत नहीं, बल्कि जातीयता, साम्प्रदायिकता और घात-प्रतिघात की फसलें बोई जा रही हैं। सन् 2014-2015 में गेहूँ की फसल भयानक रूप से मारी गई है। गेहूँ का जो भी उत्पादन हुआ, उसे सरकार ने नहीं खरीदा। बिहार गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में एक जमाने में उत्तर प्रदेश से बढ़ा-चढ़ा था। वहां पर 42 चीनी मिलें थीं,

लेकिन आज आठ का भी चलना मुश्किल हो रहा है। पिछले तीन-चार वर्षों से गन्ना किसान एक तरह से मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। उनकी लाड़ली बिटिया सुहाग के सिंदूर के लिए अपनी आंखों में आंसू लिए पड़ी हुई है। गन्ना किसानों का बिहार और बेगूसराय की चीनी मिलों पर हजारों करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। चीनी मिल मालिकों ने बेगूसराय के गन्ना किसानों को साफ कह दिया है कि आगामी सत्र से वे किसानों का गन्ना नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए यह लाभप्रद नहीं है। गन्ना किसानों के 60 प्रतिशत रुपए अभी तक चीनी मिल मालिकों पर बकाया हैं। वे भुगतान करने में असमर्थ हैं। उनका कहना है कि जब तक गन्ने से एथनॉल उत्पादन करने की अनुमति नहीं मिलेगी, वे किसानों से गन्ना नहीं खरीदेंगे। गन्ना किसान अपने भविष्य को लेकर मूर्छित पड़े हैं। राज्य सरकार की हेकड़ी अलग दुख दाई है। केन्द्र सरकार का समय-समय पर सूद मुक्त ऋण आबंटित करना भी उन्हें अब तक राहत नहीं पहुंचा पाया है। वास्तव में राज्य एवम् राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना किसानों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। किसान का वर्तमान और भविष्य भी लहलुहान दिखाई पड़ रहा है। इस देश में मनीषियों ने किसान को भगवान तक कहा। लेकिन आज वह भगवान खेत और खलिहानों में नहीं है, वह मंदिरों और मस्जिदों में परम्परागत आस्था बनकर रह गया है। हम भारत सरकार के गन्ना मंत्री और विशेषकर प्रधान मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि समाज के हर वर्ग के लिए आपका जो समर्पित जीवन है, वह किसानों के लिए भी देवता स्वरूप दिखाई पड़े, उन्हें मृत्यु शैया से उठाकर जीवन ज्योति जलाने के लिए अवसर प्रदान करें। इस ओर मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.पी. चौधरी और कुमारी शोभा करान्दलाजे को डॉ. भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सत्यपाल सिंह जी, आप भी गन्ना किसान की बात करना चाहते हैं।

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) :** अध्यक्ष महोदया, जैसे अभी डॉ. भोला सिंह जी कह रहे थे, मैं भी कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय है। लगभग 225 करोड़ रुपए उनके बकाया हैं। जो उद्योगपति मोदी हैं, उनकी दो मिल्स मोदी नगर और मलकपुर

में हैं। दोनों के अंदर हमारे पूरे प्रयत्न के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले वर्ष 231 करोड़ रुपए वहां से साइफन ऑफ किए गए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आज चीनी का दाम 23-24 रुपए प्रति किलोग्राम तक आ गया है। जो शूगर मिल्स चल रही हैं, वे कभी भी बंद हो सकती हैं, क्योंकि वे लाभ में नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि चीनी का दोबारा प्राइस कंट्रोल किया जाए। जब प्राइस कंट्रोल होगा, तब जाकर किसानों की हालत ठीक होगी और तब जाकर शूगर मिल्स सुचारु से चल पाएंगी।

**माननीय अध्यक्ष:** जगदम्बिका पाल जी, आपका भी यही विषय है इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहें।

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय सदस्य ने बागपत की बात कही है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज देश में 21,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का पिछली पेराई का बाकी है। केवल उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। गन्ना एक कैश क्रॉप नगदी फसल है। किसी भी किसान के परिवार में बेटी की शादी गन्ने की पचियों के भुगतान से हो पाती है। उसके बूढ़े माता-पिता का अस्पताल में इलाज और बेटे के स्कूल या कालेज की फीस भी गन्ने की पचियों के भुगतान से हो पाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि 15 जुलाई, 2015 तक गन्ना किसानों को चीनी मिल मालिकों द्वारा भुगतान कर दिया जाए। लेकिन उसका आज तक पालन नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को इस मामले में निर्देशित करे। अगर हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। इस साल तो अभी गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। जैसा बिहार के बारे में बोलते हुए श्री भोला सिंह जी ने कहा, श्री सत्यपाल सिंह जी ने कहा कि अगले साल किसानों के समक्ष गम्भीर संकट पैदा हो जाएगा कि उनके खेत में जो गन्ना है, वह अगले साल पेराई के काम में नहीं आ पाएगा। उसकी वजह यह है कि इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा कहा जा रहा है कि हम चीनी मिलों को नहीं चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा भयावह और गम्भीर संकट दूसरा नहीं होगा इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश

कभी मानचेस्टर कहलाता था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बजाज की चीनी मिलें बंद हो रही हैं, उससे स्थिति काफी विकट हो रही है। आप एक दिन समय दे दीजिए, जिससे इस विषय पर चर्चा हो सके।

**माननीय अध्यक्ष:** आप नोटिस दे दीजिए, मैं कर लूंगी।

**श्री जगदम्बिका पाल :** ठीक है।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री सुधीर गुप्ता को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, आप अपनी बात कहते हुए किसी पर भी एलीगेशन न लगाएं, क्योंकि आपने जो लिखा है, उससे मुझे ऐसा लगता है।

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** महोदया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।

महोदया, मैं मणिपुर में एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील लोकटक के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया है, उसने पांच सौ करोड़ रुपया दिया था। लोकटक झील इतनी बड़ी है कि उसमें लेगूनस हैं। वहां पंचायतों में रहते हैं, वहां कभी आतंकवादियों का अड्डा हुआ करता था आज वह असम राइफल्स की एक यूनिट का हेड क्वार्टर है। उसके लिए पांच सौ करोड़ रुपये दिया गया और उसके लिए इस झील का एक्सेस पानी मणिपुर नदी के रूप में म्यांमार में जाता है। यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूरी घाटी के चार-पांच जिले इस से पलते हैं। मछुआरों की संख्या वहां हजारों में है। उसकी आबादी कुल 22 लाख है, जिसमें से कम से कम चार लाख आबादी इससे अपना भरण-पोषण करती है। पांच सौ करोड़ रुपये का जो खर्च हुआ है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक कम्पनी के-प्रो इन्फ्रा लिमिटेड है, जिसके खिलाफ तमाम लोगों ने जांच की मांग की है, मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को और सीवीसी को भी पत्र भेजा है। मैं मणिपुर का प्रभारी होने के नाते उस मुख्यालय पर गया हूँ। मैंने अपनी आंख से देखा है कि उस पैसे का भरपूर दुरुपयोग हुआ है। वह पैसा भारत सरकार का है और मणिपुर में आज जो परिस्थिति बनी हुई है 8 जुलाई से कि लगातार वहां कर्फ्यू

है। हो सकता है कि लोगों को यह आरोप लगे और इस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए एक छात्र की गत 8 जुलाई से लाश रखी है, उसके माता-पिता उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उसके मुंह में पुलिस ने गोली मारी थी। सरकार को सिर्फ सस्पेंशन करना था। लेकिन वहां की सरकार का 8 जुलाई से आज तक रात में कफरू रहता है और दिन में हड़ताल का कफरू रहता है। आप कल्पना कीजिए कि 8 जुलाई से आज 6 अगस्त हो चुकी है, इतने लम्बे समय के बावजूद भी अगर वहां की सरकार ध्यान नहीं देती है, वहां का स्टेट बार काउंसिल, वहां की जनता मांग कर रही है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। वहां किसी प्रकार की पोलिटिकल पार्टी की गतिविधि नहीं है। हमारी राष्ट्रीय पार्टियों को मना कर दिया गया है कि हम अपना कार्यालय न चलाएं। वहां किसी सामाजिक संगठन की गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मणिपुर छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, इसको बर्बाद न होने दिया जाए। वहां की राज्य सरकार को तलब किया जाना चाहिए और इन पर कार्रवाई करके भ्रष्टाचारियों को सजा दी जानी चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री पी.पी.चौधरी, श्रीमती संतोष अहलावत, श्रीमती रीती पाठक, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री अजय मिश्रा टेनी और श्री सुधीर गुप्ता को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) :** अध्यक्ष महोदया, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता और प्रगतिशील सोच का परिणाम था कि सौ नए स्मार्ट सिटीज का विकास पूरे भारत में होना है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में 13 ऐसी स्मार्ट सिटी विकसित होनी हैं। प्रथम चयन प्रक्रिया में सहारनपुर तीसरे नंबर पर सेलेक्ट हुआ है। सहारनपुर तीन प्रदेशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, उत्तराखण्ड, हिमाचल और हरियाणा। सहारनपुर औद्योगिक दृष्टि से जाना-माना शहर है, काष्ठ कला उद्योग या होज़री उद्योग या वहां एशिया का बहुत बड़ा कपड़ा मार्केट रायवाला के नाम से प्रसिद्ध है। पास में ही सिद्धपीठ शाकुम्बरी देवी माता जी का मंदिर है। हर तरह से, इलाहाबाद के बाद अगर देखा जाए तो सहारनपुर में बहुत चौड़ी सड़कें हैं और सभी

संसाधनों से सम्पन्न है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से दो अनुरोध हैं, पहला है, स्मार्ट सिटीज़ विकसित करने का जो पहला चरण है जिसमें 20 शहरों को विकसित किया जाना है, उसमें सहारनपुर को भी शामिल किया जाए। दूसरा, स्मार्ट सिटी योजना का जो कार्य दल है, जिसका नगर-निगम क्षेत्र में अध्यक्ष नगर आयुक्त को बनाया गया है और नगर पालिका क्षेत्र में जिला अधिकारी को बनाया गया है, मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से जिला निगरानी समिति का अध्यक्ष क्षेत्रीय सांसद होता है, उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी योजना कार्य दल का अध्यक्ष भी सांसद होना चाहिए, क्योंकि जब तक लोकतंत्र में चुने हुए जन प्रतिनिधियों की आवाज नहीं रखी जाएगी, तब तक जनता की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। आपके माध्यम से मेरे सरकार से ये दोनों निवेदन हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री अजय मिश्रा टेनी और श्री सुधीर गुप्ता को श्री राघव लखनपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र जिला धौलपुर में नेशनल हाईवे-3 पर बने नवनिर्मित तीन पुलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस हाईवे पर बने तीन पुलों के कारण धौलपुर शहर दो भागों में विभाजित हो गया है। शहर के निवासियों को पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की तरफ जाने के लिए काफी लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है। इस हाईवे पर आये दिन दुर्घटनाएं होने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

मेरा आपके माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से आग्रह है कि धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे नम्बर 3 पर बनी तीनों पुलियाओं एवं नेशनल हाईवे नम्बर 3 की डिजाइन का पुनः सर्वे कराया जाए तथा तीनों पुलियाओं को जोड़ते हुए एक नई पुलिया बनाई जाए, जिससे धौलपुर शहर की जनता को आवागमन की सुविधा एवं दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भोला सिंह जी, आप बोलिये। आप यह ध्यान में रखिये कि आपकी जगह डा. भोला सिंह जी बोलकर गये हैं, ऐसा भी होता है।

**श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) :** अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में किसान विरोधी सरकार चल रही है और सरकार के मुखिया जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं तथा सदन को भी भ्रमित कर रहे हैं। अभी पिछली बार आदरणीय मुलायम सिंह जी ने सदन में बयान दिया था कि हमने उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली और पानी मुफ्त कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में किसान पूरी तरह से परेशान हैं, वहां बिजली की स्थिति बहुत खराब है। जब बिजली आती है तो किसान अपना ट्यूबवेल चलाकर अपने खेत तक फावड़ा लेकर जाता है, तब तक बिजली चली जाती है। अगर हम सिंचाई के लिए रजवाहों की बात करें तो रजवाहे आज भी सूखे पड़े हैं। कई जगह बाढ़ आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रजवाहों में आज भी पानी नहीं है। आज किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इस पूरी व्यवस्था से किसान परेशान हैं। वहां न किसान को बिजली मिल रही है और न पानी मिल रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में किसान बद्रहाल हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत सुधारने के लिए उसे हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रदेश सरकार पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) :** अध्यक्ष महोदया, आज सदन में किसानों की बात हो रही है तो मैं भी किसान की बात उठाने जा रहा हूँ। मेरा क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी दिल्ली है, जिसमें 85 गांव हैं और तकरीबन सभी गांवों में एक जैसी समस्या है। वर्ष 1961 का होम मिनिस्ट्री का रूल है कि जिनकी जमीनें डी.डी.ए, एक्वायर कर रही है, उन्हें अल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाने चाहिए। लेकिन आज 25-30 साल हो गये हैं, पहले फेज में कुछ दिया भी गया था, लेकिन दूसरे फेज में उन किसानों को अल्टरनेटिव प्लॉट नहीं दिये गये हैं। अब अल्टरनेटिव प्लॉट के दाम इतने अधिक हो गये हैं कि जितना उन्हें मुआवजा जमीन से मिला था, अपने रहने के लिए जो उन्हें अल्टरनेटिव प्लॉट देना चाहिए था, उसका मूल्य कई गुना बढ़ गया है। इसलिए पुराने रेट पर ही उन्हें

अल्टरनेटिव प्लाट दिया जाना चाहिए। लेकिन तमाम गांवों में उन्हें अल्टरनेटिव प्लाट नहीं दी जा रहे हैं। यह एक बहुत भयंकर शोषण है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वहां लोगों में बहुत बेचैनी है। मान लीजिए जिनकी दस एकड़ जमीन है, उसमें से नौ एकड़ अधिग्रहित की गई, केवल एक एकड़ अधिग्रहित नहीं हो पाई है तो उन्हें भी डिनाई किया जा रहा है। मेरा डीडीए से लगातार संवाद रहा है, वे कहते हैं कि दिया जायेगा, लेकिन वे देते हैं नहीं हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से निवेदन है कि उन्हें जल्दी से जल्दी अल्टरनेटिव प्लाट दिए जाएं। धन्यवाद।

**कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसलमेर जिले में एक फोर्ट है, वह एक लिविंग फोर्ट है, वह दुनिया में सबसे पहला फोर्ट है। करीब आज भी पांच हजार लोगों की आबादी उसके अंदर रहती है। वहां उसके अलावा हवेली, कैमल सफारी, जैन टैम्पल्स और सैंड ड्यून्स आदि हैं। वहां वर्ष 1996 में एयर सर्विसेज शुरू हुई थी, जो वर्ष 2001 तक चली। बाद में जब यहां पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो वहां से पाकिस्तान बार्डर नजदीक पड़ता है, तब आर्मी एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, जिसके कारण वह सर्विस बंद हो गई थी। आज उसे बंद हुए 14-15 साल हो गये हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। वहां सौ करोड़ रुपये की लागत का एक टर्मिनल भी बना हुआ है। हमने कई बार सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी कहा तथा पत्र भी लिखे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

मैडम, वहां बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां और कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। वहां केयर्न इंडिया, ओ.एन.जी.सी., रिलायंस सोलर पावर, सुजलोन इनर्जी, नालको, जे.एस.डब्ल्यू., कोल माइंस और ग्रेनाइट माइंस आदि बहुत कुछ है। वहां फिल्मों की शूटिंग भी होती है। मेरा कहने का मतलब है कि वहां बहुत कुछ है। इसलिए वहां से एयर इंडिया और अन्य उड़ानें शुरू की जा सकती हैं।

## **अपराह्न 01.00 बजे**

माननीय अध्यक्ष, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि जैसलमेर में नागरिक उड़डयन सेवाओं को अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिससे लोग और पर्यटक दोनों ही वहां आसानी से पहुंच सकें।

मैडम, राजस्थान में जो टूरिस्ट आता है, उसमें से हर दूसरा टूरिस्ट वहां जाना चाहता है। चूंकि डिस्टेंस दूर है, इसलिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। जोधपुर का एयरपोर्ट है, बड़े-बड़े नेताओं का वहां कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है कि अगर वहां एयरपोर्ट चला जाएगा तो जोधपुर में फ्लाइट पहले नहीं जाएंगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

**श्री एस. आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे लोक महत्व का एक तत्काल विषय उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में अभी तक कोई फूड प्लाजा नहीं है, जहां यात्री, विशेष रूप से, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले बैठ सकते हैं और विभिन्न विकल्पों के साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन और पेय पदार्थ ले सकते हैं।

फरवरी, 2015 में पुराने फूड प्लाजा को बंद करने और व्यस्त चेन्नई सेंट्रल के मुख्य कॉनकोर्स पर नए फूड प्लाजा को न खोलने के मुद्दे पर, सात महीने बीत जाने के बावजूद यात्रा करने वाले लोगों को असुविधा होती है, स्पष्ट रूप से अनुबंध के निर्णय पर दक्षिणी रेलवे और आई.आर.सी.टी.सी. के बीच मतभेद के कारण, तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

नए फूड प्लाजा को फिर से खोलना अटक गया था क्योंकि दक्षिणी रेलवे इसे चेन्नई सेंट्रल के अंदर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना चाहता था क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान स्थान ने मुक्त यात्री

आवाजाही में बाधा डाली, लेकिन आई.आर.सी.टी.सी. जोनल अधिकारी स्थानांतरण पर दक्षिणी रेलवे से सहमत नहीं थे क्योंकि निविदा पहले ही दी जा चुकी थी। एक नया सेवा प्रदाता, जिसने आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा जारी निविदा जीती, अभी भी दक्षिणी रेलवे द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्थान की प्रतीक्षा कर रहा है; और यह पता चला है कि उन्होंने दक्षिणी रेलवे द्वारा पेश किए गए दो वैकल्पिक स्थलों में से एक के रूप में व्यवहार्य स्वीकार कर लिया है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इस मामले की उचित जांच कराई जाए और इस मुद्दे को सुलझाने और फूड प्लाजा को जल्द खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाएं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) :** अध्यक्ष महोदया, 17 जून, 2015 को पश्चिम-मध्य रेलवे इटारसी रेलवे रूट पर रिले इंटरलिंगिंग में आग लगने के कारण साउथ से नॉर्थ जाने वाली जो ट्रेनें थी, वे रद्द हो गई थीं, जिसके कारण काफी यात्रियों को परेशानी हुई। आज भी 90% तो ठीक हो गया है, लेकिन 10% अभी भी उनका काम चल रहा है। इसके कारण नागपुर से जो ट्रेनें चलती थी, उनके कारण रोज 25-30 ट्रेनें रद्द होती थीं, और काफी बेराजगार युवा लोग थे, जिनको नौकरियों के इंटरव्यू देने के लिए भोपाल, ग्वालियर, झांसी और दिल्ली आना पड़ता था, उनका उसमें काफी नुकसान हुआ है। ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें सरकार का भी काफी नुकसान होता है। दो महीने काफी ट्रेनें रद्द हुईं, इसके लिए कोई न कोई अधिकारी तो जिम्मेदार होगा। सरकार को उसे पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन मेरी मुख्य मांग यह है कि हमारे बेराजगार नोजवानो का जो नुकसान हुआ है, जिसमें सरकारी कंपनियां हैं, मेरे लोक सभा क्षेत्र के लगभग साढ़े तीन सौ बेरोजगार युवाओं का और नागपुर लोक सभा के लगभग साढ़े छह सौ युवा बेराजगारों को वहां न पहुंचने के कारण उनका इंटरव्यू दोबारा नहीं लिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार को विभागों को आदेश देना चाहिए कि उस पर निर्णय लिया जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री अरविंद सावंत और श्री राहुल शेवाले को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) :** महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जहां हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ कम खर्च पर गरीबों को बेहतर इलाज मिले, कैसे मध्यम वर्ग और जनता को राहत मिले, इसके लिए प्रयासरत है। वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल और नर्सिंग होम इलाज के नाम पर लूट रहे हैं। महोदया, चूंकि इन अस्पतालों की फीस का कोई मानक निर्धारित नहीं है, इसलिए ये लोग मनमानी रकम मरीजों से वसूल करते हैं। वे मरीज अपने गहने और खेत बेच कर उनका भुगतान करते हैं। यहां तक कि लाशों को रोक कर भी वे लोग भुगतान लेते हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। दुख तो तब होता है, जब अपने अस्पतालों में मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं और उन मरीजों को विवश किया जाता है कि वहीं से दवाइयां लें। इस प्रकार की महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं, अस्पतालों में अधिक कमीशन और अधिक मार्जिन दे कर लूटते रहते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि इसका कोई नियमन हो। आज इस देश में कुली का भी रेट निर्धारित है। नगरपालिकाएं, नगर निगमों ने रिक्शे का भी रेट निर्धारित किया है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बनारस में तो तांगे वालों का भी रेट निर्धारित है, लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम्स की कोई रेट नहीं है, कोई मानक नहीं है, कोई नियमन नहीं है। कुछ बड़े नर्सिंग होम्स का तो कुछ सिस्टम है, लेकिन जैसे पूरब में एक कहावत है कि वह नया आगे डाट-डाट-डाट, प्याज ज्यादा खाता है, वैसे ही जो नए नर्सिंग होम हैं, ये और ज्यादा पैसा लेते हैं। ये कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, न उनके पास सिस्टम है, न कुछ है।

महोदया, इस नाते मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से यह प्रार्थना है, विनती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर ध्यान दे और पूरे देश स्तर पर कोई अथॉरिटी हो, कोई उसका रेगुलेटरी सिस्टम बनाएं, जिसके अन्तर्गत इनका रजिस्ट्रेशन, इनका पंजीयन हो।

महोदया, मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दें, जिससे सदन के सारे माननीय सदस्यों की भावनाएं आ जाएं। इस पर देश में एक कानून बनना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री अजय मिश्रा टेनी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री पी.पी.चौधरी, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्रीमती संतोष अहलावत, श्रीमती रीती पाठक को डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश के विभिन्न जनपदों में जमीन के सर्किल रेट में वृद्धि किए जाने का क्रम निरन्तर चलता रहता है। आजकल उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में यह किया जा रहा है, दिल्ली में भी किया जा रहा है, बिधूड़ी जी को इस बात की पूरी जानकारी है। ऐसा प्रायः रजिस्ट्री के माध्यम से अधिक व उचित राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, परन्तु इस बार ऐसा करते समय एक तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। गत् दो-तीन वर्षों में जमीन की दरों में वृद्धि होने के स्थान पर गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप अनेक स्थानों पर जमीन की वास्तविक दरें, जिन्हें हम बाजार मूल्य भी कह सकते हैं, निर्धारित सर्किल रेट से कम हो गई हैं। पुनः वृद्धि किए जाने पर वास्तविक दरों की अपेक्षा सर्किल दर और भी अधिक हो जाएगी। सर्किल दरें बढ़ जाने पर इस उद्योग में व्याप्त मंदी और भी बढ़ेगी तथा राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होने की उम्मीद भी पूरी नहीं होगी। इसके साथ ही बैंकों से सर्किल दरों के आधार पर लिए जाने वाले ऋणों को न चुकाकर वास्तविक रूप से कम मूल्य की बंधक सम्पत्ति को छोड़ देने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। जमीन के बाजार मूल्य की अपेक्षा सर्किल दरें बहुत अधिक होने के कारण नोएडा एवं गाजियाबाद के इस प्रकार के अनेक उदाहरण मेरे संज्ञान में लाए गए हैं, जिनमें ऊँची सर्किल दरों के आधार पर बैंकों से लिए गए भारी ऋण को लेकर व्यक्ति जमीन छोड़कर गायब हो गए हैं। ऐसे मामले में स्वाभाविक रूप से बैंक के कतिपय अधिकारियों की भी सांठगांठ रहती है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्किल रेट बाजार भाव की अपेक्षा अधिक न हो, अन्यथा प्रदेश सरकारों के निर्देश पर जिलाधिकारियों द्वारा अधिक राजस्व की तात्कालिक प्राप्ति के लालच के परिणामस्वरूप बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम):** माननीय अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे 'शून्य काल' में बोलने का अवसर दिया।

महोदया, मैं इस अवसर का उपयोग एक ऐसा मुद्दा उठाने के लिए करना चाहूंगा जिसका सामना आंध्र प्रदेश के किसानों को करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, वर्षा में कमी, कृषि तकनीकों और कृषि मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण उनके कृषि उत्पादन में बड़ी गिरावट आई है। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को पायलट योजना के रूप में भारत में पेश किया गया था। पिछले साल मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीकाकुलम में इसे लागू किया गया था, लेकिन इस साल इसे लागू नहीं किया जा रहा है और यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र और अन्य जगहों पर भी किसानों के लिए एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। इसलिए, मैं सरकार से योजना को पुनः शुरू करने का अनुरोध करता हूँ।

यदि भारत सरकार के पास धन या अवसंरचना की कोई अनुपलब्धता है, जैसा कि हमने हाल ही में बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफ.डी.आई. किया है, उसी तरह से वे कृषि क्षेत्र में भी एफ.डी.आई. को लागू करें ताकि किसान बीमा योजना राष्ट्रीय स्तर पर हो और इस योजना के माध्यम से सभी किसान लाभान्वित हों। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

**श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर):** महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, भंडारा, गोंदिया तथा नागपुर का कुछ भाग आता है, मैं इन जिलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह धान की फसल लेने वाला क्षेत्र है। विगत वर्ष के दौरान अतिवृष्टि की वजह से धान की फसल को भारी क्षति हुई और किसानों को धान का लाभकारी मूल्य भी नहीं मिल पाया था। इस वर्ष कम वर्षा होने की वजह से धान की बुआई पर बुरा असर पड़ा हुआ है और इसकी वजह से धान कृषकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष भी बेमौसम तथा कम बारिश होने से किसान चिन्ता में है। विगत वर्ष किसानों की जो फसल आई है, उसे बाज़ार में पर्याप्त मूल्य न मिलने के कारण किसानों के घर तथा गोदाम में माल पड़ा हुआ है। किसान अगर धान बेचना चाहे तो व्यापारियों को कौड़ियों के मोल बेचना पड़ता है। इस स्थिति में किसान भारी असंतोष में है। अगर किसानों की फसल का सही दाम नहीं मिल पाया तो किसानों को आत्महत्या करने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को उत्पादन खर्च के आधार पर सरकार न्यूनतम लाभकारी मूल्य प्रति क्विंटल 2500 रुपये देने की घोषणा करे जिससे धान उत्पादक कृषकों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

**श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मानसून सत्र में आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया है। मैं देश, प्रदेश और अपने जिले की बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाना चाहती थी, पर अफसोस की बात है कि मेरे विपक्ष के साथियों ने मुझे उससे वंचित कर दिया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि झुंझुनू जिला चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। मेरे जिले में बहुत बड़ा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ आधुनिक सुविधाएँ और तमाम मशीनें हों। किसी भी प्रकार के बड़े हादसे या बीमारियों के लिए हमें दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता है जो 300-350 किलोमीटर

की दूरी पर है। इससे बहुत से लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे जिला अस्पताल को.....(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह स्टेट मैटर है। आप बोलिये।

**श्रीमती संतोष अहलावत:** हमारे जिला अस्पताल को या तो अपग्रेड करें या सार्वजनिक निजी भागीदारी में, पीपीपी मोड में हमारे यहाँ एक बड़ा अस्पताल स्थापित करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पिछले एक हफ्ते से इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपने मुझे दुती चंद के लिए इस सरकार ने जो किया है उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। हालांकि खेल मंत्री यहां नहीं हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देना चाहूंगा।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पिछले साल एथलेटिक्स महासंघों के अंतरराष्ट्रीय संघ की हाइपरएंडोर्जेनिज़्म नीति के उल्लंघन के कारण ट्रैक और फील्ड जगत के उभरते सितारे दुती चंद को अयोग्य घोषित कर दिया था। यह नीति महिला खिलाड़ियों को महिला श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है यदि स्वाभाविक रूप से उत्पादित टेस्टोस्टेरोन, प्राथमिक पुरुष हार्मोन, उनमें अनुमेय या स्वीकार्य सीमा से परे पाया जाता था। पूर्व में, पिछले दस वर्षों के दौरान और आज की दुनिया में भी किसने कल्पना की थी कि एक भारतीय महिला एथलीट - जो एक गांव की बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से आती है और नदी किनारे की रेत पर दौड़ने की कोशिश की थी - इसे एथलेटिक्स महासंघों के अंतरराष्ट्रीय संघ में ले जायेगी और इस निर्णय को चुनौती देगी ? यह केवल इसलिए हो सका क्योंकि भारत सरकार का खेल मंत्रालय उनके साथ खड़ा था। यह विवाद लॉसने, स्विट्जरलैंड में खेलों के लिए मध्यस्थता न्यायालय में उठाया गया था। वहां, आम तौर पर वाणिज्यिक या अनुशासनात्मक प्रकृति से संबंधित विवाद उठाए जाते हैं, लेकिन दुती चंद का मामला असाधारण था। इसने हाइपरएंडोर्जेनिज़्म से संबंधित एक विवादास्पद विनियमन पर सवाल उठाया जिसने उसे प्रतिस्पर्धा करने से रोका। कैस (सी.ए.एस.)ने अंतरिम पुरस्कार दिया है।

इससे पहले, एथलीटों, विशेष रूप से हाइपरएंड्रोजनिज्म वाली महिलाओं को सुधारात्मक सर्जरी से गुजरने के लिए कहा गया था, जिसे उन्हें एक हार्मोन उपचार से भी गुजरना था। दोनों के शारीरिक और मानसिक परिणाम होते हैं। यह वही है जो दुती चंद ने करने से इनकार कर दिया। यह मामला हमारी विधानसभा में उठाया गया था। मुझे भी आपकी अनुमति के बाद इस सदन में इसे उठाने का अवसर मिला था। इसलिए हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया और खेल मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था। इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि सरकार इसे उच्चतम स्तर पर उठाएगी। वास्तव में, खेल मंत्री, भारत सरकार स्वयं उनके बचाव में आई। सरकार ने भी उनकी ओर से इस मामले में लड़ाई लड़ी। दुनिया के कई कोनों के शोधकर्ताओं और वकीलों की एक सेना भी उनके साथ खड़ी थी। अब, यहां सवाल यह है कि खेल के मध्यस्थता के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले, जिसने दो साल के लिए आई.ऐ.ऐ.एफ.की उक्त नीति को निलंबित कर दिया, ने बहस के लिए सेक्स-आधारित भेदभाव के मुद्दे को उजागर और खोला है। सरकार यौन-आधारित भेदभाव पर उक्त निर्णय को उचित सम्मान देते हुए पुरुष और महिला प्रतिद्वंद्वियों के बीच विभाजन रेखा की निगरानी कैसे करेगी? यह एक मुद्दा है, और मुझे उम्मीद है कि सरकार पर्याप्त सावधानियां लेकर आएगी ताकि भविष्य में इस तरह का भेदभाव न हो।

**श्रीमती बनाम सत्यबामा (तिरुप्पुर):** धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया, और आपकी अनुमति से, मैं इस स्थान से बोलती हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** ठीक है।

**श्रीमती वी. सत्यबामा:** यात्रा करते समय, माताओं को बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, और उन्हें अपने शिशुओं को खिलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्तनपान कराने वाली माताओं को उनकी यात्रा और उनकी गोपनीयता के लिए सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अम्मा ने हाल ही में राज्य भर में 352 बस टर्मिनलों पर अलग-अलग कमरों का उद्घाटन किया है। अम्मा ने पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में माताओं का दूध बैंक भी शुरू किया है। इन दो

पहलों की शुरुआत पूरी तरह से 'विश्व स्तनपान सप्ताह' के साथ मेल खा रही थी। यह योजना यात्रा पर जाने वाली कामकाजी माताओं और माताओं के लिए सबसे उपयोगी है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगी कि वह तमिलनाडु सरकार के मॉडल का अनुकरण करे और देश भर में एक योजना शुरू करे, जिसका नाम 'राष्ट्रीय अम्मा शिशु आहार योजना' रखा जाए, जिससे निश्चित रूप से उनकी मदद की जा सके। इसके अलावा, केंद्र सरकार देश के रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर इस उद्देश्य के लिए आवंटित स्थान में महत्वपूर्ण दवाएं, खिलौने, पेयजल, दूध पाउडर आदि रखने के बारे में भी सोच सकती है। धन्यवाद, महोदया।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती वी. सत्यबामा द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

**डॉ.कुलमणि समाल (जगतसिंहपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र, जगतसिंहपुर, ओडिशा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मानसून के कारण हुई भारी बारिश और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण महानदी नदी में बाढ़ इसके तटबंध में दरारें पड़ जाती है। दरारें जो अचानक होती हैं, उससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र जगतसिंहपुर, ओडिशा में बहुत तबाही और विनाश पैदा होता है। हालांकि, नदी के किनारे तटबंध के कमजोर हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से रेत से भरे बोरे डालकर नवीनीकृत किया जाता है, विशेष रूप से, मानसून शुरू होने और भारी बारिश से बाढ़ आने से पहले, फिर भी तटबंध को बरकरार रखना स्थायी समाधान नहीं है। इस संबंध में, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि पारादीप के पास महानदी नदी के किनारे तटबंध के कमजोर हिस्सों को कंक्रीट किया जाए और पूरे तटबंध के रोपण की योजना शुरू की जाए ताकि बाढ़ के कारण आर्यीं दरारों की तीव्रता और मेरे निर्वाचन क्षेत्र जगतसिंहपुर, ओडिशा के गरीब लोगों पर इसके प्रभाव की गंभीरता को कम किया जा सके। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** श्री सुनील कुमार सिंह हैं? वे भी यही बाढ़ वाली बात उठाना चाहते थे।

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदया, झारखण्ड राज्य में तीन सप्ताह से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर हैं। कई नदियों में पुल नहीं होने के कारण और बांध के टूटने के कारण पानी गांवों में, खेतों में पूरी तरह से फैल गया है। खासकर मेरे लोक सभा क्षेत्र के चतरा जिले में 100 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। इन गांवों का दूसरे स्थानों से सम्पर्क टूट चुका है और पानी के तेज बहाव के कारण प्रखण्ड और जिले के बीच सम्पर्क पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बन्द हो चुका है। पानी के तेज बहाव के कारण कुन्दा, प्रतापपुर, गिद्धौर, चतरा, सदर, कान्हाचट्टी, हंटरगंज, पत्थलगडा आदि प्रखण्डों के सैकड़ों कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं। समिरिया प्रखण्ड में कई घर ध्वस्त हो जाने से घरेलू सामान भी खराब हो चुका है। बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती तूफान कोमेन का असर पड़ा है और खेतों की फसल तबाह हो चुकी है। खासकर, बहुलिया नदी, घटोरी नदी, मोरहर नदी, सिसइ नदी और काबरा नदी के क्षेत्र की पूरी आबादी इससे प्रभावित है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीम को भेजकर वहां राहत सामग्री तुरन्त उपलब्ध करायी जाए और आवागमन चालू करने के उपाय शीघ्र किए जाएं। साथ ही, बाढ़ पीड़ितों को आपदा सहायता कोष से सहायता धनराशि उपलब्ध कराई जाए और खेतों में फसल की खराबी का आकलन कर सहायता प्रदान की जाए।

**अपराह्न 01.21 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।*

**अपराह्न 02.33 बजे**

लोक सभा दो बजकर तैंतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए )

**नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष :** अब सदन नियम 377 के तहत मामलों को उठाएगा। श्री सुनील कुमार सिंह।

(एक) झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दी गई निविदा में पाई गई

अनियमितताओं के बारे में

[हिन्दी]

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** महोदय, कुछ राज्यों की निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए झारखण्ड, बिहार एवं उत्तर पूर्व की राज्य सरकारों के साथ तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री के निर्देशानुसार केन्द्र प्रायोजित 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के कार्यों को पूरा करने के लिए सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट और राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय करार संपन्न किया गया है, जिसके बाद इनको काम करने के लिए राज्य सरकार के कैबिनेट ने त्रिपक्षीय करार हेतु अनुबन्ध का एक प्रपत्र निर्धारित किया। झारखण्ड राज्य में कैबिनेट के फैसले का उल्लंघन करते हुए तय प्रपत्र के अनुरूप करार नहीं किया गया। सरकार लेखा नियमों के अनुरूप किसी भी ठेके में ठेकेदार को चाहे वह पी.एस.यू. ही क्यों न हो, ओपन एन्डेड टेण्डर नहीं दे सकती है। निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रकृति, कार्य का परिमाण और कार्य के अनुरूप धनराशि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

लेकिन इसमें ओपेन एनडेड टेण्डर दिए गए। साथ ही ग्रामीण विकास के नाम से चलाये जा रहे 'सरयू एक्शन प्लान' और 'सरण्डा एक्शन प्लान' जिसकी निगरानी और देख-रेख भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा था, आज भी यह अधूरा पड़ा है। नियमों को दरकिनार कर इन एक्शन प्लानों के तहत आने वाली धनराशि को इसके क्षेत्र से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है। समाचार-पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि झारखंड राज्य विधान सभा की एक समिति भी इसकी जांच हेतु बनी हुयी है। अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूरी प्रक्रिया में लेखा नियमों के उल्लंघन तथा गलत रूप से निविदा देने के मामले की जांच करवाने के लिए केन्द्र एक विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) गठित करे तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त कर कार्रवाई करे।

(दो) महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान 12.00 मध्यरात्रि तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में चतुर्थी का त्यौहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार धार्मिकता से बढ़कर सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक है। इस त्यौहार में पूरे दस दिनों तक सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। गणेश चतुर्थी के त्यौहार में पूजा अर्चना के साथ-साथ शाम को लोक संस्कृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो देर रात तक चलते हैं। परन्तु लाउड स्पीकार बजाने की अनुमति सिर्फ रात्रि 10 बजे तक ही दी जाती है। इससे लोक संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए बहुत कम समय मिल पाता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर दस दिनों के कार्यक्रमों के लिए लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति रात्रि 12 बजे तक अवश्य दी जाये। यदि सरकार चाहे तो लाउड स्पीकर की आवाज की सीमा निश्चित कर दे। सरकार से प्रार्थना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में शपथ-पत्र दाखिल करे ताकि इस पर बैन रद्द हो सके। ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आवाज की सीमा भी तय की जाए एवं इस सांस्कृतिक त्यौहार और नवरात्रि में रात्रि 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी जाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांवों के विद्युतीकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री कीर्ति वर्धन सिंह (गोंडा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में 'राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के स्थिर पड़े कार्य की ओर माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके कारण 1054 ग्राम पंचायतों के 1836 गांवों का विद्युतीकरण अधर में है। 300 से अधिक आबादी के मजरो के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण की 11वीं योजना का कार्य 'कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम' को दिया गया था एवं 100 से 300 तक आबादी वाले मजरो का कार्य 12वीं योजना के अन्तर्गत एक कम्पनी को दिया गया था। समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा इस कार्य हेतु एक प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति के 6 माह बाद भी कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। जहां तक उपरोक्त कम्पनी का सवाल है, इसे बिजली के खम्भों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कुछ मजरो में इनका कार्य हुआ है किन्तु एक भी मजरा संतुप्त नहीं किया गया है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध है कि ग्रामीण जनता के कष्टों को ध्यान में रखते हुए इस रुके पड़े कार्य को अतिशीघ्र शुरू कराया जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश में आनन्दनगर-महाराजगंज-घुघुली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज):** माननीय अध्यक्ष महोदया, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आनन्दनगर-महाराजगंज-घुघुली रेल मार्ग का निर्माण कराने के लिए सर्वे आदि का काम पूरा हो चुका है। इस संबंध में योजना आयोग से इस शर्त के साथ सैद्धांतिक अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के लागत की कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए। तदनुसार इस परियोजना को 307 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने की लागत में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी वहन करने तथा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। इस रेल मार्ग के निर्माण से पूर्वोत्तर की ओर से आने-जाने वाली ट्रेनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों को रेल मार्गों से जोड़ने की योजना भी है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त रेल मार्ग के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति देने की कृपा करे।

**(पांच) बरौनी तेल शोधक कारखाने में औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) :** महोदय, बरौनी तेल शोधक कारखाने ने अपनी 50वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई है। इस स्वर्ण जयंती दिवस के अवसर पर माननीय पेट्रो रसायन एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने अपनी उपस्थिति से इसकी गरिमा बढ़ाई थी। हर्षोल्लास के माहौल में उनका उद्बोधन भी हुआ और उनकी घोषणाएं भी हुईं। इस दिशा में उनके मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक कदम भी उठाए गए। लेकिन 50 वर्षों बाद भी इस तेल शोधक कारखाने के नेप्था से जो पेट्रो केमिकल कारखाने की एक दर्जन से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होनी थी, वह नहीं हुई। पेट्रो केमिकल के लिए उनके द्वारा भी एक यूनिट स्थापित करने के प्रयास हुए। कुछ अन्य औद्योगिक यूनिटों के जन्म एवं विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि माननीय पेट्रो रसायन एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी द्वारा जो घोषणाएं हुई हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए तत्परता से कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

(छह) उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पैकेज प्रदान करने और ऋण माफ़ करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):** महोदय, वर्ष 2013 में केदारनाथ घाटी में भयंकर जल प्रलय आई थी जिससे पूरी घाटी का सामाजिक, आर्थिक जीवन तहस-नहस हो गया था। इस भयावह त्रासदी में दस हजार से अधिक लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा कई हजार लोग लापता हुए थे। साथ ही इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भयंकर क्षति हुई थी। केवल पर्यटन क्षेत्र में 12 हजार करोड़ की हानि का प्राक्कलन किया गया है। आज भी वहां के लोग इस भयावह त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां के बस, टैक्सी, होटल एवं लॉज मालिकों से बैंकों द्वारा कर्ज वसूलने हेतु लोगों की सम्पत्ति कुर्क की जा रही है। क्षेत्रीय लोग बैंकों के इस अमानवीय व्यवहार से त्रस्त हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र क्षेत्र के लिए राहत पैकेज दिया जाए, प्रभावितों के कर्ज माफ़ किए जाएं और राहत धनराशि की निगरानी को केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले।

(सात) दिल्ली में दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन को आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से जोड़े जाने की

### आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) :** महोदय, दिलशाद मेट्रो स्टेशन और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन दो महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन हैं। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी केवल 3.5 किलोमीटर है। जितनी भी ट्रेनें और बसें उत्तर प्रदेश और बिहार से आती हैं, उनमें सफर कर रहे यात्रियों को यदि शाहदरा जाना हो या पश्चिमी अथवा उत्तरी दिल्ली जाना हो तो लगभग सभी यात्री बस, ट्रेन या रिक्शे का प्रयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल मेट्रो का ही उपयोग करना चाहे तो उसे पहले आनंद विहार से राजीव चौक (कनाट प्लेस) तक जाना पड़ता है और राजीव चौक से कश्मीरी गेट का लम्बा रास्ता तय करना पड़ेगा। इन दोनों स्टेशनों के बीच पड़ रही सड़क चौधरी चरण सिंह मार्ग की यातायात की स्थिति भी दिन-प्रतिदिन और व्यस्त होती जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार आई.एस.बी.टी. दोनों बहुत बड़े हब (केन्द्र) बन चुके हैं। यदि यहां पर आने-जाने वाले यात्रियों को आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सुविधा मिल जाए तो उसके कई गुना लाभ होंगे। यह सुविधा यात्रियों के लिए बहुत सहूलियत लाएगी, यातायात की स्थिति भी बहुत बेहतर हो जाएगी और साथ ही साथ समय, पैसा और ऊर्जा की बड़ी बचत होगी।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में आनंद विहार तथा दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशनों को यथाशीघ्र मेट्रो से जोड़ने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(आठ) मध्य प्रदेश के दतिया जिले में प्रस्तावित 342 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्थापना में तेजी  
लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**डॉ. भागीरथ प्रसाद :** महोदय, मध्य प्रदेश के जिला दतिया के भांडेर (तहसील) में नेप्था में 342 मेगावाट विद्युत परियोजना मैसर्स एस्सार पॉवर (ग्वालियर) लिमिटेड, मुम्बई को कारखाना लगाने के लिए भारत सरकार से समझौता दिनांक 14 सितम्बर, 1995 में हुआ था। दिनांक 5 मार्च, 1998 को परियोजना की लागत 1116 करोड़ रुपये स्वीकृत हुई। उक्त परियोजना में भांडेर के 112 गरीब किसानों की 150 हेक्टेयर कृषि भूमि का अधिग्रहण उक्त कम्पनी द्वारा किया गया था तथा विद्युत परियोजना में कृषकों के प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को नौकरी देना का तय हुआ था। आज 17 साल बीत चुके हैं, योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, 150 हेक्टेयर जमीन आज भी कंपनी के पास है, उस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। किसानों की जमीन छीन लिए जाने से संकट की स्थिति बढ़ी है। विद्युत सप्लाई भी बहुत कमजोर है। ऐसी अन्यायपूर्ण स्थिति में भारत सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि उक्त परियोजना का क्रियान्वयन यथाशीघ्र कराया जाए और 150 हेक्टेयर उपलब्ध भूमि में वैकल्पिक योजना बनाई जाए जिससे उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके और इस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके।

## (नौ) सिंचाई हेतु अधिक निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला):** महोदय मैं माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कम बारिश के पूर्वानुमान ने न केवल भारतीय किसानों की चिंता बढ़ा दी है बल्कि कृषि मजदूरों की भी चिंता बढ़ा दी है, जो पूरी तरह से अच्छी फसलों पर निर्भर हैं। इसलिए मैं सरकार से सिंचाई के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना से कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की मदद करने के लिए मैं माननीय कृषि मंत्री से मनरेगा के तहत कार्यों की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध करता हूँ।

**(दस) महाराष्ट्र में कल्याण-टिटवाला-मुरबाड हेतु नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी (महाराष्ट्र) में मुरबाड तहसील है जो मध्य रेलवे के टिटवाला स्थान से केवल 15 किलोमीटर दूर है और कल्याण से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मुरबाड तहसील के अन्तर्गत एम.आई.डी.सी. क्षेत्र आता है, जिसके कारण यहां रोजगार हेतु भारी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। इस क्षेत्र में आयात-निर्यात का एकमात्र साधन निजी सड़क ट्रांसपोर्ट है, जिसके कारण यहां के लघु उद्योगों को राष्ट्र पटल पर अपनी पहचान बनाने में मुश्किल हो रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कल्याण-टिटवाला-मुरबाड तक रेलवे की नई लाइन बिछाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस रेलवे लाइन के निर्माण हेतु रेलवे का खर्च कम आयेगा परन्तु रेलवे को मुनाफा अधिक होगा। साथ ही यहां के लघु उद्योग भी राष्ट्र पटल पर अपनी पहचान बना पायेंगे।

**(ग्यारह) राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के चक राजासर, नोहर तहसील में एक परिवार की हत्या की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री राहुल कस्वां (चुरू) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू के चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में दिनांक 21.6.2009 की मध्य रात्रि को एक अत्यन्त गरीब परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें दो मासूम बच्चियों व उनके माता-पिता की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में इसी परिवार की बालिका कुमारी अनीषा जीवित रह गयी, जो अपने मां-बाप व दो बहिनों के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस हत्याकांड की जांच सी.बी.आई. से करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को दो बार अनुशंसा की है, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस हत्याकांड की जांच सी.बी.आई. से नहीं करवाने के लिए यह कहते हुए मना कर दिया कि यह हत्याकांड पांच वर्ष पुराना है। तीसरी बार पुनः राजस्थान सरकार ने राजासर हत्याकांड की जांच सी.बी.आई. से करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिसका गृह मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आया है। उस दौरान राजस्थान सरकार की सभी एजेंसियां राजस्थान पुलिस सी.आई.डी., सी.बी., संभागीय आयुक्त की टीम न्याय दिलाने में असफल रही है, जिससे राजस्थान की सभी जांच एजेंसियों से जनता का विश्वास उठ गया है। पीड़िता को सी.बी.आई. जांच के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए चार वर्ष से गांव राजासर के लोग व पीड़िता उप खण्ड अधिकारी कार्यालय, नोहर जिला हनुमान गढ़ के आगे अनशन व धरने पर बैठी हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राजासर हत्याकांड की जांच सी.बी.आई. से करवाने के आदेश दिए जाएं, ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू (राजस्थान) के सबसे बड़े निर्मम हत्याकांड की सच्चाई सामने आ सके व इस मासूम बच्ची को न्याय मिल सके।

(बारह) पावर स्टेशन हेतु कोयले के परिवहन हेतु रेलवे द्वारा ढुलाई का युक्तिकरण किये जाने की  
आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे फ्रेट की मौजूदा संरचना के अनुसार कोयला खदानों के पास स्थित बिजली स्टेशनों को दूर किया जा रहा है। इससे यहां मौजूदा टैरिफ स्ट्रक्चर के अनुसार दूरी बढ़ जाती है, जिससे रेलवे फ्रेट भी बढ़ जाता है। इसलिए कोयले की रेल फ्रेट बहुत ज्यादा है और कोयले को उतारने की लागत गुजरात के दूर स्थित पावर स्टेशनों के लिए बहुत अधिक है। यह शुल्क कुछ इस तरह पड़ता है-पश्चिमी तट के लिए इण्डोनेशिया से आयातित कोयले की ढुलाई 3150 प्रति मीट्रिक टन, आस्ट्रेलिया से भारतीय तट 725 रुपये प्रति 1000 मीट्रिक टन। भारतीय रेलवे भी मानसून अवधि के तीन महीने छोड़कर लगभग पूरे वर्ष के लिए व्यस्त मौसम अधिभार वसूलता है। गुजरात के दूर स्थित पावर स्टेशनों के लिए कोयले की ढुलाई के लिए रेल भाड़ा प्रति यूनिट ईंधन लागत के बारे में 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत लेता है जो बहुत अधिक है। इसके रिजल्ट के अनुसार जी.एस.ई.सी.एल. की बिजली स्टेशनों को योग्यता के आदेश से बाहर धकेल दिया जाता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रेल भाड़े का युक्तिकरण किया जाए तथा बिजली उत्पादन के लिए कोयले की लम्बी दूरी की ढुलाई के लिए माल-भाड़े को तर्क संगत बनाया जाये।

## (तेरह) तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त हज कोटा जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**श्रीमती के. मरगथम (कांचीपुरम):** तमिलनाडु राज्य हज समिति को हज वर्ष 2015 के लिए तीर्थयात्रियों से 15,032 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारत की हज समिति ने इस साल तमिलनाडु को केवल 2585 सीटों का कोटा आवंटित किया है। हज वर्ष 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1699 तीर्थयात्रियों को आरक्षित श्रेणी के तहत चुना गया है, जबकि 886 सीटों का उपयोग सामान्य श्रेणी के तीर्थयात्रियों के लिए किया गया है। इससे 12,000 आवेदकों को निराशा हुई है। पिछले वर्षों के दौरान, केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सीटें जारी की थीं, जिससे बड़ी संख्या में तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों को हज करने में सक्षम बनाया गया था। कुल 3696 और 2858 तीर्थयात्रियों ने क्रमशः वर्ष 2013 और वर्ष 2014 के दौरान हज किया है। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री पहले ही इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त हज कोटा जारी किया जाए ताकि अधिक तीर्थयात्री इस वर्ष हज कर सकें।

**(चौदह) वन और अन्य वन्यजीव देखभाल सेवाओं हेतु प्रतिपूर्ति वानिकीकरण निधि स्थापित किये जाने की आवश्यकता**

**श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी):** प्रतिपूरक वानिकीकरण कोष, केंद्रीय और राज्य निगरानी निकायों के तहत वानिकीकरण और अन्य वन्यजीव देखभाल और पारिस्थितिक सेवाओं के लिए धन का उपयोग करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाना चाहता है। यह एक कानून के तहत देश में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देगा।

महोदय, जब भी किसी वन की गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए कटाई की जाती है, तो उपयोगकर्ता को प्रतिपूरक वानिकीकरण करने के लिए एक निर्धारित धनराशि जमा करनी पड़ती है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया यह धन 38000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है और खर्च ना की गई यह धनराशि बैंक के पास पड़ी है।

महोदय, खर्च न की गई धनराशि का उपयोग करने के अलावा, धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक नया निकाय बनाया जा सकता है।

इसके अलावा, जमा धन का अधिकतम प्रतिशत राज्यों को वानिकीकरण कार्यों के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए धनराशि का उपयोग भी किया जाएगा।

## (पंद्रह) दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोके जाने की आवश्यकता

**श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर):** महोदय, मैं खाद्य पदार्थों विशेष रूप से दूध में मिलावट की चिंता को उठाना चाहता हूँ। जबकि मैगी जैसे उत्पाद जांच के दायरे में हैं, यह चिंताजनक है कि भारत में कुछ सबसे मिलावटी खाद्य पदार्थ वास्तव में पानी, दूध और खाद्य तेल हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा वर्ष 2012-13 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि दूध भारत में सबसे मिलावटी खाद्य पदार्थ है, जिसमें देश भर में दूध में 68.4 प्रतिशत मिलावट होती है। भारत में दूध में मिलावट एक और भी बड़ी चिंता है क्योंकि पैक किया गया फास्ट फूड के विपरीत, दूध न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि अधिकांश आबादी द्वारा बिना पैक किए गए के रूप में उपभोग किया जाता है।

मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) दूध में मिलावट की राष्ट्रव्यापी जांच करने के लिए एक निकाय का गठन करे और बिना पैक किए गए खाद्य पदार्थों का नियमित परीक्षण सुनिश्चित करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर 2014 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में संशोधन करने और दूध में मिलावट के लिए जुर्माने को छह महीने से बढ़ाकर आजीवन कारावास करने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों ने इस दिशा में पहले ही कानून बनाया है, लेकिन इस संशोधन को अभी तक केंद्र द्वारा पारित नहीं किया गया है। मैं आपसे तुरंत ऐसा करने का आग्रह करता हूँ। भारत में 70 प्रतिशत से अधिक मौतें भोजन और जल जनित बीमारियों से जुड़ी हुई हैं और इस खतरे पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

**(सोलह) गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की समस्याओं को दूर करने हेतु चीनी नीति में संशोधन किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री राजू शेटी (हातकणंगले) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले तीन-चार वर्षों से चीनी और गन्ना उत्पादन ने देश के किसानों ने रात-दिन अथक प्रयास से एक नई ऊंचाई प्राप्त की है तो दूसरी ओर घरेलू बाजार में चीनी के घटते हुए मार्केट रेट की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर से गुजर रही है।

पिछले तीन-चार वर्षों के मुकाबले चालू वर्ष में तो चीनी की दरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है जबकि दूसरी ओर गन्ना उत्पादक किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) भी कुछ चीनी मिलों को छोड़कर नहीं दे पाई है। इस वजह से आज आर्थिक संकट के कारण कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि बढ़ गई है जिससे देश भर की चीनी मिलों को गन्ना किसानों की कम से कम एफ.आर.पी. देने के लिए तत्कालीन प्रयास के तौर पर 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि बिना ब्याज का लोन पैकेज घोषित करना पड़ा। आज की तिथि में सरकार ने 10 प्रतिशत एथनॉल का इस्तेमाल करना पेट्रोलियम कंपनियों को अनिवार्य किया है। यदि मांग और आपूर्ति की ओर देखा जाए तो चीनी मिलें एथनॉल निर्माण में ठीक सी प्रतिक्रिया देती नहीं दिख रही हैं इसलिए केंद्र सरकार को दीर्घकालीन योजना लाने की जरूरत है। इसमें प्रथम, तत्काल 40 लाख टन कच्चा चीनी निर्यात करने का निर्णय लेना चाहिए जिससे मांग और आपूर्ति का अनुपात बराबर रहेगा और इससे चीनी के दाम स्थिर रहेंगे। द्वितीय, एथनॉल का उत्पाद और इस्तेमाल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना और आगे चीनी उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए ब्राजील की भांति गन्ने के जूस से सीधे एथनॉल का निर्माण और इसके साथ-साथ 50 प्रतिशत चीनी और 50 प्रतिशत एथनॉल का उत्पादन करने वाले नए चीनी उद्योग को नई तकनीक से खड़ा करना। तृतीय, चीनी और दोहरी मूल्य पालिसी और बफर स्टॉक चौथा, गन्ने के बॉय प्रोडक्ट्स और बिजली के ऊपर ध्यान। पांचवां, गन्ना प्लांटेशन को घटाकर ऑयल सीड और पल्सेज के

उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकनोमिक इंसेटिव्स और उच्च दरों की गारंटी अगर सरकार किसानों को देती है तो किसान गन्ने की खेती की तरफ ध्यान देंगे और इससे चीनी उद्योग के सामने जो अस्थिरता का संकट खड़ा हो गया है, उसे दूर करने में किसान चीनी उद्योग के मददगार साबित होंगे।

**अपराह्न 03.00 बजे**

(सत्रह) राजस्थान के कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का परिसर स्थापित करने हेतु  
अवसंरचना विकास में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री ओम बिरला (कोटा):** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान राजस्थान के कोटा शहर के जनमानस की भावना से जुड़े विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में आई.आई.टी. संस्थान खोलने हेतु प्रस्ताव मांगा गया था। उक्त संस्थान के चयन हेतु राज्य सरकार ने कोटा का नाम प्रस्तावित किया था किंतु राज्य में शासन बदलते ही कोटा के हक के आई.आई.टी. को जोधपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया। राज्य सरकार ने बाद में कोटा शहर में वर्ष 2010 में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की घोषणा की। अपनी स्थापना की घोषणा के 5 वर्षों बाद तक भी अभी तक कोटा में उक्त संस्थान हेतु भवन व अन्य निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सके जिसके चलते उक्त संस्थान को कोटा के बजाय जयपुर में संचालित करना पड़ रहा है। ट्रिपल आई.टी. के निर्माण की मंथर गति इसी तथ्य से इंगित हो जाती है कि 5 साल में निर्माण हेतु मास्टर प्लान तक नहीं बनाया जा सका है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भविष्य में यदि राज्य में नए आई.आई.टी., एम्स, आई.आई.एम. जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में से कोई स्थापित करने की योजना हो तो कोटा को उसमें शामिल किया जाए एवं वर्तमान में धीमी गति से निर्माणाधीन ट्रिपल आई.टी. के कैंपस निर्माण के कार्य को शीघ्रता से संपन्न कराया जाए।

**(अठारह) भारत-नेपाल पंचेश्वर और सप्तकोशी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा):** माननीय उपाध्यक्ष जी, बिहार राज्य के कोसी क्षेत्र में प्रायः प्रत्येक साल बाढ़ आती है। वर्ष 2008 में कुरसैला बांध टूटने से आयी प्रलयकारी बाढ़ से जो तबाही हुई थी, वह जगजाहिर है। इस तरह के प्रलय का स्थायी रूप से उपाय बहु-उद्देशीय कोसी बांध है। बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 1954 में भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 1997 में कोसी बांध के लिए फिर से भारत-नेपाल ने मिलकर 'सप्त कोसी प्रोजेक्ट' बनाया। 17 अगस्त, 2004 से इसके तकनीकी दल काम पर भी लग गये लेकिन जब रिपोर्ट नहीं बनी तो समय-सीमा वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक बढ़ा दी गयी लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ जिसका खामियाजा करीब दो से तीन करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। पिछले वर्ष भारत नेपाल दोनों के आपसी सहयोग से 'पंचेश्वर परियोजना' को लागू करने की दिशा में प्रगति हुई है तथा 'सप्त कोसी बेसिन परियोजना' का डी.पी.आर. बनाने का कार्य चल रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त परियोजनाओं में भारत सरकार व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाते हुए अविलम्ब उपरोक्त योजनाओं को लागू करे ताकि बिहार की जनता को वर्ष 2008 की बाढ़ जैसी भयावह स्थिति से बचाया जा सके। 'सप्त कोसी बहु-उद्देशीय बांध' बनने से 3300 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, साथ ही करीब 11 हजार वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि सुरक्षित एवं सिंचित हो जाएगी जिससे बाहर के विकास को एक नया आयाम मिल सकेगा।

**अपराह 03.05 बजे****परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015****और****परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 की अस्वीकृति के बारे में वैधानिक संकल्प****माननीय उपाध्यक्ष:** सदन अब मद संख्या 8 और 9 को एक साथ लेगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव - उपस्थित नहीं;

श्री अधीर रंजन चौधरी - उपस्थित नहीं;

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा):** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दशरथ रूप सिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले और एक अन्य आपराधिक अपील सं. 2009 का 2287 मामले में यह माना है कि चेक के वापिस होने पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार उस न्यायालय तक सीमित है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध किया गया था, जो वर्तमान संदर्भ में वह है जहां बैंक द्वारा चेक को वापस किया गया है जिस पर यह आहरित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, उद्योग संघों और वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा इस

निर्णय के व्यावसायिक हितों पर व्यापक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, सरकार को अभ्यावेदन दिए गए हैं, क्योंकि यह पीड़ित शिकायतकर्ता की कीमत पर चूक कर्ताओं को अनुचित सुरक्षा प्रदान करेगा; विभिन्न स्थानों पर बैंकों पर आहरित किए गए कई चेक को कवर करने वाले मामलों की बहुलता को जन्म देगा, और इसका पालन करना भारत भर में फैले ग्राहकों के साथ एक एकल खिड़की एजेंसी के लिए अव्यावहारिक है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज करने में भुगतान कर्ता या धन के ऋणदाता के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जिसके कारण बड़ी संख्या में मामले अटक गए, धारा 138 के तहत अपराध के लिए क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है। चेक के मामलों की कोशिश करने के लिए क्षेत्राधिकार मुद्दे पर स्पष्टता वित्तीय साधन के रूप में चेक की विश्वसनीयता को बढ़ाएगी। यह सामान्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में मदद करेगा और बैंकों सहित उधार देने वाले संस्थानों को अर्थव्यवस्था के लिए वित्तपोषण जारी रखने की अनुमति देगा।

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015, विधेयक सं. 2015 का 151, जिसने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों के लिए क्षेत्राधिकार के स्थान के निर्धारण के लिए एक नियम का प्रस्ताव किया था जो लोक सभा में 6 मई, 2015 को पेश किया गया था और लोक सभा द्वारा 13 मई 2015 को विचार और पारित किया गया था। हालाँकि, क्योंकि राज्य सभा 13 मई, 2015 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी, इसलिए उस सभा द्वारा परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा नहीं हो सकी और पारित नहीं किया जा सका और विधेयक को अधिनियमित नहीं किया जा सका। चूंकि संसद सत्र में नहीं थी और केंद्र सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, एक अध्यादेश, अर्थात्, परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा 15 जून, 2015 को प्रख्यापित किया गया था।

अध्यादेश विधेयक वर्ष 2015 के संख्या 151 के समान है, इस अर्थ में कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण के लिए मूल नियम समान रहता है, सिवाय इसके

कि चेक के भुगतान की दो अलग-अलग स्थितियां, (1) एक खाते के माध्यम से संग्रह के लिए इसे जमा करके, या (2) खाते के माध्यम से अन्यथा चेक का भुगतान, अर्थात्, जब भुगतान के लिए किसी ड्राई बैंक की किसी भी शाखा के काउंटर पर चेक प्रस्तुत किए जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से अध्यादेश के तहत कवर किए जाते हैं।

अध्यादेश परक्राम्य लिखत अधिनियम के लिए निम्नलिखित संशोधनों का प्रावधान करता है:-

- (एक) केवल उस न्यायालय में मामलों का दायर किया जाना , जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आदाता की बैंक शाखा, जहां आदाता अपने खाते के माध्यम से भुगतान के लिए चेक वितरित करता है, बैरर चेक के मामले को छोड़कर स्थित है, जो ड्राई बैंक की शाखा में प्रस्तुत किए जाते हैं और उस स्थिति में उस शाखा की स्थानीय अदालत को अधिकारिता मिलेगी;
- (दो) यह करते हुए कि जहां अधिकारिता की नई योजना के तहत अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में चेक के आहरण कर्ता के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, वहां उसी आहरण कर्ता के विरुद्ध धारा 138 से उत्पन्न होने वाली सभी वाद की शिकायतें उसी न्यायालय के समक्ष दायर की जाएंगी, चाहे वे चेक उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए हों; और
- (तीन) यह करते हुए कि यदि विभिन्न न्यायालयों के समक्ष चेक के एक ही आहरण कर्ता के विरुद्ध एक से अधिक अभियोजन दायर किया जाता है, उक्त तथ्य को न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है, तो न्यायालय इस मामले को अधिकारिता की नई योजना के अनुसार अधिकारिता वाले न्यायालय को अंतरित करेगा; और
- (चार) इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक की एक नई परिभाषा प्रदान करना।

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015, निरसन और बचत खंड को छोड़कर, वर्तमान विधेयक परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के समान है, जो अध्यादेश के तहत की गई कार्रवाई को बचाता है और अध्यादेश को भी निरस्त करता है।

यह आशा की जाती है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि उक्त अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों का निष्पक्ष परीक्षण शिकायतकर्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, ताकि चेक के वापस होने वाले मामलों को लेते समय क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया जा सके।

इसलिए, मैं इस महती सभा के माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिक्रम में लिखित संशोधन विधेयक, 2015 के समर्थन के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ।

पहले मैं माननीय वित्त मंत्री एवं वित्त राज्य मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। समय के साथ परिवर्तन करने की शीघ्रता सरकार को करनी चाहिए, वह सरकार ने की है। चूंकि यह बिल राज्य सभा में नहीं पारित हो सका, इसलिए यह फिर से इस सदन में चर्चा के लिए आया है। मैं सरकार को बधाई देता हूँ।

इसमें मुझे दो-तीन बातें ठीक लगती हैं। एक तो जो भी कंपनियाँ हैं या जहाँ से भी चेक जारी होते हैं, कई बार जब सदन में चर्चा होती है, तो जो मजदूरों की बात करता है, छोटे तबकों की बात करता है, तो वह सिर्फ

उन्हीं की बात कहता है। कुछ लोग होते हैं, जो उद्योत सापेक्ष होते हैं, तो वे एकतरफा उन्हीं के हित की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने जो पक्ष सदन के सामने रखा है, उनमें सभी का हित है। इसलिए शायद यहाँ पर "सब का साथ, सब का विकास" का नारा सही लगता है। यदि कोई चेक बाउंस करता है, यदि एकाध करोड़ रुपये का मामला है, तो हो सकता है कि कोई आदमी, जहाँ पर उसका कार्यक्षेत्र है, जाकर अपने वाद को निपटाने की बात करे। लेकिन, यदि दस हजार रुपये का सवाल है और उसकी दूरी हजार किलोमीटर है, तो मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति वहाँ पर जाकर वाद को निपटाने की बात सोचता है। इसलिए जो गरीब तबके के लोग हैं, यदि मैं मजदूरी करके आता हूँ या मैं कहीं पर छोटा-मोटा व्यवसाय करता हूँ और मेरे साथ कोई ऐसी धोखाधड़ी हो जाए और मुझसे कहा जाए कि दिल्ली जाकर अपना मामला निपटाएं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आकर यहाँ पर लड़ सकता है, न तो खर्चे के आधार पर और न ही अपनी परिस्थितियों के आधार पर ऐसा कर सकता है। ऐसी स्थिति में, मुझे लगता है कि समय के साथ हमें बहुत सारी बातों में बदलाव करना पड़ेगा। इसमें जो एक और परिवर्तन किया गया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। तकनीक बदल रही है और उसके आधार पर जब हम हस्ताक्षर करने के अलावा जो भी अमेंडेंट्स हो सकते हैं, उसे विधिवत् आई.टी. अधिनियम, 2000 के तहत इस बात में बड़ा स्पष्ट किया है और जिन शब्दों का इसमें प्रयोग किया है, मैं उसे वैसे का वैसे पढ़कर उसे सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

स्पष्टीकरण तीन-

" इस धारा के प्रयोजन के लिए असीमित गूढ़ प्रणाली, कंप्यूटर साधन, अंकीय चिन्हक, इलेक्ट्रॉनिक रूप, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उल्लिखित हैं। "

महोदय, जिन बातों में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और दूसरी बात, जो माननीय मंत्री जी ने कही है कि धारा 138 के तहत जो न्यायालय क्षेत्राधिकार होते थे, जिनमें ऐसी परिस्थितियाँ होती थी, ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** उन्होंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की। कृपया अपनी सीट पर बैठें। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** मान लीजिए कि यदि मैं कोई संस्थान चलाता हूँ तो मेरा यह कहने का कानूनी हक है कि मेरे न्यायालय का क्षेत्राधिकार यह है। उसी के तहत ही आपको उस कानून का पालन करना होगा। मैं सरकार को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 हो या धारा 138 हो, दोनों को एक तरफ से यह तय कर दिया कि धारा 142 के तहत ही मामले चलेंगे। यदि एक से ज्यादा मामले हैं, तो वे एक ही न्यायालय में आएंगे और वहीं पर उनका निपटान होगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और जो दुविधाएँ हैं, वे भी समाप्त होंगी। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम उस पर लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इसका रास्ता साफ होगा। इस विषय पर मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, चूंकि मैं गांव से आता हूँ, मजदूरों और किसानों की हमारी अपनी समस्याएँ हैं। मेरे सामने एक बार मामला आया, मुम्बई में हमारे यहाँ से अनाज के वैगन जाते हैं, उसके बाद जब उसने लेन-देन नहीं किया, तो सिवाय नेताओं के पास जाने के, उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा कि वे न्यायालय में जाकर लड़ पाएं। यह सच्चाई है। मैं एक बहुत छोटे-से गांव, गोटे गांव से आता हूँ। वहाँ के अनाज कभी पश्चिम बंगाल जाते हैं, कभी मुम्बई जाते हैं। व्यापारी जब लुट-पिटकर आते हैं, तो उनके पास सिवाय नेताओं के पास जाने के और कोई रास्ता नहीं रहता है। उनके पास लड़ने का कोई आधार नहीं रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे मामले हैं, जिनके तहत कहीं न कहीं रास्ता निकलेगा और समय आएगा, जब और इसे और बेहतर करने अवसर मिलेगा। मुझे यह विश्वास है कि यह सरकार उन कानूनों को निश्चित रूप से उन कानूनों का और सरलीकरण करके, स्पष्ट करके हम सब को लाभ देगी।

मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि हमेशा लोग एकतरफा चर्चाएं करने के आदी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी-एनडीए की सरकार ने सभी के पक्षों पर विचार करके इसमें स्थान दिया है। इसलिए मैं फिर से सरकार को बधाई देते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूँ धन्यवाद।

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर बहुत दुख होगा कि अभी दो घण्टे पहले पटना में दो नौजवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी।...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ बारह महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ।...(व्यवधान) मैं एक मिनट में मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू):** यदि आपका कोई गंभीर मुद्दा है, तो माननीय अध्यक्ष को नोटिस दें, सरकार को उस मुद्दे पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया इसे सदन में न दिखाएं। कल या आज आप इसे उठाएं, विधेयकों पर चर्चा समाप्त होने के बाद आप माननीय अध्यक्ष अथवा माननीय उपाध्यक्ष से मिलें। एक बार वे 'हां' कह दें; तो सरकार को कोई समस्या नहीं है। हम इस पर ध्यान देंगे। मैं इसे माननीय गृह मंत्री तक पहुंचा दूंगा और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कह दूंगा।

**अपराह 03.16 बजे****परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015****और****परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में सांविधिक संकल्प- जारी**

**श्री बालासुब्रमण्यम सेनगुड्डुवन (वेल्लोर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक 2015 पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, इन दिनों होने वाले आर्थिक विकास में तेजी और वाणिज्य लेनदेन की विशाल विविधता के साथ, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक समुदाय कानूनी सुविधा के रूप में चेक का उपयोग करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि व्यापार लेनदेन में महान पैठ बनाई गई है, चाहे वह क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, चेक अपनी जगह बनाये रखने में सक्षम रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक युग में, यह खुद को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी स्वरूप बनाये रखने में सक्षम रहा है।

वाणिज्यिक लेन-देन में चेक का उपयोग करने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए, और विश्वसनीयता के कुछ और उपाय देने के लिए, संसद ने वर्ष 1988 में परक्राम्य उपकरणों में पहला संशोधन लाने के लिए उचित समझा, जिसके द्वारा एक नया अध्याय, अध्याय संख्या .17 शामिल किया गया था, और जिसमें धारा 138 से 142 अधिनियम जोड़े गए थे। अधिनियम की धारा 138 में निश्चित और दंडात्मक प्रावधान दोनों हैं।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के तहत, वह व्यक्ति, धारक कर्ता जो चेक जारी करता है जहां धारक के खाते में निधियों की अपर्याप्तता के कारण या उसके द्वारा जारी चेक की धनराशि की गई धन की व्यवस्था से अधिक है, तो, उस स्थिति में, चेक का भुगतान करने वाला या नियत समय में धारक चेक के धारक को एक महीने के भीतर, शुरू में 15 दिनों के भीतर, और इसकी प्राप्ति पर, यदि वह नोटिस की

प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर धन का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह धारा 138 के तहत कार्य करने के लिए नोटिस दे सकता है।

अनुभाग 139 मूल अधिनियम में संभावना अनुभाग और अनुभाग 142 है, क्योंकि यह मूल रूप से विद्यमान था, संज्ञान लेने का प्रावधान करता है। हालांकि, यह धारा कार्रवाई शुरू करने के लिए किसी विशेष क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान नहीं करती है। बाद में यह महसूस किया गया कि प्रावधान थोड़े अपर्याप्त हैं और कार्यान्वयन और परीक्षणों के संचालन में कठिनाई थी। वहां इतने सारे मुकदमे लंबित थे। इसलिए, वर्ष 2002 में, एक दूसरा संशोधन लाया गया जिसके द्वारा धारा 138 के प्रावधान में संशोधन किया गया था, और धारा 143 से 147 को भी अधिनियम में शामिल किया गया था।

दंड का मूल प्रावधान जो एक वर्ष तक था, वर्ष 2002 के संशोधन में दो वर्ष तक बढ़ा दिया गया था और नोटिस जारी करने का समय देय या धारक के लाभ के लिए 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया था। धारा 143 से 147 तक के अन्य प्रावधान इस प्रकार से ट्रायल का दायरा बढ़ाते हैं क्योंकि अपराधों का ट्रायल संक्षिप्त ट्रायल प्रक्रिया द्वारा किया जाना था और अपराधों को शमनीय भी बनाया गया था।

चूंकि धारा 142 के प्रावधान जो संज्ञान लेने की प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं, उस ट्रायल स्थल की क्षेत्रीयता का प्रावधान नहीं करते हैं जिसमें अपराध का ट्रायल किया जाना है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 177 से 179 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्राधिकार के स्थान या स्थानों की व्याख्या करने के लिए अदालत पर छोड़ दिया गया था। इसलिए, के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्य बालन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1999 7एस.सी.सी 510 और ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 3762 में माना था कि शिकायत करने के लिए कार्रवाई का कारण तथ्यों का एक बंडल था, संख्या में कम से कम पाँच। एक चेक की ड्राइंग है, दूसरा बैंक को चेक की प्रस्तुति है, तीसरा धन की अपर्याप्तता के कारण भुगतान न करने के कारण चेक की वापसी है, और चौथा नोटिस दे रहा है और अंत में इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर नोटिस प्राप्त करने के बावजूद पैसे का भुगतान करने में धारक की विफलता।

इस निर्णय के अनुसार, ये सभी पांच कृत्य जो अपराध का गठन करते हैं, कहीं भी हो सकते हैं; पांच क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों के भीतर हो सकते हैं। इसलिए, उस निर्णय के अनुसरण में, सभी पांच अदालतें अपराध की सुनवाई कर सकती हैं। ऐसा होने के नाते, बाद के मामले में हारमोन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाम पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड जो वर्ष 2009 1 एस.सी. 720 में दायर किया गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि जहां से मांग नोटिस जारी किया गया था, उसे मुकदमे को चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं माना जाएगा। जब यह नियम व्यवहार में था, तो वर्ष 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 9 एस.सी.सी 129 और वर्ष 2014 एस.सी. 3519 में दायर किए गए दशरथ रूप सिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य में एक अलग दृष्टिकोण लेने का विकल्प चुना और इस मामले का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा किया गया था जिसमें उन्होंने भास्करन मामले के निर्णय को खारिज कर दिया था और निम्न अनुसार निर्णय दिया था:

“हम स्पष्ट करते हैं कि शिकायतकर्ता आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 177 का पालन करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है और इसलिए, वह स्थान या दृष्टि जहां धारा 138 शिकायत दर्ज की जानी है, वह अपने स्वयं के चयन का नहीं है। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार उस न्यायालय तक सीमित है जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध किया गया था जो वर्तमान संदर्भ में एक ऐसी जगह है जहां चेक उस बैंक द्वारा वापस किया जाता है जिस पर यह आहरित किया गया है। ”

इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत वह है जहां अदा कर्ता बैंक स्थित है। फैसले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन लाखों मामलों के हस्तांतरण का भी निर्देश दिया, जहां सुनवाई शुरू नहीं हुई थी। इसलिए, इससे न्यायिक हलकों में अराजक स्थिति पैदा हो गई। इसलिए, सरकार ने तुरंत इस अवसर पर कार्य किया और स्थिति से निपटने के लिए इस संशोधन को लाने के बारे में सोचा।

माननीय मंत्री जी ने उन संशोधनों के उद्देश्य पर विस्तार से बात की। संशोधनों में धारा 6 (क) शामिल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक की परिभाषा को एक नया संदर्भ और अर्थ दिया गया है। दूसरा संशोधन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, धारा 142 में संशोधन करना है। इस संशोधन द्वारा, सरकार एक नई उप-धारा (2) लाने का प्रयास कर रही है जिसमें खंड (क) और (ख) सम्मिलित हैं। खंड (क) के अनुसार, चेक के भुगतान ना होने के मामले में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वह स्थान होगा जहां चेक धारक का खाता है। सम मूल्य चेक के मामले में, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वह स्थान होगा जहां ड्राई का खाता होगा। इस प्रकार, एक तरह की बराबरी करने का प्रयास किया है। वर्तमान संशोधन शिकायतकर्ता और आरोपियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

आरोपी को धारा 142क में एक और विशेषाधिकार दिया गया है जहां उसके विरुद्ध पहले से ही एक आपराधिक शिकायत लंबित है, बाद की शिकायतों को भी उसी अदालत में स्थानांतरित करना होगा जो पहले से ही उसके खिलाफ शिकायतों पर विचार कर रहा है। जो उसे अन्य शहरों या स्थानों पर जाने की परेशानी से रोकता है, जहां भी उस पर मुकदमा चलाया जाता है। इस प्रकार, मेरी राय में संशोधन एक बहुत ही स्वागत योग्य संशोधन है और यह ऐसे समय में आया है जब भुगतान कर्ता या शिकायत कर्ता, जो पहले से ही अच्छा पैसा खो चुका है, उस पर मुकदमा चलाने के लिए धारक के स्थान की यात्रा करने के लिए मजबूर है। इसलिए मैं इन संशोधनों का स्वागत करता हूँ।

लेकिन, यह अपने आप में आज अदालतों में व्याप्त स्थिति का निवारण नहीं करेगा। न्यायालय, अपीलीय और परीक्षण न्यायालय दोनों पर मामलों का अधिक भार है और धारा 138 के तहत अपराध से संबंधित पांच से छह लाख मामले हैं जो आज भी लंबित हैं। इस प्रकार त्वरित ट्रायल, विशेष रूप से धारा 143 (3) के तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम में विधि के अधिदेश में से एक है। यह पालन करने की तुलना में उल्लंघन में अधिक प्रचलित है। निचली अदालतों में मुकदमे लंबे समय तक इस कारण से लंबे समय तक चले जाते हैं कि समन को उचित समय के भीतर आरोपी तक नहीं पहुँचाया गया है, या यहां तक कि जब आरोपी दिखाई देता है, तो भी वह मुकदमे से फरार होने का विकल्प चुनता है। यहां तक कि जहां उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट

जारी किया जाता है, इसे केवल पुलिस द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। भले ही अभियुक्त अपने क्षेत्र में मौजूद हो, पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए अनुकरणीय उदासीनता दिखाती है। इससे ट्रायल न्यायालयों और अपीलीय मंचों में ट्रायल्स लम्बे समय तक खिचते हैं।

हम यह भी देखते हैं कि प्रावधानों का आसानी से कुछ अनैतिक लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है जो खाली चेक भरते हैं जिन्हें किसी कानूनी रूप से लागू करने योग्य देयता का निर्वहन नहीं किया गया था, बल्कि धारक से सुरक्षा के तौर पर लिया गया था। देयता के पूरा हो जाने के बाद भी, अनैतिक देय व्यक्ति खाली चेक को भरने का प्रयास करेगा और एक अवांछित मुकदमे बाजी में उलझाने का प्रयास करेगा। यह भी एक पहलू है जिसे हम चेक वापस करने के मामलों के परीक्षण के दौरान देखते हैं।

फिर, हालांकि अपराध जमानती है, फिर भी देश के कुछ हिस्सों में न्यायाधीशों द्वारा अपनाया गया मार्ग किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है कि क्या हम पर्याप्त न्याय कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के उपस्थिति होने पर, उसे जमानत लेने का निर्देश दिया जाता है। जमानत लेते समय, उसे करोड़ों रुपये जमा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके अनुसार, चेक धनराशि का एक हिस्सा है।

इस तरह का व्यवहार, जमानत को आरोपी के लिये एक भ्रामक राहत की तरह होता है और यह उसे फिर से फरार होने के लिए मजबूर करता है। इसलिए, हमें अधिनियम को उस व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए इसे शुरू में पेश किया गया है।

महोदय, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण कानून को लाने के लिए मंत्रालय को बधाई देता हूँ जो विभिन्न मंचों से पहले लगभग पांच या छह लाख शिकायतकर्ता वर्गों को प्रभावित करता है।

**श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल):** महोदय, धन्यवाद। मैं इस परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 को लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री के इस कदम का स्वागत करता हूं। पहले यह विधेयक इस सभा में आया था लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे इस सभा में वापस आना होगा।

यह एक अच्छा विधेयक है और इसे चौतरफा समर्थन की ज़रूरत है। हम, बीजेडी से, इस विधेयक का समर्थन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में वस्तुतः एक अर्थव्यवस्था है जो 50:50 है। एक बैंक युक्त अर्थव्यवस्था है और एक बैंक-रहित अर्थव्यवस्था है। यह समस्या बैंक की अर्थव्यवस्था का 40 या 50 प्रतिशत हो सकती है जहां न केवल बड़े कॉर्पोरेट बल्कि छोटे व्यवसायी और छोटे व्यक्ति भी इस चेक बाउंस मुद्दे के कारण पीड़ित होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से एक बड़े उद्योग या बड़ी कंपनियों के बीच बड़े व्यापारिक लेनदेन से संबंधित है जैसा कि ए.आई.ए.डी.एम.के. के हमारे विद्वान सहयोगियों में से एक द्वारा संदर्भित किया गया था। मुझे यकीन है कि वह एक बहुत ही विद्वान और सक्षम वकील हैं और यही कारण है कि वह बहुत सारे विवरण देते हैं। उस माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा जिसके द्वारा हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कुछ गलत हुआ था। इस देश में आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्लास्टिक के पैसे के लिए बहुत उत्सुक हैं। वे प्रशंसक शायद यह भूल जाते हैं कि उन देशों के पास, जो प्लास्टिक मनी अर्थ व्यवस्था में कूद गए थे, उनकी व्यवस्थाओं में काला धन कम था। हालांकि इसका अच्छा प्रभाव हो सकता है क्योंकि उस प्रणाली में शायद कम काला धन होगा लेकिन प्लास्टिक के पैसे का भी बहुत बुरा रिकॉर्ड रहा है जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं जबकि भारत अपनी दोहरी अर्थव्यवस्था के साथ जीवित रहने में कामयाब रहा है। मैं एक अर्थशास्त्री नहीं हूं और माननीय वित्त मंत्री एक पेशेवर व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें विवरण का पता होगा। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में और यहां तक कि कुछ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भी क्या हुआ है उसको देखते हुए भारत के लिए पैसे या इलेक्ट्रॉनिक चेक के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण में जाने के लिए अच्छा आधार नहीं है। शायद इस प्रणाली में भी एक संतुलन पाया जाना चाहिए।

व्यावहारिक रूप से, मैंने एक बात देखी है। जब कोई चेक बाउंस होता है, तो बैंक हमें एक नोटिस भेजता है कि आपने इस ग्राहक से, इस शहर या इस तरह की धनराशि के शहर से इस बैंक पर एक चेक जमा किया है और अपर्याप्त धन के कारण, चेक बाउंस हो गया है। अब लाभार्थी के रूप में जिस व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए था, उस पर अब बोझ पड़ जाता है। मुझे वह चेक लेना है। मुझे उस बैंक का नोटिस लेना है और मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे पहले एक एफआईआर फाइल करनी है। बिना एक एफआईआर दाखिल किए, मैं मामला दर्ज नहीं कर सकता। यह एक मानक अभ्यास है। यह कई जगहों पर हो रहा है जहां चेक बाउंस हो रहे हैं। मैं इस संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। प्रत्येक परत का अर्थ होता है डी एंड डी- विलंब और दाना इसलिए, जब बैंक चेक वापस कर रहा है और यह वापस किए गए चेक के साथ एक ज्ञापन संलग्न कर रहा है, तो मुझे लगता है, कि एक मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज होना चाहिए जो कि बहुत धीमा है क्योंकि चेक दाखिल करने से पहले की प्रक्रिया जटिल और बोझिल है।

पहले यह उल्लेख किया गया है कि जमानत प्रक्रिया भी है और अदालत में जो कार्यवाही होती है, वह भी होती है। हम एक बिंदु पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंततः व्यक्ति को पांच साल बाद या सात साल बाद पैसा मिल सकता है और हम वास्तव में नहीं जानते कि कितने साल बाद। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में देखा है कि रु.10,000 के एक छोटे से चेक के विषय में जहां मामला दर्ज किया गया था, मामला अब साढ़े चार साल से अधिक समय से चल रहा है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वह कहीं छिपा हुआ है। वह भाग गया है। चेक बाउंस हो गया है। पैसे खोने के अलावा, यह भी अवसर है कि जिस व्यक्ति को पैसे की उम्मीद थी, वह खो जाता है। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

लोग कहते हैं कि यह पैसे का सवाल नहीं है बल्कि यह सिद्धांतों का सवाल है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब धन और सिद्धांतों के बीच टकराव होता है, तो हमेशा यह पैसा ही जीतता है न कि सिद्धांतों के बीच। इसलिए, जब एक छोटा व्यापारी, एक छोटा उद्यमी शामिल होता है, तो संरक्षण होना चाहिए। ... (व्यवधान)

**श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल- यू.एस.एन.):** आखिरकार सिद्धांतों की जीत होती है। ... (व्यवधान)

**श्री तथागत सत्पथी:** मैं केवल व्यावहारिक दायरे की बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटे से व्यापारी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक छोटा व्यापारी माननीय उच्चतम न्यायालय में कभी नहीं आ सकता है और वह कहना चाहेगा: "ठीक है, इस 20,000 रुपये की धनराशि को जाने दो। दिल्ली कौन जा सकता है?" उनके पास 10,000 रुपये या 20,000 रुपये की धनराशि से जुड़े मामलों से लड़ने के लिए यहां वकीलों को प्राप्त करने की सुविधा और क्षमता नहीं है। इसलिए, आदमी यह अवसर हार जाता है। धन प्राप्त करने में देरी स्पष्ट रूप से अवसर की हानि भी है। इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार को यह विचार करना होगा कि क्या इस संबंध में एक संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में ही कुछ किया जा सकता है। जब कोई चेक बाउंस होता है तो संपत्ति की कुर्की होनी चाहिए और उसके बैंक द्वारा उसे नियमित रूप से चूक कर्ता प्रमाणित कर देना चाहिए। एक प्रावधान ऐसा होना चाहिए जिससे संपत्ति कुर्क की जा सके। इस संशोधन विधेयक को और अधिक ताकतवर बनाया जा सकता है जिससे लोगों को रोका जा सकेगा; लोग तब चेक जारी करने से डरेंगे जब उनके बैंक खातों में पैसा नहीं होगा क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बड़े चेक जारी करने के लिए पूरी तरह से जानते हैं कि उनके खातों में उतना पैसा नहीं है।

इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि जब मैं इस परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक 2015 का समर्थन कर रहा हूँ, तो कृपया ध्यान दें कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूँ - अधिक अधिकार दिए जा सकते हैं ताकि यह प्रभावी हो और छोटे और छोटे व्यवसायियों को संरक्षित किया जा सके और आदतन अपराधियों को कड़ी सजा दी जा सके।

धन्यवाद।

**श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का तहेदिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस विधेयक को लोक सभा द्वारा 13 मई, 2015 को पारित किया गया था और यह राज्य सभा में लंबित था। उस परिस्थिति में, इस अध्यादेश को 15 जून, 2015 को प्रख्यापित किया गया था।

दो बातें हैं। दो मुख्य संशोधन हैं - एक उपकरण के लिए और दूसरा न्यायालय क्षेत्राधिकार के लिए। यदि आप विवरण में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अधिक संख्या में चेक बाउंस किए जाते हैं और उन बाउंस किए गए चेक की धनराशि भी दी जाती है। इनमें से कई मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इसलिए, बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए, इस स्थिति में यह अध्यादेश बहुत आवश्यक था।

महोदय, मैं कुछ उदाहरण दूँगा। मान लीजिए, कोई प्राप्तकर्ता अपना चेक अपने बैंक की किसी भी शाखा में जमा करता है। यदि यह चेक बाउंस हो जाता है, तो वह प्राप्तकर्ता उस क्षेत्र की उपयुक्त अदालत का रुख करता है जहाँ बैंक की शाखा स्थित है। या फिर, यदि वह किसी अन्य तरीके से अपना चेक बैंक में प्रस्तुत करता है और चेक बाउंस हो जाता है, तो फिर न्यायिक अधिकार उस क्षेत्र की अदालत को होता है जहाँ ड्रॉअर (चेक जारी करने वाले) का बैंक खाता है। एक और स्थिति में, मान लीजिए किसी ग्राहक के विभिन्न मामलों की सुनवाई विभिन्न अदालतों में हो रही है। इस अध्यादेश के प्रवर्तन के अनुसार, ऐसे सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा। यह संशोधन भी बैंक ग्राहकों के हित में एक अच्छा कदम है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, खंड 2(ए) चेक की परिभाषा को स्पष्ट करता है जो कहता है:

“इलेक्ट्रॉनिक रूपों में चेक का अर्थ होता है, किसी भी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया गया चेक और डिजिटल हस्ताक्षर (बायोमेट्रिक्स हस्ताक्षर के

साथ या बिना) और असममित क्रिप्टो सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ एक सुरक्षित प्रणाली में हस्ताक्षर किया गया है, जैसा भी मामला हो।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार भी, यह एक अच्छा संशोधन है। 1881 अधिनियम में परिभाषा थी:

एक चेक जिसमें कागज चेक की सटीक दर्पण छवि होती है और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके एक सुरक्षित प्रणाली में उत्पन्न होता है। ”

इसीलिए उपरोक्त संशोधन है।

महोदय, मैं बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मेरा अनुभव है कि सबसे अधिक पीड़ित छोटे ग्राहक होते हैं क्योंकि वे अदालत नहीं जा पाते, क्योंकि वे वकीलों की फीस वहन नहीं कर सकते। जैसा कि मेरे सहयोगी श्री सतपथी ने कहा, 10,000 रुपये या 20,000 रुपये की रकम किसी छोटे व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है; और जब ऐसे व्यक्ति को चेक जारी करने वाले या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाता है, तो वह न्याय नहीं पा पाता। इसी कारण से दो विशेष प्रावधान किए गए हैं — एक उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) के हित में और दूसरा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में। मैं उनके विचार का समर्थन करता हूँ कि ये प्रावधान होने ही चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

**श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

यद्यपि यह विधेयक छोटा प्रतीत होता है, इसका बैंकिंग क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विधेयक का उद्देश्य भुगतान ना होने वाले चेक के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर

मामलों में मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता देना और वित्तीय साधन के रूप में चेक की विश्वसनीयता में वृद्धि करना है।

जैसा कि माननीय मंत्री ने सही कहा, यह माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन जजों की बेंच के फैसले का नतीजा है। यह भी सही है कि वर्तमान विधेयक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है और स्पष्ट रूप से बताता है कि शिकायत कहाँ दर्ज की जानी चाहिए। यह प्रस्ताव करता है कि यदि आदाता के खाते में संग्रह के लिए चेक वितरित किए जाते हैं, तो क्षेत्राधिकार बैंक शाखा के क्षेत्र में निहित है जहाँ आदाता खाता बनाए रखता है। या, यदि भुगतान कर्ता किसी बैंक को किसी अन्य तरीके से चेक प्रस्तुत करता है, तो अधिकारिता बैंक शाखा के क्षेत्र में निहित है जहाँ धारक खाता बनाए रखता है। यह भुगतान कर्ता और चेक के धारक दोनों के पक्ष में संतुलन बनाता है, और मैं इसका स्वागत करता हूँ।

महोदय, एक संस्था के रूप में, संसद को देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन इसका निष्पादन या कार्यान्वयन कार्यपालिका को दिया जाता है। न केवल इस कानून के माध्यम से बल्कि उस मामले के लिए किसी भी कानून के निष्पादन के बारे में संसद द्वारा सख्त निष्पादन तंत्र और निगरानी के अभाव में, हम विधेयक में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं।

विधेयक पर आते हुए, मैं इस अधिनियम के तहत दायर मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक लाने में लोगों को पेश आ रही समस्याओं को सभा के संज्ञान में लाता हूँ। हाल की मीडिया प्रतिवेदनों के अनुसार, देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित 30 प्रतिशत मामले परक्राम्य लिखत अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत हैं। दूसरा, यह नोट करना निराशाजनक है कि चेक बाउंसिंग मामलों में पैसे की वसूली के लिए सिविल मुकदमे की तरह 3-5 साल लग रहे हैं। यदि हमारे पास इस तरह की देरी है, तो विधेयक का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। मैं सहमत हूँ कि मजिस्ट्रेटों की अनुपलब्धता जैसे कई कारक हैं। कई अदालतें अभी भी समन जारी करने की पुरानी प्रणाली का पालन करती हैं जो समन जारी करने में छह महीने की ऊपरी सीमा का लाभ उठाती है। मैं माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करने का सुझाव देना चाहता हूँ कि वे विधेयक में ही यह

उल्लेख करें कि सम्मन या तो ई-मेल, फ़ैक्स, कोरियर या डिलीवरी के किसी अन्य नए और त्वरित तरीके के द्वारा से तामील किए जा सकते हैं। सम्मन वितरित करने के लिए केवल डाक विभाग का उपयोग करके, कई मामले हैं और माननीय मंत्री जो स्वयं एक प्रसिद्ध वकील हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कई मामलों में आरोपी डाक विभाग के साथ सांठ गाँठ करता है और समन लौटा देता है जिसके परिणामस्वरूप दूसरी बार समन दिया जाता है। इसलिए, मामलों में देरी पहले दिन से ही शुरू होती है। और, महोदय, स्थगन उदारता से दिए जाते हैं और उसी दिन साक्ष्य और जिरह को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से स्वयं विधेयक में एक समय सीमा प्रदान करने का सुझाव देता हूँ कि निर्धारित समय के भीतर मामले का निपटान किया जाना चाहिए।

अगला बिंदु जो मैं करना चाहता हूँ वह इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा से संबंधित समस्याएं हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से, पैसा एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन यहां भी दिक्कतें हैं। मैं भारत के अग्रणी बैंक, एस.बी.आई. का एक उदाहरण दूंगा। यदि आपके पास एस.बी.आई. में बचत खाता है और यदि आपके पास कुछ रुपये हैं, रु. एक लाख या रु. दो लाख रुपये, एस.बी.आई. क्या करेगा, यह आपके पैसे को स्वचालित रूप से किसी अन्य खाते में स्थानांतरित कर देगा जिसे मल्टी-ऑप्शन डिपॉजिट कहा जाता है जो बचत बैंक खाते की तुलना में थोड़ा अधिक ब्याज देता है। यदि कोई चेक प्रस्तुत किया गया है या ई.सी.एस. किया जाना है और खाते में कोई शेष धनराशि नहीं है, तो एस.बी.आई. एम्.ओ.डी से बचत बैंक खाते में पैसे स्थानांतरित करता है और उस चेक का भुगतान करता है। लेकिन कुछ शिकायतें हैं कि एस.बी.आई. एम्.ओ.डी. में शेष धनराशि होने के बावजूद चेक का भुगतान नहीं कर रहा है। ऐसे मामलों में, धारक को उसकी बिना गलती के दंडित किया जाता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह इस तरह के लेन-देन पर गौर करें और बैंक को जिम्मेदार बनाएं और इसकी भरपाई ग्राहक को की जाए।

अंत में, विधेयक कहता है कि इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद मामलों को एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस पर कुछ आपत्तियां हैं। जो मामले अंतिम चरण में हैं, उनका क्या होगा? यदि

ऐसे मामलों को स्थानांतरित किया जाता है, तो पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी। इस प्रकार, माननीय मंत्री जी का विचार है कि पीड़ित को यह चुनने का अधिकार होना चाहिए कि वह अपना लंबित मामला दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करना पसंद करेगा या मौजूदा न्यायालय में ही उसे जारी रखेगा।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे सुझावों पर विचार करें। धन्यवाद।

**डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़ (भोंगीर):** महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मैं परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। मूल रूप से, मेरे कई पूर्ववर्तियों, जिन्होंने देर तक इस पर चर्चा की है, प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं और वे विषय जानते हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि भारत कभी नैतिकता के आधार पर जीता था। यह शब्द एक प्रोमिसरी नोट से बहुत अधिक है। यही व्यवस्था थी। लेकिन दुर्भाग्य से, वैश्वीकरण और नव- उदारीकरण के कारण, नए मुकदमे दायर हुए हैं। हम कहते थे "जुबान की बात पत्थर की लकीर"। एक समय यह स्थिति हुआ करती थी। आज केवल वो लोग जो शब्दों का सम्मान करते थे, वे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हैं। यही कारण है कि यदि वे भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो वे आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अधिकांश कॉर्पोरेट, अधिकांश लोग जिनके पास धन हैं, जिन्होंने विभिन्न साधनों का उपयोग करके विभिन्न बैंकों से 100 करोड़ का ऋण लेकर संपत्ति बना ली है वे ही हैं जो आमतौर पर चेक का भुगतान नहीं करते हैं। यह संशोधन विधेयक निश्चित रूप से शिकायतकर्ता के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगा क्योंकि जब मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को देख रहा था, तो यह बहुत आश्चर्यजनक था कि पूरी समस्या का दायित्व शिकायतकर्ता पर रहा है। आरोपी हमेशा ऐसी स्थिति में रहता है जहां शिकायतकर्ता उसके पास नहीं पहुंच सकता है। मान लीजिए कि आरोपी किसी राज्य विशेष से एक चेक देता है, शिकायतकर्ता उसे अपने ही राज्य में अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसे उसके खिलाफ मामला दर्ज करना है, तो जाहिर है कि वह आरोपी तक नहीं पहुंच सकता है, जिसने उसे भुगतान करने में चूक की है। लेकिन यह संशोधन निश्चित रूप से शिकायतकर्ता को अपने मामले को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

जब आप धारा 138 पर जाते हैं जो चेक की चूक के अपराध के अपराधिक भाग से संबंधित है, तो मुझे खुशी है कि समय को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा है, किसी मामले को निपटाने में तीन से पाँच वर्ष लग रहे हैं। समस्या एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसने पैसे उधार दिए हैं। नए उदारवादी युग में, समस्या यह है कि इसे खत्म करके पैसा दें। यही स्थिति है। शिकायतकर्ता के लिए समस्या यह है कि जल्द से जल्द पैसे कैसे वसूलें। उसकी समस्या ज्यादातर यह नहीं है कि आरोपी को जेल

हुई है या नहीं और आरोपी को एक महीने या एक साल की जेल हुई है या नहीं। उसकी समस्या यह है कि उसकी बचत खत्म हो गई है। कुछ लोग अपने पूरे जीवन में बचत करते हैं और इसे अनुकंपा या किसी अन्य आधार पर अपनी जन पहचान के साथियों को अग्रिम के रूप में देते हैं। यह सभी जानते हैं कि आपराधिक न्यायालयों में चार से पांच वर्ष लगते हैं। अंततः, यह न्याय के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें। माननीय वित्त मंत्री इस बारे में सोचें। यदि पैसा वसूल नहीं किया गया है और एक बार यह आपराधिक भाग हो जाता है, तो फिर भी उसे सिविल मामला दर्ज करना होगा। उसे दो बार कोर्ट जाना पड़ता है। वह एक अदालत में फैसले से अपना पैसा वापस नहीं ले सकता है। उसे एक अदालत में न्याय नहीं मिल सकता। उसे एक अदालत के फैसले के आधार पर पैसा नहीं मिल सकता है। उसे दो अदालतों में जाना है। एक तरह से, यह एक अंतहीन मुकदमे बाजी की प्रक्रिया है। इसके अलावा, आरोपी हमेशा वादी का जानने वाला होता है और एक आदतन अपराधी भी है। सही कहें तो, उनमें से अधिकांश आदतन अपराधी होते हैं। ऐसे मामले में, शिकायतकर्ता को अपना पैसा और न्याय कभी वापस नहीं मिल सकता है। हम माननीय वित्त मंत्री द्वारा लाए गए संशोधन का स्वागत करते हैं और उससे सहमत हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि धनराशि की वसूली के लिए एक समयबद्ध ट्रायल होना चाहिए। दूसरा, वर्तमान आपराधिक और दीवानी अदालतें इन मामलों में न्याय नहीं कर सकती हैं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, इस मामले पर 30 से 40 प्रतिशत मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए, आप इस तरह के आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालतें बना सकते हैं। यह एक छोटी धनराशि हो सकती है। ऐसा करने के लिए एक बड़े बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत सारे प्रमाण और साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रथम दृष्टया सबूत बाउंस चेक के रूप में उपलब्ध होंगे।

इसके लिये अलग-अलग न्यायालय बनाई जानी चाहिए, प्रत्येक राज्य या प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक पीठ स्थापित की जानी चाहिए। यह शिकायत कर्ता की मदद करेगा।

मैं अपने तीसरे सुझाव पर आता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है हालांकि यह वर्तमान संशोधन से संबंधित नहीं हो सकता है। मैंने कई बैंकों को देखा है, जो कार या घर के लिए पैसे देते हैं, उन्हें खाली चेक लेने की आदत होती है। मैंने कई चेक भी साइन किए हैं। आजकल बैंकों के कर्मचारी बदलते रहते हैं और हमें नहीं पता कि ऐसे चेक अंततः किसके हाथ में लगते हैं। इसलिए, खाली चेक पर हस्ताक्षर प्राप्त करने का यह व्यवसाय कानून द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो।

इसके साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** मैंने तो बोलने के लिए अपना नाम नहीं दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। अभी तक जितने वक्ता बोले हैं, जो तकलीफ जनता के बीच में आती है, जो चैक के विषय में आती है...(व्यवधान)

मैं इस विधेयक का समर्थन बड़े पुरजोर ढंग से करती हूँ और मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ, जिस तरह की जनता की तकलीफें हैं, चैक का जो मिसयूज होता है, लोग अपने चैक को लेकर भटकते रहते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि हमारा चैक बाउंस हो गया है, उसके बाद हमको पैसा नहीं मिल रहा है। इसको क्लियर करने के लिए नियम 138 का मैं हृदय से समर्थन करती हूँ।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री वराप्रसाद राव वेलागपल्ली (तिरुपति):** महोदय, इस अवसर के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट को 2009 में और उसके बाद दो बार अपने ही फैसलों में अंतर करना पड़ा। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो गया था कि ईमानदार और वास्तविक लोगों के हितों की रक्षा की जाए। यह विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भी अत्यंत प्रासंगिक है। वास्तव में, चेक बाउंस के मामले पूरे न्यायिक तंत्र को जाम कर रहे हैं। देशभर में लगभग 50 लाख मामले अदालतों में लंबित हैं, और केवल दिल्ली में ही यह संख्या लगभग 6 लाख तक पहुँच गई है। इसलिए यह संशोधन अत्यंत आवश्यक है।

मेरी राय में तीन महीने में सारांश न्याय प्रक्रिया करना व्यावहारिक नहीं है, और शायद इस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। एक और बात जिसे मैं उल्लेख करना चाहता हूँ — और मैं पहले वक्ताओं द्वारा कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहता — वह यह है कि शिकायतकर्ता को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह अपनी पसंद की जगह पर मामला दर्ज करा सके। जैसा कि 1999 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी उल्लेख किया गया है, कभी-कभी धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को किसी विशेष अदालत में कुछ लाभ मिल सकता है विभिन्न कारणों से, और ऐसे में शिकायतकर्ता को नुकसान होता है। इसलिए, चूंकि शिकायतकर्ता कमजोर स्थिति में होता है, उसे यह विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए कि वह जहाँ चाहे मामला दर्ज करा सके। यह भी स्वागतयोग्य है कि इसे समझौता योग्य बना दिया गया है, लेकिन जो व्यक्ति बार-बार ऐसा अपराध करते हैं, उनके लिए केवल दो वर्ष की सज़ा पर्याप्त नहीं है। इसलिए, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, इसमें कुछ और कड़ाई दी जानी चाहिए।

एक बिंदु, जिसे भुला दिया गया था, यह था कि एन.ई.एफ.टी, आर.टी.जी.एस. और आई.एम.पी.एस. के संबंध में आर.बी.आई. के कई दिशा-निर्देश हैं, यानी मोबाइल भुगतान सेवाओं के माध्यम से स्थानांतरण, लेकिन इन पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, जब भी कोई विधेयक लाया जाए, अगर एक व्यापक विधेयक

लाया जाए, तो अगली बार ऐसी बात नहीं लानी चाहिए। इसलिए, जब इसे माना जाता है, तो आरबीआई दिशा-निर्देशों और एन.ई.एफ.टी., आर.टी.जी.एस. और आई.एम.पी.एस. पर भी विचार किया जा सकता है।

अंत में, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 177, 178 और 179 के संबंध में कुछ विसंगति है जहां इस परीक्षण पर विचार किया जाएगा। यहाँ, यह बिल्कुल विपरीत है। इसलिए, इस बात की संभावना है कि लोग दंड प्रक्रिया संहिता और वर्तमान परक्राम्य लिखत अधिनियम के बीच के अंतर का दुरुपयोग कर सकते हैं। अतः, इसमें भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

इन कुछ टिप्पणियों के साथ, हम इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

**वित्त मंत्री; कारपोरेट कार्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली):** महोदय, माननीय श्री जयंतीलाल सिन्हा के उत्तर देने से पहले, मैं केवल एक या दो बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहूँगा जो उठाए गए हैं। श्री सतपथी ने कहा कि पहले एफ.आई.आर. दर्ज करानी पड़ती है। यह आवश्यक नहीं है। धारा 142 के तहत, केवल शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर संज्ञान लिया जाएगा। पुलिस धारा 138 के अंतर्गत आने वाले मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती। इसलिए, 138 के अपराध के लिए एफ.आई.आर. की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह बात पूरी तरह से सही नहीं है।

वह चाहते थे कि कुर्की के संबंध में एक प्रावधान पेश किया जाए। कुर्की का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता में पहले से मौजूद है। इसलिए, किसी स्वतंत्र प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, और आपको जब्ती तभी मिलेगी जब आप सिविल दावा दायर करते हैं। यदि आप आपराधिक शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपराधिक मामले में कुर्की नहीं हो सकती है। यदि आप उस पैसे की वसूली के लिए एक सिविल वाद दायर करते हैं, तो सिविल प्रक्रिया कोड में एक संबंधित प्रावधान है जिसके द्वारा आप एक जब्ती फ़ाइल कर सकते हैं।

सदस्य चाहते थे कि इसके लिए समय-सीमा तय की जाए। अब, वर्ष 2003 के संशोधनों में, कोई विशिष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई थी। एक नई प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और प्रक्रिया यह थी कि शिकायत के साथ शिकायतकर्ता द्वारा यह कहते हुए एक हलफनामा दायर करना होगा कि यह बाउंस किया गया चेक है, और यह बैंक की एक पर्ची है, जिसने बाउंस करने के कारण दिए हैं।

### **अपराह 04.00 बजे**

अदालत उस पर्ची को सही मान लेगी। उस संबंध में एक प्रावधान धारा 146 में पेश किया गया था। इसलिए, जिस क्षण आप शिकायत के साथ एक हलफनामा दायर करते हैं, जो धारा 145 में प्रदान किया गया था, बाउंस किए गए चेक और पर्ची की प्रति संलग्न करते हुए, अदालत को नोटिस जारी करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यह अदालतों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा।

अंतिम प्रश्न जो उठाया गया था वह यह था कि आप समन कैसे जारी कर सकते हैं और आरोपी तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जहां लोग समन लेने से बचते हैं क्योंकि वो समय लेना चाहते हैं। इसके लिए, धारा 144 को जोड़ा गया था कि एक अदालती प्रक्रिया के बजाय और केवल एक अदालत प्रक्रिया द्वारा जारी किए जा रहे समन जिसे कोई व्यक्ति मना कर सकता है, फिर उसको देने के सभी संभावित तरीके - चाहे वह अदालत की प्रक्रिया हो या यह एक स्पीड पोस्ट था और किसी अदालत द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रक्रिया - को नियोजित किया जा सकता है। आज, इसके तहत समन भी संबंधित व्यक्ति को एक ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है। ये सभी प्रावधान पहले से मौजूद हैं। इसे केवल अदालतों द्वारा लागू किया जाना है। सरकारें प्रवर्तन एजेंसियां नहीं हैं; अदालतें प्रवर्तन एजेंसियां हैं, इसलिए उन्हें इसे लागू करना होगा।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात रखने वाले विद्वान सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर दिया। इस बार इस परक्राम्य लिखत अधिनियम, अध्यादेश और हमने जिन संशोधनों को पेश किया है, के बारे में हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई है। हमने पिछली बार भी इस मामले पर बहुत अच्छी चर्चा की थी।

जैसा कि मेरे प्रतिष्ठित और माननीय सहयोगी, वित्त मंत्री ने समझाया है, कुछ जटिल कानूनी चीजें हैं जिन्हें अधिनियम में रखा गया है और, ज़ाहिर है, उस संशोधन को और परिष्कृत किया गया है जो अर्थव्यवस्था में काम करने के लिए अनुबंधों की नींव प्रदान करता है। मुझे लगता है कि इसे एक उदाहरण के रूप में मानना बहुत दिलचस्प है कि एक वर्तमान समय जटिल बाजार अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। यदि हमारे पास अनुबंधों के प्रवर्तन के लिए और वास्तव में काम किए जाने वाले अनुबंधों के लिए एक मजबूत कानूनी आधार नहीं है, तो जहां तक बाजार अर्थव्यवस्था का संबंध है, हम महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ समाप्त हो जाएंगे। आज हमारे पास महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।

यदि आप तथ्यों को देखें, तो तथ्य यह है कि आज हमारे पास बाउंस चेक से जुड़े जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 18.27 लाख मामले लंबित हैं। इस के अतिरिक्त, हमारे पास माननीय उच्च न्यायालयों में 38,379 मामले हैं। चूंकि हमारे पास इन अनुबंधों को लागू करने का एक अच्छा तरीका नहीं है और क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले ने उन मामलों के संदर्भ में जटिल मामलों को और अधिक जटिल बना दिया है जहां इन मामलों के ट्रायल करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। हमारे पास इसके परिणामस्वरूप अदालतों में जबरदस्त लंबित और बकाया मामले पैदा हो गए हैं और निश्चित रूप से, इससे बाजार की अर्थव्यवस्था और वाणिज्य कैसे काम कर रही है, पर भी प्रभाव पड़ा है।

इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है और विद्वान माननीय सदस्यों ने यह संकेत दिया है कि यह एक बहुत छोटा और छोटा विधेयक है, लेकिन वास्तव में इसका बाजार अर्थव्यवस्था के कामकाज पर गहरा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन मामलों पर हमने विचार किया है और मई, 2014 में पेश किए गए विधेयक में हम जो

संशोधन लाए हैं, हमें लगता है कि उससे हम इन अनुबंधों के प्रवर्तन को और सक्षम करेंगे और इन ट्रायल्स के मामलों को समेकित करके, त्वरित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाएंगे, उन मामलों का उस स्थान पर ट्रायल करके जहां भुगतान कर्ता का न्यायिक अधिकार क्षेत्र है। इस तरह, छोटे व्यापारियों से जुड़ी स्थितियों को ध्यान में रखें जो चेक के बाउंस जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही बैंकों और दूरसंचार कंपनियों जैसे बहुत बड़े संगठनों का भी जो देश भर में बड़ी संख्या में चेक बाउंस जैसे मामलों से निपट रहे हैं।

इसलिए, ये दो संशोधन (1) एक खाते के माध्यम से चेक संग्रह के संदर्भ में और (2) इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक की नई परिभाषा, हमें मामलों के इस बहुत बड़े बकाया मामलों से निपटने में सक्षम बनाएगी और इस तरह से इन मामलों को संभालने में तेजी लाने में सक्षम होगी कि हम वास्तव में वाणिज्य और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं जो एक काफी सरल अधिनियम की तरह लगता है।

चूंकि यहां सभी विद्वान सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, इसलिए मुझे आशा है कि सभी सदस्य विधेयक को पारित करेंगे। धन्यवाद।

... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष :** आप विधेयक के तीसरे पठन के समय अपनी बात उठा सकते हैं। अन्यथा, आप चर्चा में भाग ले सकते थे।

[हिन्दी]

**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** उपाध्यक्ष महोदय, विद्वान मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, वह आम जनमानस के लिए बहुत ही उपयोगी और बैंकिंग व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि दुबई जैसे देशों में बैंकिंग प्रक्रिया में यह व्यवस्था है कि यदि चेक बाउंस होता है और खाते में पैसा नहीं रहता है या स्पष्ट हो जाता है कि चेक देने वाले व्यक्ति ने जानबूझ कर ऐसा किया और उसकी देने की नीयत नहीं थी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यहां पर माननीय मंत्री जी इस विधेयक में कोई ऐसा प्रावधान करेंगे कि जो भी इससे संबंधित हो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** यह तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** उस व्यक्ति या फर्म के एकाउंट को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाये। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब दूसरी चर्चा नहीं हो सकती है। जब माननीय मंत्री खत्म हो गया है, यह इस तरह नहीं चल सकता है। आप केवल मुद्दे उठा सकते हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक के ऑब्जेक्ट एंड रीजन है, इसमें ट्रेड कॉमर्स और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन्स को फायदा होने वाला है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किसी न किसी कारण से इसे समय टाइम बाउंड में करने में परेशानी है। हम लोग सभी आचार संहिता का केस लड़ते हैं और हमेशा कोर्ट का चक्कर बार-बार लगाना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि यदि आप इसे टाइम बाउंड नहीं करते हैं, क्योंकि लोग कार और घर के लिए लोन लेते हैं, वे ई.एम.आई देते हैं, वे ई.एम.आई. के लिए एडवांस में चेक्स दे देते हैं। हो सकता है कि उस समय किसी कारण से उनके एकाउंट्स में उतना पैसा न हो। यदि उनका एक भी चेक बाउंस हो जाएगा तो उनको बार-बार दूसरी जगह चक्कर लगाना पड़ेगा। टाइम बाउंड मैनेर के लिए सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करे ?

[अनुवाद]

**श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर):** महोदय, बहस में भाग लेने वाले कई सदस्यों ने मामलों के शीघ्र निपटान का सुझाव दिया है। वर्ष 2009 में, विधि आयोग ने फास्ट अदालतों की स्थापना का सुझाव दिया था। हालाँकि, वर्ष 2009 के बाद, इस देश में कोई फास्ट कोर्ट स्थापित नहीं किया गया था। लेकिन बहुत हाल ही में, 14वें वित्त आयोग ने पहले ही वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए इस देश में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कई मामले लंबित हैं। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगरों में जहां कॉर्पोरेट क्षेत्र उपलब्ध हैं, ऐसे कई मामले लंबित हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस पर बोलने का अनुरोध करूंगा।

**श्री जयंत सिन्हा:** महोदय, हमारे पास, परक्राम्य लिखत अधिनियम में, दंड को बढ़ाया गया ताकि यदि चेक का भुगतान नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति को दो साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। मुझे

लगता है, दंड काफी कठोर हैं जैसा कि ये अभी हैं। इन मामलों से निपटने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से ही 349 विशेष अदालतें चल रही हैं। ऐसे प्रावधान हैं कि जहां भुगतान कर्ता स्थित है उसे वही किया जाना चाहिए और मामलों को समेकित किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वास्तव में हमें इनमें से कई लंबित मामलों को जल्दी से हल करने में सक्षम करेगा और इन समस्याओं को सुव्यवस्थित करने में सक्षम होगा जिनका हम अभी सामना कर रहे हैं।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** सदन अब विधेयक पर खंड दर खंड विचार करेगा।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का भाग बने।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 3**

**माननीय उपाध्यक्ष :** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 से 5 विधेयक का हिस्सा बन रहे हैं।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**माननीय उपाध्यक्ष :** माननीय मंत्री अब विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

**श्री जयंत सिन्हा:** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

यह विधेयक पारित किया जाए।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

यह विधेयक पारित किया जाए।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह 04.08 बजे****निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015**

**माननीय उपाध्यक्ष :** सदन मद सं 10 पर चर्चा करेगा। श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा।

**विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि कतिपय अधिनियमों को निरस्त करने और कतिपय अन्य अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

यह निरसन और संशोधन विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक है, जिनके द्वारा वो अधिनियम जिनको लागू करना बंद कर दिया गया है या जो बेकार हो गए हैं या जिनका कानूनी पुस्तक में रखना अनावश्यक हो गया है, निरस्त कर दिए गए हैं और कानूनी पुस्तक से हटा दिए गए हैं।

दूसरा उद्देश्य अधिनियम में पाए गए औपचारिक दोष या स्पष्ट अशुद्धियों को सही करना है। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की कानूनी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि इसे आम आदमी के लिए और अधिक सुलभ बनाया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सरकार ने वर्तमान कानून प्रणाली पर पुनर्विचार करने, अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने, जटिल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और दोहरे कानूनों को बदलने के लिए व्यापक समीक्षा की है।

इस दिशा में, प्रधान मंत्री कार्यालय ने अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए 1 अक्टूबर, 2014 को दो सदस्यीय समिति का गठन किया है। विधि आयोग की विभिन्न प्रतिवेदनों और दो सदस्यीय समिति की प्रतिवेदन को ध्यान में रखा गया था और हमने निरसन के लिए 1,863 अधिनियमों की पहचान की। हमने पहले ही दो विधेयक पेश किए हैं जिनमें 35 अधिनियम और 90 अधिनियम शामिल हैं, जिन्हें संसद द्वारा पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है। वर्ष 2015 का एक और विनियोग विधेयक, जिसे लोक सभा द्वारा पेश और पारित किया गया था और अब राज्य सभा के समक्ष लंबित है, जो लगभग 758 विनियोग अधिनियमों को निरस्त

करने का प्रस्ताव करता है। संबंधित राज्यों द्वारा निरसन के लिए 289 अधिनियमों की पहचान की गई है। इन अधिनियमों को संसद द्वारा तब पारित किया गया था जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन थे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्यों को इन्हें निरस्त करना होगा। मैंने पहले ही विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और उनसे भी उन्हें निरस्त करने का अनुरोध किया है।

वर्तमान विधेयक 295 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए है। इसे एक साथ लेते हुए, 1,863 अधिनियमों में से लगभग 1,467 अधिनियमों के संबंध में कार्रवाई शुरू की गई है और पूरी की गई है। यह कानूनी पुस्तक को सही करने के लिए एक आवधिक उपाय है, यह आवश्यक है कि निरसन किया जाए। इसलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि कतिपय अधिनियमों को निरस्त करने और कतिपय अन्य अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

[हिन्दी]

**श्री गणेश सिंह (सतना) :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मंत्री जी ने निरसन और संशोधन (चौथा) अधिनियम, 2015 यहां प्रस्तुत किया है। मैं उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की जिसकी वर्षों से जरूरत थी। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजों के जमाने के बने हुए डेढ़ सौ, पौने दो सौ साल पुराने कानून हैं जिनकी आज कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन वे किताबों में दर्ज हैं। उनका निश्चित तौर पर निरसन किया जाना जरूरी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, उस समय 1998 में यह पहल शुरू हुई थी। उसके बाद जब श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्रों और चुनावी सभाओं में भी इस बात का उल्लेख किया था कि जो पुराने कानून हैं, जिनकी उपयोगिता नहीं है, उन्हें हम खत्म करेंगे। वे जब अमरीका में न्यूयार्क गए थे तो वहां उन्होंने जब इस बात को दोहराया तो उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर उनके इस फैसले का स्वागत किया था। सचमुच ऐसे-ऐसे कानून हैं जैसे हावड़ा ऑफिस एक्ट जिसकी आज कोई जरूरत नहीं है, गंगा टैक्स कानून 1880 का है, ड्रॉमेटिक परफार्मेंस एक्ट 1872 का है, वेस्टलैंड क्लेम एक्ट 1867 का है। 1878 में एक कानून बना था कि यदि सड़क पर एक रुपया पड़ा हो, आपने देखा और सरकार को सूचना नहीं दी तो आपको सजा हो जाएगी। इसी तरह 1934 में एक कानून बना पतंग उड़ाने और पतंग बनाने के लिए भी आपको परमिट लेना पड़ेगा। एक कानून 1887 का था कि यदि किसी होटल में पानी पीना हो, शौचालय जाना हो, यह आपका अधिकार है। ऐसे अनेक उदाहरण बता सकता हूं जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन पर विधि मंत्रालय का लगातार ऐसा चौथा संशोधन विधेयक है।

इस बिल के दो पहलू हैं , एक संशोधन और दूसरा निरसन, सबसे पहले मैं निरसन पर चर्चा करूंगा। इस बिल में 295 अधिनियमों को कानून की किताबों से हटाने का प्रावधान है जिसका विस्तृत उल्लेख मंत्री जी ने अभी किया है। डेढ़ दशक पहले विधि आयोग ने 250 अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने की सिफारिश की

थी, ऐसी बहुत सारी सिफारिशें पड़ी रहीं लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। मंत्री जी ने यह पहल करके निश्चित तौर अपना किया गया वादा पूरा करने का प्रयास किया है। इसके लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जिसमें कहा गया था कि 15 अक्टूबर, 2014 तक 2781 केन्द्रीय अधिनियम विद्यमान थे, उनमें से 1741 केन्द्रीय अधिनियमों की पहचान की गई जिनकी अब उपयोगिता नहीं है। उनमें 777 ऐसे अधिनियम हैं जिन्हें पूर्णतः या अंशतः निरसन किया जा सकता है। 83 केन्द्रीय अधिनियम जो राज्यों से संबंधित हैं जिन्हें राज्य के विधान मंडलों को निरसन करना है। वर्ष 2010 तक अधिनियमित 624 केन्द्रीय विनियोग विधेयक को भी निरसित करना है। केन्द्र शासित प्रदेशों में 257 विनियोग अधिनियम ऐसे बने हुए हैं जो केन्द्र शासित प्रदेश को करना है। पहले निरसन विधेयक में 35 कानून निरस्त हुए थे, दूसरे निरसन विधेयक में 90 कानून निरस्त हुए थे, तीसरे निरसन विधेयक में 11 मई, 2015 को पास हुआ था जिसमें 758 विनियोग विधेयक पास हुए थे। लोक सभा में सारे काम हो रहे हैं। ...<sup>4</sup>यह देश की जरूरत के विधेयक हैं, लोगों की जरूरत के विधेयक हैं। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल के लोग सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। पिछले 50 वर्षों तक देश में राज करने वाली पार्टी की बेसिक जिम्मेवारी थी कि देश हित में सत्ता पक्ष का साथ देते।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** राज्यसभा के बारे में श्रीगणेश सिंह ने जो कुछ भी कहा है, उसे दर्ज नहीं किया जाना है।

[हिन्दी]

**श्री गणेश सिंह :** इतने लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी जिनकी बेसिक जिम्मेदारी इस देश को सही दिशा देने की थी, जनतंत्र में जनता सरकार से काम चाहती है। सरकार आए और काम नहीं करें और जनता की जरूरत को पूरा नहीं करें तो मेरे हिसाब से यह न्याय नहीं है। आज सबसे बड़ा खतरा देश में विश्वास का पैदा हो गया था, वर्ष 2014 के चुनाव के पहले यही स्थिति थी, लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ गया था, राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर से उठ गया था, ऐसी विषम परिस्थिति में जब देश फंसा था तब नरेन्द्र

<sup>4</sup>कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोदी जी ने देश को नई दिशा देने का प्रयास किया, जनता ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया। वह भरोसा पहले दिन से लेकर आज तक बढ़ता जा रहा है। जो वायदे किए गए, चाहे वह वित्त क्षेत्र में सुधार लाने का हो, सामाजिक क्षेत्र में नई नई योजनाएं बना कर लोगों की गरीबी दूर करना हो, लोगों को रहने के मकान देने की बात हो, पीने के पानी का विषय हो, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई की बात हो, जन-धन योजना के माध्यम से लोगों को बैंक से जोड़ने का काम हो,, ये तमाम सारे काम उन्होंने किए। उसी कड़ी में हमारा कानून का क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे सुधार किए जाने की जरूरतें हैं, पुराने कानून का निरसन होना चाहिए, इन सारे विषयों के बारे जो कुछ भी उन्होंने कहा वे सारे एक-एक करके पूरा किया जा रहा है।

बेरोजगारों के मामलों में भी उन्होंने कहा था, तो आज कौशल विकास, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया आदि तमाम कार्यक्रम शुरू हुए हैं। इससे सचमुच लगता है कि यह एक ऐसी जनप्रिय सरकार है , जिसने देशवासियों को सही दिशा में ले जाने का वायदा किया था। आज सरकार के कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश के विकास का जो मॉडल है, नींव है, वह साल भर में मजबूती से दिखाई पड़ने लगी है। आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर वह एक अच्छा भवन तैयार कर नए स्थान बनाने में कामयाब होगी। वह नींव एक अच्छे भवन का निर्माण करेगी और देश को ठीक दिशा में ले जाने में काम करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका दूसरा पहलू बताना चाहता हूं। इसमें एक संशोधन भी है कि जहां पर महिलाएं काम करती हैं, वहां अगर उनका उत्पीड़न हुआ तो उस पर कारगर कार्रवाई कैसे हो? इस पर एक समिति के निर्माण का प्रस्ताव है, जो इसमें संशोधन के रूप में आया है। उसकी धारा 5, 7 और 24 में संशोधन किया जायेगा। एक समिति बनेगी, जिसका कार्यकाल तीन साल का होगा। उस समिति के पास सभी इकाइयां, चाहे ग्राम पंचायत में इस तरह से अपराध हुआ हो, नगर पंचायत में हुआ हो, विकास खंड में हुआ हो, जिले में हुआ हो, तो वह उस समिति के पास केस जायेगा। समिति सात दिवस के अंदर उसका निराकरण करेगी, तत्पश्चात उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। इसी तरह से राज्यपाल से संबंधित एक विशेषाधिकार संशोधन नियम, 2014 था, उसकी भी धारा दो में संशोधन का प्रस्ताव है। मैं इनका पुरजोर समर्थन करता हूं।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो शुरूआत हमारी सरकार ने की है, वह शुरूआत निरंतर तेज गति से बढ़ती जाये। देश में जो राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, और आम लोग हैं, वे इसके समर्थन में पूरी तरह से साथ चलें, ऐसा अनुरोध करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

**श्री एम. उदयकुमार (डिंडीगुल):** माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, वणक्कम!

मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा जो आई.आई.ए.डी.एम्.के. की महा सचिव हैं ने डॉ. राधाकृष्णन नगर विधानसभा क्षेत्र में 1,50,000 से अधिक मतों के ऐतिहासिक अंतर से पांचवीं बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।

मैं निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015 को निरस्त करने और संशोधित करने पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूँ। यह सरकार की ओर से उन अधिनियमों की समीक्षा करने और उन्हें हटाने का एक प्रयास है जो अप्रचलित और अनावश्यक हैं।

हम सभी समझते हैं कि पुराने कानूनों को समाप्त किया जाना है क्योंकि वे न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। एक प्रतिवेदन का उल्लेख करना प्रासंगिक है जिसमें कहा गया था कि ये कानून भारत की राजनीतिक विरासत पर एक बोझ हैं क्योंकि अब वे पुराने हो गए हैं, पूरे हो गए हैं या उनसे आगे निकल गए हैं।

वर्ष 1950 के दशक से, दस निरसन और संशोधन कानून बनाए गए हैं जिनके माध्यम से 1,291 अधिनियमों को निरस्त किया गया है। कानूनी पुस्तक में ऐसे कई कानून हैं जो उन दिनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 150 साल पहले बनाए गए थे; लेकिन समय के साथ, उन्होंने अपनी प्रासंगिकता और अपनी उपस्थिति खो दी और बहुत सारी प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं।

1 फरवरी, 2001 तक, माननीय उच्चतम न्यायालय में 21,936 मामले लंबित थे। हालांकि, बड़ी समस्या माननीय उच्च न्यायालयों के साथ है जहां वर्ष 1990 में 19 लाख मामले लंबित थे। बड़े पैमाने पर लंबित मामलों के लिए सीधे पुरातन कानूनों को ज़िम्मेदार ठहराया गया था। यदि प्रशासनिक और न्यायिक बाधा डालने वाले अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर दिया जाए तो हम सभी को खुशी होगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए।

हमारा कानून अप्रचलित कानूनों से भरा है, कुछ 19<sup>वीं</sup> शताब्दी और 20<sup>वीं</sup> शताब्दी की शुरुआत से संबंधित हैं। उनकी उपयोगिता समाप्त होने के बाद, इन कानूनों को निरसित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए विभिन्न सरकारी नियुक्त निकायों द्वारा समय-समय पर सिफारिशें की गई हैं।

सितंबर, 2014 में, विधि आयोग की 248<sup>वें</sup> प्रतिवेदन ने हमें 1086 केंद्र सरकार के कानूनों का डेटाबेस दिया। इस डेटाबेस में 253 वैधानिक शामिल नहीं हैं जिन्हें पहले निरसन के लिए अनुशंसित किया गया है लेकिन फिर भी वैधानिक पुस्तकों पर जारी रखें। डेटाबेस में विनियोग अधिनियमों को भी शामिल नहीं किया गया है। 248<sup>वें</sup> प्रतिवेदन ने 72 कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की और अधिक समीक्षा के लिए 261 और अधिनियमों को चुना।

अक्टूबर, 2014 में, विधि आयोग की 249<sup>वें</sup> प्रतिवेदन थी जिसने निरसन के लिए 77 और कानूनों की पहचान की गई थी। आंशिक निरसन और 11 विश्व युद्ध 2 के अध्यादेशों पर अलग-अलग सिफारिशें थीं। हमारे पास विधि आयोग की 250<sup>वें</sup> प्रतिवेदन भी थी जिसने निरसन के लिए 73 और कानूनों की पहचान की थी। संख्याओं को कैसे जोड़ा गया, इन तीन प्रतिवेदनों के साथ, 258 पुराने कानूनों को निरसन के लिए पहचाना गया था।

नवम्बर, 2014 में, विधि आयोग की 251<sup>वें</sup> प्रतिवेदन थी जिसमें 30 और कानून जोड़े गए थे और निरसन के लिए पहचाने गए पुराने कानूनों की संख्या तब 388 हो गई।

रामानुजम समिति को सितंबर, 2014 में पी.एम.ओ. द्वारा बनाया गया था और इसने एक विशाल चार-खंड प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जो विधि आयोग से भी अधिक व्यापक है। इस प्रकार, हम जानते हैं कि 1834 से, 6612 केंद्रीय विधियां अधिनियमित की गई हैं। किसी न किसी बिंदु पर, 3831 को निरस्त कर दिया गया है।

15 अक्टूबर, 2014 को हमारे पास कानून और विनियोग अधिनियमों में संशोधन सहित 2781 केंद्रीय कानून बचे हैं। इनमें से, रामानुजम समिति ने निरसन के लिए 1741 केंद्रीय अधिनियमों की पहचान की। 1741 कानूनों में से, 777 को केंद्र सरकार द्वारा निरस्त करने की; 83 राज्य विधानसभाओं द्वारा निरसन करने की जरूरत है क्योंकि ये राज्य विषयों पर केंद्रीय अधिनियम हैं; 624 केंद्रीय विनियोग अधिनियम हैं और 257 राज्य विषयों पर केंद्रीय विनियोग अधिनियम हैं, जिसे इसलिए, राज्य विधानमंडलों द्वारा निरस्त किया जाना है। यदि कोई उन लोगों की अनदेखी करता है जिन्हें राज्य विधानमंडलों द्वारा निरस्त किया जाना है, तो पहले से ही निरस्त किए गए 125 को चिह्नित 1401 के खिलाफ बेंचमार्क किया जाना चाहिए। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अभी तक 10 प्रतिशत भी निरसित नहीं किया है। आइए हम विनियोग को पहले तरीके से कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें संभालना आसान है। उनमें से 902 हैं, जिनमें रेलवे और राज्य विनियोग अधिनियम शामिल हैं।

विधि आयोग और रामानुजम समिति के साथ, तस्वीर कुछ इस तरह है - 637 अधिनियमों को संसद द्वारा निरस्त किया जा सकता है; 84 अधिनियमों को राज्य विधानमंडलों द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए; 58 अधिनियमों को संसद द्वारा निरस्त किया जा सकता है, लेकिन केवल राज्य सरकारों के परामर्श से और 28 अधिनियमों के साथ परामर्श करके जिनका राज्य पुनर्गठन से कुछ या अन्य संबंध है, इसलिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के विचार आवश्यक हो जाते हैं।

विधि आयोग ने 248<sup>वें</sup>, 249<sup>वें</sup>, 250<sup>वें</sup> और 251<sup>वें</sup> प्रतिवेदन में "अनावश्यक कानूनों: पर प्रतिवेदन : अन्य के साथ-साथ 289 अधिनियमों को तुरंत निरस्त करने की सिफारिश की।

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2015, को 35 अधिनियमों को निरस्त करना है और निरसन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2015, जिसको 90 अधिनियमों को निरस्त करना है, को अधिनियमित किया गया है।

इसके अलावा, यह सच है कि विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015, 758 विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने के लिए, जैसा कि 11 मई, 2015 को लोगों के घर द्वारा पारित किया गया था, राज्यों की परिषद में लंबित है। शेष कार्यों पर, निरसन की कार्रवाई अलग-अलग चरणों में होती है।

निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक में 295 अप्रचलित और अनावश्यक रूप से कानूनी पुस्तक पर पड़े अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। 1898 का लेपर्स अधिनियम; 1879 का हाथियों का संरक्षण अधिनियम; विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874 का अधिनियम 4; बच्चे ( बाल मजदूरी ) अधिनियम, 1933 का अधिनियम 2 शामिल हैं। मुझे कहना होगा कि यह खरपतवार निकालने की कवायद वर्ष 1950 में वापस शुरू की जानी चाहिए थी, जब संविधान अस्तित्व में आया था, और हमें वर्ष 2015 तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। एक और कहावत है, 'बेहतर देर कभी नहीं'। ऐसा कहने के बाद, एक और पहलू की सराहना करना महत्वपूर्ण है। यह हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक कानून को पूरी तरह से निरस्त किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण हैं जहां एक कानून को रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ भागों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है। ऐसे उदाहरण हैं जहां एक समेकन और सामंजस्य बैठने की आवश्यकता होती है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां निरसन को नए कानून के साथ मिलान किया जाना चाहिए, जिससे कमियों को दूर किया जा सके। ये एकमुश्त निरसन से अधिक समय लेते हैं।

कार्मिकों, लोक शिकायतों, कानून और न्याय पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 73<sup>वें</sup> प्रतिवेदन में पाया कि 32 अधिनियमों में संशोधन, हालांकि मृत हैं, उनके औपचारिक निरसन के अभाव में वो कानून की पुस्तक पर बने हुए हैं और इस प्रकार, अनावश्यक रूप से कानून की पुस्तक को बाधित कर रहे हैं। इस तरह के संशोधन अधिनियमों का निरसन किसी भी तरह से ढेर सारे लागू कानूनों को कम नहीं

करता है और इसलिए उनका निरसन किसी कानून को निरस्त करने के समान नहीं है, हालांकि उन कानूनों का निरसन जो अप्रचलित हैं और जो लोगों के लिए अनावश्यक कठिनाई का कारण रहे हैं, लोगों को उनसे राहत देते हैं।

संसद की स्थायी समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को ऐसे कानूनों की पहचान करने पर अधिक जोर देना चाहिए और ऐसे कानूनों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को पुराने और अप्रचलित कानूनों से वास्तविक राहत मिल सके।

समिति द्वारा सुझाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण खंड सूर्यास्त खंड है। अधिनियमों में संशोधन के संबंध में, सरकार को इस तरह के संशोधन अधिनियमों में प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए, उनके स्वचालित निरसन के लिए एक सूर्यास्त खंड ताकि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद कानूनी पुस्तक पर न रहें। इस तरह के प्रावधान से प्रत्येक समय निरसन विधेयक लाने और फिर संशोधन अधिनियमों को निरस्त करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

समिति को अवगत कराया गया कि विधायी सफाई कानून की पुस्तक को साफ करने के लिए एक आवधिक कवायद है। समिति चाहती थी कि कानूनी पुस्तक की सरल आवधिक सफाई वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होगी। कानून का आसान और समझने योग्य संहिताकरण होना समय की मांग है। इसलिए, उपरोक्त को देखते हुए, मैं एक अपील करता हूँ कि सरकार को कानून की पुस्तक पर मौजूदा अधिनियमों की समीक्षा करते समय कानूनों को सरल बनाने के प्रयास करने चाहिए।

मैं इस संबंध में संसद की स्थायी समिति के विचारों का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। भोगी भगवान इंद्र के सम्मान में पोंगल उत्सव के पहले दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन मनाया जाने वाला एक और अनुष्ठान यह है कि बेकार घरेलू सामान को आग में फेंक दिया जाता है, जो लकड़ी और गोबर के केक से बना होता है। लड़कियां अलाव के चारों ओर नाचती हैं, देवताओं, वसंत और फसल की प्रशंसा में गीत गाती हैं। कृषि अपशिष्टों को अलाव बनाने के लिए जलाया जाता है और जो सर्दियों के अंतिम समय में हमें गर्म रखता है। हमारी

परंपरा और त्योहार हमें जीवन के हर पहलू पर सिखाते हैं। इसी तरह, आइए हम अवांछित और अप्रयुक्त पुराने कानूनों को नियमित रूप से हटाएं और लोगों के कल्याण के लिए सरल और प्रभावी कानूनों का विधान बनाएं।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं तथा माननीय विधि मंत्री को बधाई देता हूं।

**श्री तथागत सत्पथी (धेकनाल):** महोदय, निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015 पर चर्चा शुरू करते समय, मुझे एक चीनी कहावत की याद आ रही है जो इस तरह जाती है: अतीत पर विचार करें और आप भविष्य को जानेंगे।

केंद्र सरकार ने असंगत और निरर्थक कानूनों को हटाने के उद्देश्य से कानूनों और कानूनी प्रणाली की व्यापक समीक्षा की है। यह हमारी कानूनी पुस्तकों के बोझ को कम करने का एक अच्छा प्रयास है। लेकिन दुःख की बात है कि एक देश के रूप में हम निष्पक्ष इतिहास दर्ज करने की अच्छी मिसाल नहीं जानते हैं। यदि आप हमारे इतिहास को देखते हैं तो हमारे पास बाबरनामा और अकबरनामा जैसे दस्तावेज हैं। दूसरे शब्दों में, उस तरह के दस्तावेज क्या करते हैं, यह समाज का, राष्ट्र का, व्यवस्था का इतिहास केवल शासकों या शासकों के समूह के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड करता है, लेकिन लोगों के दृष्टिकोण से नहीं कि आम आदमी, मेहनतकश जनता कैसे जीवित रहती है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री और सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि इस साल यह चौथी बार है जब इस तरह का निरसन और संशोधन विधेयक संसद में आया है। पहले हमारे पास ऐसे तीन विधेयक थे और यह चौथा है। क्या हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कानून किसी न किसी दिन हमारे राष्ट्रीय इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आइए हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां 100 वर्ष या 150 वर्ष हैं, जब हमारे पड़ पोते और बच्चे या कुछ लोग, जो हमारे परिवारों के नहीं हो सकते हैं, या राष्ट्र के बच्चे यहां बैठे होंगे और वे पीछे इतिहास को देखना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि अध्यादेशों के प्रख्यापन, कानूनों के निर्माण का इतिहास क्या रहा है, चर्चाएं क्या थीं। क्या हमारे पास इन कानूनों का एक उचित ऐतिहासिक दस्तावेज है? जिस तरह से हम इसके बारे में जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें पतला बनाने के लिए हमारी कानूनी पुस्तकों पर बोझ कम करके हम अपने इतिहास के हिस्से से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसलिए, यह भ्रम पैदा कर सकता है जब कोई हमारी कानून प्रक्रिया के विकास का अध्ययन करना चाहेगा। इस तरह के निरसित कानूनों को टुकड़ों में लाने के इस तरीके से, इसे टुकड़े- टुकड़े में लाने से कई लोगों के मन में एक संदेह पैदा होता है कि शायद सरकार एक अस्थायी व्यवस्था बनाने में रुचि रखती है कि इस विधि को निरस्त करने से पहले वह करें जो आप करना चाहते हैं। इसलिए, यह शायद एक बहुत ही अज्ञात, छोटी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाता है जो हमारे लिए अज्ञात हैं, लेकिन कौन जानता है कि क्या हो रहा है, कौन से कानूनों को निरस्त किया जा रहा है और इसलिए वे शायद लाभ उठा रहे हैं।

महोदय, जब विधि आयोग ने दिया है 1741 कानूनों को बदलने की आवश्यकता है, तो हम टुकड़ों में क्यों काम कर रहे हैं, यह एक संदेह है जो सोच में आयेगा, मुझे लगता है भारत के किसी भी सही सोच वाले नागरिक के मन में। ये कानून विविध राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान पारित किए गए थे। मेरा सुझाव है कि वकीलों और इतिहासकारों वाली समिति को इन निरस्त कानूनों या कानूनों को देखना चाहिए जिन्हें निरस्त किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह आदत न बन जाए। हम इसे एक बार और सभी के लिए करते हैं। लेकिन हम उन कानूनों का रिकॉर्ड रखें जिन्हें हम निरस्त कर रहे हैं। जबकि हम निरसन कर रहे हैं या हम इन कानूनों को निरस्त करने की गति में हैं, हम यह भी जानते हैं कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक कानून जो पुरातन हो रहे हैं, उन्हें भी फिर से देखने की आवश्यकता है और शायद उन्हें निरसन की भी आवश्यकता है। मैं धारा 377 जैसी किसी चीज का उदाहरण दूंगा, जो समाज के एक छोटे वर्ग से संबंधित कानून है। लेकिन यह एक विशेष प्रकार के लोगों के लिए एक प्रासंगिकता है जो इंसान हैं, जिनके पास हमारी तरह भावनाएं हैं, लेकिन यौन आवश्यकताएं बहुत से लोगों से अलग हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम उनकी ओर नहीं देख रहे हैं। वे न तो श्रेष्ठ हैं और न ही निम्न हैं। वे हमारे बराबर हैं। इसलिए, समलैंगिकता से संबंधित कानून पर दूसरा नज़रिया रखना भारत में एक आधुनिक समाज बनाने की दिशा में एक कदम होगा जिसे यह सरकार मान रही है कि यह करने की कोशिश कर रही है।

इन पुराने और कठोर कानूनों ने इस देश में कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण के लिए, मेरी अवस्था में, भांग एक पौधे का व्युत्पन्न है जिसे इंडिका सैटिवा कहा जाता है। यह कुछ ऐसा है जो धार्मिक त्योहारों में लिया जाता है। लेकिन हमारे पास कानून है, वह है एन.डी.पी.एस. अधिनियम, जो इसे अवैध बनाता है। ओडिशा के गांवों में भी, लोग मारिजुआना लेते हैं, लोग भांग को नशे के रूप में नहीं लेते हैं। यह शराब की तरह नहीं है। हमने शराब को वैध कर दिया है, और हम राजमार्गों के किनारे भी दुकानों के बाद दुकानें खोलते रहते हैं और हम लोगों को पीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं

मेरे राज्य में महिलाएं शराब से बहुत परेशान हैं। हर गाँव में कई छोटी-छोटी क्रांतियां होती हैं। मैंने इसे अपने निर्वाचन-क्षेत्र में भी देखा जहां महिला लोग खुलेआम और कानून के द्वारा सरकारी दुकानों के माध्यम से शराब बेचने पर आपत्ति कर रही हैं। शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन एन.डी.पी.एस. अधिनियम को लागू करके हम इन गरीब लोगों, फील्ड वर्कर्स और रिक्शा चालकों के नशा करने पर दंड देते हैं। तो, यह भी एक अधिनियम है जिसे फिर से देखने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की ओर दिलाना चाहूंगा। नेट न्यूट्रैलिटी के बारे में बहुत चर्चा हुई है। जिस तरह से हम नेट न्यूट्रैलिटी के इस विषय से निपट रहे हैं, उससे बहुत से लोग बहुत परेशान हैं। हमने हाल ही में देखा कि कैसे सरकार ने कुछ साइटों पर प्रतिबंध लगाया और फिर अज्ञात कारणों से अपने आदेशों को रद्द कर दिया। आज, यह एक बुरी साइट हो सकती है, यह एक अश्लील साइट हो सकती है जिसे हम सभी समर्थन करते हैं, इसे लोगों द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा कुछ करना शुरू करते हैं, तो उस रवैये का कोई अंत नहीं है कि मैं केवल इस पर प्रतिबंध लगाऊंगा और पर नहीं। एक बार जब आप नौकरशाही की अनुमति दे देते हैं, एक बार जब आप प्रणाली को आगे बढ़ने देते हैं और प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं और वे पूरे देश की नैतिक पुलिसिंग शुरू कर देते हैं, तो नैतिक पुलिसिंग का कोई अंत नहीं है और अगला पीड़ित कौन होगा, यह सवाल है जिसका शायद हम में से कोई भी जवाब नहीं दे सकता है।

इसी तरह, मैं सुझाव दूंगा कि समान नागरिक संहिता पर बहस हो और माननीय मंत्री इसकी शुरुआत कर सकते हैं।

यह एक ऐसा मामला है जो इस देश में बहुत से लोगों को भी परेशान करता है। इस पर हमारे बहुत सारे राजनीतिक विचार हैं। हमने अपने कानूनों को पुराने धार्मिक शास्त्रों पर आधारित किया है, जबकि दुनिया धार्मिक शास्त्रों से आगे बढ़ रही है, विचारों से परे जो समान हैं, कुछ तरीकों से आई.एस.आई.एस. जैसे संगठनों द्वारा प्रचारित किए जा रहे विचारों की तरह हो सकते हैं। यदि आप आई.एस.आई.एस. जैसे बुरे संगठनों का मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको एक अधिक सतर्क और अधिक आधुनिक समाज बनना होगा जो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को प्यार से साथ लेकर चलती है। उस पल जब आप भेदभाव शुरू कर देते हैं, समाज को बांटना शुरू कर देते हैं, तो आप आई.एस.आई.एस. जैसे बुरे संगठनों के शिकार हो जाते हैं।

इसलिए, इस निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015 का समर्थन करते हुए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कुछ सामाजिक रूप से बुरे कानूनों और सामाजिक रूप से पुराने कानूनों पर पुनर्विचार करे जो अभी भी हमारी कानूनी पुस्तकों में हैं जो वहां होने के लायक नहीं हैं और वे कानून लोकतंत्र के हमारे रास्ते में और सच्ची स्वतंत्रता के लिए जंजीरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। धन्यवाद, महोदय।

**डॉ. सत्य पाल सिंह (बागपत)** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं यहां निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015 का स्वागत और समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय कानून मंत्री को यह विधेयक लाने के लिये बधाई देता हूँ। कानून 'सभी को न्याय, विशेष रूप से गरीबों और आम आदमी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए है ताकि इस देश में लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। इस तरह के कानून से किसी को बख्शना नहीं चाहिए। यही कानून की भावना होनी चाहिए। भारत में जो भी समस्याएं हैं, विशेष रूप से एक ही विषय पर कई कानून हैं जिनमें बहुत जटिल और कठिन चीजें हैं। कभी-कभी, वे बहुत ही विरोधाभासी कानून होते हैं। हम कानून की भाषा में जानते हैं कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। हजारों कानून हैं जो वहां हैं। जब वकीलों को कानूनों की जानकारी भी नहीं है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक आम आदमी कानून जानता होगा?

उसी सभा में लगभग कुछ वर्ष पूर्व, तत्कालीन माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि हम इस देश में कानून बना सकते हैं, लेकिन हम इसे लागू नहीं कर सकते। यदि हम कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो कानून बनाने का क्या अर्थ है? इसलिए, हमें देश के लिए कानूनों को न्यूनतम सीमा तक रखना होगा।

दूसरी बात, मैं अप्रचलित, निरर्थक, विरोधाभासी और अनावश्यक कानूनों पर आता हूँ। कई कानून ब्रिटिश काल के हैं। यदि हम पुलिस के बारे में बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे पास अभी भी वर्ष 1861 का कानून है। हमारे पास अभी भी आई.पी.सी. है, ब्रिटिश युग का भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इतने सारे कानून हैं जो आज प्रासंगिक नहीं हैं। इतने सारे कानून बेकार हो गए हैं। इसीलिए, इस देश में, इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि पुलिस और अन्य मशीनरी पीड़ित हैं। वास्तव में, आखिरकार, जनता पीड़ित है। व्यवहार में, मुझे एक बात पता चली। मैं विवरण पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जब कानून आम आदमी के उत्पीड़न का साधन या हथियार बन जाते हैं, तो लोगों को पीड़ा होती है। हमारे पास इस तरह

के कानून हैं। ये कानून ब्रिटिश काल के हैं जो यह भी बताते हैं कि हम अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं और हमारे इस देश में कोई परिवर्तन नहीं है आया , हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुए हैं।

व्यापार करने के लिये वर्ष 2014 में एक विश्व बैंक की प्रतिवेदन थी। इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत में कानून को लागू न करने के लिए कानूनी उपचार प्राप्त करने में 1400 दिन तक का समय लग सकता है। इसमें लगभग चार साल लग सकते हैं! यह भी कहता है कि इसकी लागत दावे का 40 प्रतिशत तक जा सकती है। यदि आगे कहा जाता है कि भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए, इसमें 90 दिन तक का समय लगता है। अब, हमारी सरकार के कारण, इसे घटाकर 27 दिन कर दिया गया है जहां विश्व औसत केवल 7 दिन या उससे कम है। कानूनों की अधिकता के कारण, हमारे न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं। इसके कारण, अधिवक्ताओं द्वारा छोटे मुद्दों को लिया जा सकता है। एक ही विषय पर कई अप्रचलित कानून हैं। इसलिए, इस बात की आवश्यकता है कि समान कानूनों को कैसे एकीकृत किया जाए, जो बेकार कानून हैं उन्हें कैसे खत्म किया जाए, इस देश में न्यायिक सुधारों के लिए संगठित प्रयास कैसे किया जाए। इसीलिए, लगातार, भारत में इतने सारे कानून आयोग अपनी प्रतिवेदनों में और सभी मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलनों में, उन्होंने हमेशा यह उल्लेख किया है कि हमें इस देश में कानूनों की संख्या कम करनी है।

वर्ष 1998 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार थी, तब एक पैनल का गठन किया गया था और उन्होंने सिफारिश की थी कि इस देश में 1382 कानूनों को निरस्त करना होगा। 400 से अधिक कानूनों को निरस्त किया गया था। जब यह सरकार सत्ता में आई, तो हमारे माननीय. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश को यह आवश्यक है कि लगभग हर दिन, हमें कुछ अधिनियमों को निरस्त करना होगा। फिर, मुझे लगता है, यह दो-सदस्यीय समिति थी जिसका गठन किया गया था। विधि आयोग की प्रतिवेदन और पीसी जैन आयोग की प्रतिवेदन के आधार पर, उन्होंने सिफारिश की कि 1741 कानूनों को निरसित किया जाना है। आज, 295 अधिनियमों को निरस्त करना होगा। मैं माननीय विधि मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें। जब हम एक कानून बना रहे हैं तो अधिनियमों का स्वचालित निरसन होना चाहिए। न्यूनतम

सरकार और अधिकतम शासन परिदृश्य में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास अधिकतम शासन है, हमें कम से कम कानूनों की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरल भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसी तरह सरल और छोटा कानून देश के लिए अच्छा है।

मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि हमें सम्मिश्रण कानून से सीखना चाहिए। दुनिया में पहली कानून पुस्तक *मनुस्मृति* थी; इसी तरह, कौटिल्य का *अर्थशास्त्र*। हमें उनसे सीखना होगा ताकि हम समाज को स्वस्थ रखना सुनिश्चित कर सकें। इन शब्दों के साथ, मैं यहां समाप्त करता हूँ।

**श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर):** महोदय, केंद्र सरकार ने हमारे देश में कानूनी व्यवस्था में सुधार की पहल की थी। मैं माननीय कानून मंत्री को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस निरसन अधिनियम को अधिनियमित करने की पहल की। इस वर्ष में, पहले से ही हमने तीन निरसन अधिनियम पारित किए हैं, लगभग 883 अधिनियमों को निरस्त किया है। अब, इस विधेयक के माध्यम से, हम 295 अधिनियमों को निरस्त करने जा रहे हैं। ये सब अधिनियम हमारे पूर्ववर्तियों के द्वारा इस सभा में पारित किए गए थे, जिन्होंने उस समय की स्थिति को देखते हुए इन कानूनों को अधिनियमित किया था। हालाँकि, अपनी मंशा को पूरा करने के बाद, अब, क्योंकि ये कानून अप्रचलित, अनावश्यक हैं और किसी भी परिस्थिति में आवश्यक नहीं हैं, सरकार ने पहल की थी। हम सभी लोगों को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

अपनी पार्टी की ओर से हम इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने के लिए आशा और अनुरोध करता हूँ कि जो अधिनियम दो सदस्यीय समिति द्वारा अनुपयोगी बताये गए हैं उनको जल्द से जल्द एक विधान लाकर निरसित कर दिया जाए।

**विधि एवं न्याय मंत्री (श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा):** मैं चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। सभी ने कुछ टिप्पणियों के साथ विधेयक का समर्थन किया है। विशेष रूप से दो माननीय सदस्यों ने एक मुद्दा उठाया है कि यह टुकड़ों में कानून क्यों है। व्यावहारिक रूप से, हम यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी अप्रचलित कानूनों, जिनकी पहचान की गई है, को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। लेकिन जहां तक इन मामलों का संबंध है, प्रत्येक अधिनियम, जिसे हम निरस्त करने जा रहे हैं, उसके लिये संबंधित मंत्रालय के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है; प्रशासनिक मंत्रालय से परामर्श किया जाना चाहिए; हमें उनकी राय लेनी होगी। तभी, हम निरसन के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

इसी प्रकार, कुछ विषय जो समवर्ती सूची में हैं, उन्हें उनकी राय प्राप्त करने के लिए हमें राज्य सरकार को लिखना होगा। तभी, हम निरसन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्चस्त कर सकता हूँ कि वो 1,863 अधिनियम जिन्हें अप्रचलित और अनुपयोगी के रूप में पहचाना गया है, हम ऐसे कानूनों का ध्यान रखेंगे जैसे ही हमें राज्य सरकार और संबंधित मंत्रालयों से सहमति मिलती है।

माननीय सदस्यों ने स्वचालित निरसन खंड के बारे में उल्लेख किया है। हम पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। जहां तक विनियोजन अधिनियमों का संबंध है, हम पहले ही इस पर ध्यान दे चुके हैं। इस वर्ष से, सभा के सामने आने वाले सभी विनियोग विधेयकों में सनसेट खंड होगा ताकि अगले वर्ष से, विनियोजन अधिनियम का उद्देश्य पूरा होने के बाद, तो, इसे एक वर्ष के लिए स्वयमेव रूप से रखा जाएगा ताकि यह पता चल सके कि समेकित निधि से निकाला गया कोई पैसा छूट गया है अथवा नहीं। अगले वर्ष से, स्वतः ही, वह विनियोजन अधिनियम निरसित हो जाएगा। इसलिए, हमने पहले ही लगभग सभी विनियोजन अधिनियमों में सनसेट खंड पेश किया है।

जहां तक स्वयमेव निरसन खंड संबंधित है, यह समय की आवश्यकता है। किंतु हमें अध्ययन करना होगा कि यह कैसे किया जा सकता है क्योंकि परवर्ती दिनों में इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस कारण से,

हम इस पहलू का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और भविष्य के अधिनियमों में हम यह स्वयमेव निरसन खंड भी चाहते हैं।

महोदय, मनुष्यों के विपरीत, ये कानून एक प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरते हैं। यह टिप्पणी विधि आयोग द्वारा की गई है। इसलिए हमें उन्हें निरस्त करके समाप्त करना होगा। अन्यथा वे नहीं मरेंगे, राज्य कानूनों के संभावित अपवाद के साथ जिनका जीवन अधिनियमन के समय कानून द्वारा पूर्व निर्धारित है। हम इसे स्वयमेव निरसन खंड की तरह सूर्यास्त खंड के माध्यम से कर रहे हैं ताकि भविष्य में दोहरा कार्य न किया जा सके। विधेयक लाने के समय ही, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा किया गया है।

माननीय सदस्य गण श्री तथागत सत्पथी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विधायी प्रक्रिया के विकास के संबंध में एक मुद्दा उठाया है। बेशक, वर्तमान कदम, जिसे हम इस निरसन और संशोधन अधिनियम के माध्यम से ले रहे हैं, कानून पुस्तिका को साफ़ करेगा। यह कानून को आम आदमी के लिए सरल और समझने में आसान बनाता है। इस विधेयक के पीछे यही इरादा है। हमने देखा है कि ये मृत कानूनों से जीवित कानूनों में भ्रम उत्पन्न होता है। यह उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है। इसलिए, हमने इस कानून की किताब को साफ करने की पहल की है जिसके द्वारा भ्रम पैदा करने वाले अप्रचलित कानूनों को हटा दिया जाएगा। मैंने पहले ही राज्य सरकारों को लिखा है कि 42<sup>वें</sup> संशोधन के बाद, जो अधिनियम संसद द्वारा पारित किए गए हैं, जब राज्य सरकार राष्ट्रपति शासन के अधीन है, अब उन्हें राज्य द्वारा ही ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि संसद के पास अधिनियम बनाने के बावजूद कोई शक्ति नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ के अधीन, यह निरसन और संशोधन कारी विधेयक यहां लाया गया।

महोदय, छह मास की अल्प अवधि में मैं यह चौथा निरसन और संशोधन कारी विधेयक इस सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा कि सभी 1,863 पुराने और अनावश्यक कानूनों का निरसन हो। इसलिए, मुझे आशा है कि सभी सदस्य इससे पूरी तरह संतुष्ट होंगे। मैं उन्हें एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और इस सम्मानित सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि कतिपय अधिनियमों को निरस्त करने और कतिपय अन्य अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब सदन विधेयक पर खंड-दर-खंड विचार करेगा।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 4 विधेयक का हिस्सा हैं।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई है।

**खण्ड 1 संक्षिप्त शीर्षक**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, “(चौथा)” के स्थान पर, “(तीसरा)” (1)

प्रतिस्थापित करें।

(श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा)

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“वह खंड 1, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*अधिनियमन सूत्र और शीर्षक को विधेयक में जोड़ा गया था।*

**माननीय उपाध्यक्ष :** माननीय मंत्री अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि संशोधित, विधेयक, पारित किया जाए।

**श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह 5.00 बजे****नियम 193 के अंतर्गत चर्चा****संधारणीय विकास लक्ष्य ... जारी**

**माननीय उपाध्यक्ष :** अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करते हैं; डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जारी रखें  
[हिन्दी]

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम 193 के अंतर्गत सतत विकास और लक्ष्य पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है और उस मानव के जीवन को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया के 189 देशों ने जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में संघर्ष करने और आगे बढ़ने का संकल्प लिया, उस दिशा में मैं कहना चाहता हूँ - "अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर संवेदना खोई नहीं है।" निश्चित रूप में संवेदनाएं अभी भी जिंदा हैं और वेदना भी खोई नहीं है। इसलिए उस वेदना को मिटाने की दिशा में जो यह संघर्ष है, जो यह रास्ता है, जो सतत विकास का लक्ष्य इतने देशों ने निर्धारित किया है, मेरा देश भारत भी उस दिशा में सतत प्रयासरत है। कल हम लोग पर्यावरण पर चर्चा कर रहे थे और यह चर्चा हो रही थी कि पर्यावरण जीवन है और पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। यह पूरी दुनिया के लिए जरूरी है और उसमें उन लक्ष्यों में, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, उसमें वनों का विकसित होना, वनों की समृद्धि भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यदि वन नहीं है तो जल नहीं है और जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए वनों का विकास होना बहुत जरूरी है और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ - "वन में वृक्षों का वास रहने दो, झील, झरनों में सांस रहने दो, वृक्ष होते हैं वस्त्र जंगल के, छीनों मत ये लिबास रहने दो।" मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो वन हैं, इन वनों पर आधारित न केवल पर्यावरण है, जब वन से जल और जल से जीवन है तो सम्पूर्ण मानवता के लिए वन सर्वोपरि होता है। इसलिए इस दिशा में देश और दुनिया के लोगों से मैं आपसे माध्यम से यह अपील करना

चाहता हूँ - "संभल जाओ ए दुनिया वालों, वसुंधरा पर करो प्रहार नहीं, रब रहता है हर जगह हर पल, प्रकृति पर करो अत्याचार नहीं।" जब भी प्रकृति पर अत्याचार होते हैं तो प्रकृति कहीं न कहीं अपना संतुलन बनाती है। उसी का परिणाम है कि कहीं भूकम्प आता है तो कहीं भूस्खलन होता है और कहीं अतिवृष्टि होती है तो कहीं खेत, खलिहान, मकान और दुकान सब स्वाहा हो जाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में पेड़ों का कटान बंद हो, नए वृक्षों का रोपण हो। वैसे मैं वन और पर्यावरण मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वनों की वृद्धि की दिशा में उन्होंने बहुत अभिनव प्रयोग किया है और लगातार वन समृद्धि बढ़ाने की दिशा में वह प्रयासरत हैं। यदि वनों का संरक्षण नहीं होगा तो तेजी से धरती की जो उष्णता बढ़ रही है, प्रदूषण भी इसी के कारण बढ़ रहा है, ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं और पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि भूस्खलन और भूकम्प आदि तमाम प्रकार की त्रासदियां उसका एक बड़ा कारण है। जब मैं उत्तराखंड का मुख्य मंत्री था तो हिमालय के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोगों ने हिमनद प्राधिकरण बनाया था। क्योंकि यदि ग्लेशियर पीछे जायेंगे तो हिमालय पर संकट होगा और यदि हिमालय पर संकट होगा तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया संकट में आयेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वन और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में हिम नदियों और ग्लेशियरों का संरक्षण बहुत जरूरी किया जाए, अन्यथा जब भी हिमालय छोटी सी भी करवट लेगा तो वह बहुत बड़े संकट का विषय बन जायेगा।

इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस दिशा में वह गंभीरता से विचार करें। क्योंकि जब भी वनों का कटान होता है, क्षरण होता है तो जो प्राकृतिक आपदा आती है, यह प्राकृतिक आपदा के दंश को हम हिमालयी क्षेत्र के तमाम राज्य ज्यादा झेलते हैं। इसलिए इन लक्ष्यों में एक लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि जो प्राकृतिक आपदा के मारे लोग हैं, सतत विकास की दिशा में उन लोगों का पुनः स्थापन एक समयबद्ध तरीके से हो। श्रीमन्, मैं सोचता हूँ कि चाहे वह केदारनाथ की त्रासदी हो, चाहे वह जम्मू-कश्मीर की आपदा हो, चाहे नेपाल की त्रासदी हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र के तमाम उन राज्यों में जो भूस्खलन, भूकंप, अतिवृष्टि, और बादल फटने के कारण तबाह हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी त्रासदी होती है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जो केदारनाथ की त्रासदी आई थी, जिसमें 24 राज्यों के हजारों लोग हताहत हुए और हजारों

लोग आज भी लापता हैं, वे लोग जो आज दो वर्ष बाद भी घाटी से तबाह हो कर बेघर हो गए थे, वे आज भी दर-दर भटकने को मजबूर हैं। वे आज भी अपने परिवार को व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। जो उनकी संपत्ति थी, सब स्वाहा हो गई और वे आज भी विकास का मुंह ताक रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि समयबद्ध तरीके से उनका पुनः स्थापन हो क्योंकि हम मानवता के विकास की बात कर रहे हैं। जिन लोगों के सामने इतना बड़ा संकट आता है, उनके जीवन, उनका रहन-सहन और उनके पारिवारिक संरक्षण का लक्ष्य भी इस दिशा में होना चाहिए क्योंकि वर्षों-वर्षों से ये लोग भटक रहे हैं। आज भी इनके सिर पर कोई छत नहीं है और तन पर पहनने के लिए कपड़े के लिए दर-दर भटकते हैं। इस विषय पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे मन में यह विचार आया क्योंकि केदारनाथ की त्रासदी के दो साल के बाद भी हम उन लोगों को व्यवस्थित नहीं कर पाए तो एक ओर हम मानवता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर ऐसे लोगों को चौराहे पर छोड़ने की स्थिति पैदा होती है। इसलिए मेरा इसमें यह भी सुझाव है कि जो लोग बेघर हो गए हैं, जो नवयुवक दर-दर भटक रहे हैं, उनको एक समयबद्ध तरीके से संरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा सुझाव है कि जो केंद्र सरकार धनराशि देती है, क्योंकि केदारनाथ आपदा की ही जो बात आई है, उसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं। इसीलिए ये वित्तीय अनियमितताएं सूचना के अधिकार अधिनियम में भी आई हैं। एक-एक बोतल पानी सौ-दो सौ रुपए का बिका है, आधा लीटर दूध दो-ढाई सौ रुपए में आया है। स्कूटर पर तीस-तीस लीटर डीजल लिया गया है और जब पकड़ में आया तब पता चला कि वह ट्रक का नंबर नहीं स्कूटर का नंबर है।

समाचार पत्रों में यह खबर भी आई कि सीएजी ने यह भी कहा है कि लगभग रु. 460 करोड़ की आपदा राहत धनराशि का कोई हिसाब-किताब नहीं मिल रहा है। इसलिए ये जो बड़ी अनियमितताएं होती हैं, जिनमें भारत सरकार पैसा देती है, देश भर के लोग चंदा कर के उन आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए करते हैं। ऐसी धनराशि में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह यह भी है कि इसके लिए एक जांच आयोग निश्चित बैठना चाहिए ताकि यह जो पैसा है, जो सांसदों का पैसा जाता है, केंद्र का पैसा जाता है, लोगों से जाता है, विभिन्न क्षेत्रों से जाता है, इसका संरक्षण हो सके और इसको व्यवस्थित किया जा सके।

इसलिए मैं एक मांग यह करना चाहता हूँ कि सतत विकास में जो प्रकृति की मार से लोग बेघर हुए हैं, वे देश और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में क्यों न हों, विशेषकर मैं हिमालय राज्यों के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ कि यह विशेष लक्ष्य रखा जाए, उसके तहत ताकि वे लोग अपने जीवन का यापन कर सकें। जो पर्यावरण का क्षेत्र है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण पूरे विश्व को अस्थिर करता है। पर्यावरण सिर्फ वन और इसी का पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण तो मानसिक पर्यावरण भी है, मानसिक प्रदूषण भी बढ़ रहा है। उस पर्यावरण को भी व्यवस्थित करने की जरूरत है, क्योंकि मानसिक पर्यावरण ठीक रहेगा तो सारे पर्यावरण ठीक हो सकते हैं और पहले इस सतत अभियान में उस मानसिक पर्यावरण को भी ठीक करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में मानसिक प्रदूषण जो बैठा हुआ है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने विभिन्न आयामों को छुआ है, उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जहां पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की अगुवाई में तमाम नए कदमों को उठाया गया है, वहीं जो वैश्विक साझेदारी भारत की हुई है, उसमें भी हम काफी आगे निकले हैं।

श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति और सभ्यता भारतीय विदेश नीति के आधार स्तम्भ हैं। इनके आधार पर हम पूरी दुनिया से समन्वय कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसी सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम इस तरीके से दुनिया के साथ काम करेंगे ताकि हम समृद्ध हों, हमारे लोगों के हाथों को काम भी मिले और यहाँ का पैसा बाहर न जाए। एक उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 2.5 लाख करोड़ के रक्षा क्षेत्र में जो यन्त्र हम आयात करते थे, आज हमारी सरकार ने एक ठोस पहल की है कि जो उपकरण बाहर से आते थे, अब उन देशों, उन कम्पनियों को यहाँ आमन्त्रित करके यहीं उनका उत्पादन होगा, सहभागिता के साथ उत्पादन होगा, यहाँ के हाथों को काम मिलेगा और यहाँ का पैसा यहीं स्थिर होगा। इसलिए भारतीय सभ्यता के मूलमंत्र, वैसे भी "वसुधैव कुटुम्बकम्" हमारी नीति रही है और "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः" की बात हमने हमेशा कही है। भारत सशक्त होगा, सबल होगा तो दुनिया को भी सुख और शांति मिलेगी। विदेश नीति के तहत सरकार ने सफलतापूर्वक 94 देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। 21 जून, 2015

को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस निष्ठा से, जिस शिखर पर, जिस प्रखरता से सारी दुनिया को एक सूत्र में पिरोकर उनकी सुख और समृद्धि और स्वास्थ्य की दिशा में योग को उसके शिखर पर पहुँचाया, उससे हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह विश्व के इतिहास में एक अलग सी छाप छोड़ी है। मैं समझता हूँ कि 177 देशों ने मोदी जी के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया है। निश्चित रूप में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिन्दी में संबोधित करना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद श्री नरेन्द्र मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी भाषा में अपना भाषण दिया। अभी हम बातचीत कर रहे थे कि अंतोगत्वा हिन्दी तो देश को एक सूत्र में पिरोती है। हिन्दी देश की जान है, शान है, मान है और अभिमान है, इसलिए हिन्दी को सारी दुनिया में कैसे पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि इस देश का आधार भी उस पर निर्भर करता है और पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया है। पिछले दस महीनों में देश के विदेशी निवेश में 162 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है, इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मॉरीशस से लगभग 50 हजार करोड़ का निवेश, सिंगापुर से लगभग 35 हजार करोड़ का निवेश, नीदरलैंड से लगभग 20 हजार करोड़ का निवेश, जापान से लगभग 12 हजार करोड़ का निवेश और इसी श्रृंखला में अमेरिका से 10 हजार करोड़ का निवेश किया गया है। इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर दुनिया के तमाम देश लगातार हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य है। एक समय था जब लोग हिंदुस्तान से बचना चाहते थे। आज ऐसा समय है कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर पूरी दुनिया के लोग गौरव महसूस कर रहे हैं।

महोदय, जहां तक वैश्विक साझेदारी का प्रश्न है, लक्ष्यों की सूची में अभी हम 8वें स्थान पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तेज गति से हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम बहुत तेजी से आगे आएंगे। अगर इसकी महत्ता देखी जाए तो यह समूचे लक्ष्यों को आच्छादित कर समान विश्व व्यवस्था की कल्पना करता है, जहाँ पर सभी लोग स्वतंत्रता से गरिमापूर्ण जीवनयापन करने के साथ-साथ विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भी स्वतंत्र होंगे। यह भी आवश्यक है कि तेजी से बदलते विश्व के परिदृश्य में विश्व के समूचे देश विकास की इस मुख्यधारा में शामिल हों। जैसा मैंने कहा कि विश्व में घोर असमानता है, मैं उसके आँकड़े नहीं देना चाहता हूँ,

लेकिन यदि विश्व के 189 देश, जिन्होंने इस परिकल्पना में, जिन्होंने एक सूत्र में बंधकर के सतत विकास का संकल्प लिया है, यदि उन देशों को भी देखा जाए तो उनमें भी काफी कुछ असमानता है। उनको भी समानता में लाने की जरूरत है। जहाँ विकसित देश अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक जीवन की सुरक्षा के साथ वैभवपूर्ण जीवन उपलब्ध कराते हैं, वहीं गरीबी, भुखमरी की मार झेल रहे कई देश अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थितियों का सफलतापूर्वक मुकाबला तभी किया जा सकता है, जब विश्व के सभी देश पारस्परिक सहयोग करें जो कमजोर है, उसे मदद मिले और यह तभी होगा जब एक देश दूसरे देश की मदद करेगा और एक-दूसरे की सहयोगात्मक भावना से ओत प्रोत होकर के कल्याण की भावना से उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, जैसे मैंने कहा, हम तो सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाले लोगो में रहे हैं। इस देश का इतिहास है कि इस देश ने सारे विश्व के लोगों के कल्याण के लिए अपने को अर्पित किया है और इसलिए हम चाहेंगे कि हिन्दुस्तान मजबूत हो क्योंकि दुनिया की सुख-शांति और समृद्धि के लिए हिन्दुस्तान के रास्ते से ही होकर मानवता जाती है। इसलिए यह जो साझेदारी है और मूल्यों को सही मायने में लागू करना है, इसके लिए सशक्त नीतियों का सृजन करना पड़ेगा। जब तक समयबद्ध नीतियाँ नहीं होंगी, तब तक सशक्त तरीके से हम सतत विकास के लक्ष्य पर नहीं पहुँच पायेंगे। सुशासन, परस्पर सहयोग, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करते हुए हमें विश्व के सबसे पिछड़े, गरीब और उपेक्षित वर्ग को ऊपर लाने की कवायद अभी शुरू करनी है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में हमने निश्चित रूप से आगे बढ़कर काम किया है और अभी आवश्यकता है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ 2000 से लेकर 2015 तक सहस्राब्दि विकास के लक्ष्य थे, अब 2015 से 2030 तक उसको सतत विकास की प्रक्रिया में लाने का विषय है। मैं समझता हूँ कि कुछ कदम हमें

और उठाने होंगे। गरीब, विकासशील देशों को हर हिस्से पर आर्थिक नीतियों, ढाँचागत विकास, सुशासन और मेहनत करने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने की ज़रूरत है।

दूसरा, समूचे विश्व में कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास पर एक समन्वित नीति बहुत ज़रूरी है ताकि सारी दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े हों जहाँ कमी हो, दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ आकर खड़ा हो सके। तीसरा, निजी क्षेत्रों को गरीब और उपेक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करना है और विशेषकर स्वास्थ्य, सूचना और संचार की नवीनतम प्रौद्योगिकी से गरीब लोगों को सुसज्जित करने के मिशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी वे सूचना प्रौद्योगिकी से बहुत दूर हैं। उनमें शक्ति तो है, मिशन भी है, दृष्टि भी है, वे चाहते भी हैं, लेकिन मार्ग नहीं है। उस मार्ग को उनको देना पड़ेगा। जो कर्ज़ में डूबे हुए देश हैं, उनको आर्थिक मदद करने के लिए उनके समूचे कायाकल्प की ज़िम्मेदारी पूरे विश्व समुदाय की है। छोटे, गरीब और संसाधन हीन देशों को प्रजातंत्र और सुशासन के रास्ते पर लाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु मदद दी जानी चाहिए।

श्रीमन्, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम सतत विकास के लक्ष्यों पर आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से भारत जिस गति से हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में चौतरफा विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में ऊँचाइयों तक गए हैं। इसी आधार पर मैं समझता हूँ कि सतत विकास के लक्ष्य में निश्चित रूप में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा -

"हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए।

मेरे दिल में न सही, तेरे दिल में ही सही,

हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।"

[अनुवाद]

**डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर) :** माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 193 के अधीन इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

सतत विकास लक्ष्यों का विचार मिलेनियम विकास लक्ष्यों से आया है। 'मिलेनियम विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र की उपज है ; और इस विचार से विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनःस्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए हैं। वे योजनाएँ क्या हैं? सरल शब्दों में, मैं कह सकता था कि लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बनाई गई थी और लक्ष्य अत्यधिक गरीबी, भूख, निवारण योग्य बीमारियों आदि को समाप्त करना है।

मिलेनियम विकास लक्ष्यों का विचार सबसे पहले अफ्रीकी महाद्वीप के अविकसित क्षेत्रों में लागू किया गया था; और संयुक्त राष्ट्रों द्वारा यह दावा किया जाता है कि यह मिलेनियम विकास लक्ष्य गरीबी को कम करने का साधन बन गया है। इसके बाद गरीबी में कमी ने उन्हें अफ्रीकी देशों में विविध प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गए हैं।

सतत विकास के लक्ष्य संख्या में अधिक हैं। मैं लक्ष्यों पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि 'लक्ष्य' व्यक्ति को निर्धारित तरीके से कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आपके सामने चित्रों को रखता है कि हां, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है और किसी भी कीमत पर गंतव्य तक पहुंचना है। हमारे सतत विकास लक्ष्य परियोजना के लक्ष्य हैं: गरीबी दूर करना; भुखमरी समाप्त करना; स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना; जच्चा-बच्चा की मृत्यु दर को कम करना; एच.आई.वी. / एड्स के विरुद्ध युद्ध; गुणवत्ता वाली अच्छी और समान शिक्षा; लिंग समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं तथा लड़कियों का सशक्तिकरण; जल और साफ सफाई उपलब्ध कराना, वहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना; आर्थिक विकास और उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देना; लचीली अवसंरचना का निर्माण करना; सतत औद्योगीकरण का संवर्धन; असमानता कम करना; सुरक्षित और मजबूत शहर तथा मानव बस्तियां बनाना; जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों पर

काबू पाने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करना; वनों का संरक्षण और बनाए रखना; सभी को न्याय प्रदान करना, आदि।

इन बिंदुओं से सतत विकास लक्ष्यों की परियोजना आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट विचार देती है जो भविष्य के लिए रोजगार पैदा कर सकती है। दूसरा, सामाजिक विकास का गंतव्य, यदि हासिल किया जाता है तो अपने लोगों के बीच संसाधनों का वितरण कर सकता है और उन्हें यह महसूस करा सकता है कि वे समान हैं। पर्यावरणीय विकास से लोगों को वायु, जल और भौतिक परिवेश की गुणवत्ता का एहसास होगा और इसे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संरक्षित किया जा सकता है।

मैं कह सकता हूँ कि यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। यद्यपि परियोजना इतने सारे लक्ष्यों के साथ और भी अधिक प्रगति का अवसर प्रदान करती है, महत्वाकांक्षा को तार्किक रूप से संतुलित किया जाना चाहिए। मैं यह क्यों कह रहा हूँ कि संतुलन होना चाहिए क्योंकि मैं लक्ष्यों के मापदंडों में विरोधाभास महसूस करता हूँ अगर हमें उन सभी को एक ही समय, एक साथ प्राप्त करने के लिए निदेशित किया जाता है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लक्ष्य गरीबी को समाप्त करने और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लक्ष्यों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि पर्यावरणीय सततता और औद्योगीकरण एक साथ नहीं चलते हैं क्योंकि वे अन्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें एक समय में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय चरण-दर-चरण से लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। यदि गरीबी और बेरोजगारी है, तो समानता प्राप्त नहीं की जा सकती और शिक्षा तक समान पहुँच प्राप्त नहीं हो सकती। इसके अलावा, मेरे विचार में, हम एक विविधता पूर्ण समाज हैं जिसमें विशाल जन संख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, संस्कृति, विश्वास प्रणाली, भौगोलिक स्थान, आदि हैं। इसलिए, हमें परियोजना को लागू करना होगा और एक विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट समुदाय आदि की आवश्यकता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना होगा। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि मिलेनियम विकास, वृद्धि लक्ष्यों के अधीन कई देश बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। लेकिन यह कितना सच है कि शिक्षण, पाठ्यक्रम और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता मानक के अनुरूप थी। यदि यह उस

स्तर पर समानता को पूरा नहीं करता है तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए समानता बहाल की जा सकती है? तो फिर सतत विकास, वृद्धि का अर्थ क्या है? हालांकि यह अच्छी तरह से लगता है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रकृति में थोड़ा अव्यावहारिक और अति उत्साही है।

पहले, मैं यह बताना चाहूंगा कि सतत विकास लक्ष्यों की परियोजना का पहला बिंदु गरीबी दूर करना है। गरीबी का कारण कई जलवायु कारक हैं क्योंकि जलवायु लगातार बढ़, अकाल, भूकंप और चक्रवात आदि के लिए जिम्मेदार, उत्तरदायी है, क्योंकि वे कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा, समय पर बारिश न होना, अत्यधिक बारिश और अपर्याप्त बारिश देश के कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित करती है।

इसी प्रकार, जन सांख्यिकीय तथ्य, भूमि और अन्य संपत्तियों का असमान वितरण, ग्रामोद्योग का कम होना, श्रमिकों की स्थिरता, रोजगार के अवसरों की कमी, शिक्षा की कमी, जाति प्रथा का प्रचलन, सामाजिक प्रथाएं आदि गरीबी के मुख्य कारण हैं। इसलिए, हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में गरीबी की समस्या प्रकृति में भिन्न भिन्न है। इसलिए, समस्या का समाधान उपचार निर्धारित करने के लिए कारण का अध्ययन और उसके अनुसार सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। एक ही मानदंड हर जगह उपयोग नहीं हो सकता है।

आगे, मैं कह सकता हूँ कि हमने अपने लक्ष्यों में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है वे अन्य से जुड़े हुए हैं। यदि सभी स्वरूपों में शिक्षा का विस्तार सभी तक पहुँचाया जाता है, तो बेरोजगारी नहीं हो सकती है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जागरूकता की कमी नहीं हो सकती है और असमानता नहीं हो सकती है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि एक समय में इतने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, हमें पांच या छह लक्ष्य लेने चाहिए, जैसे कि हर किसी के लिए समान रूप से शिक्षा का कार्यान्वयन, उद्योगों की स्थापना और रोजगार पैदा करने के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, समर्थ बनाना आदि। जो एक ही बार में सभी समावेशी समस्याओं का समाधान कर सकते थे।

धन्यवाद।

**श्री एस. आर. विजय कुमार (चेन्नई सेंट्रल):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रिय नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्वी थलाइवी अम्मा को यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ

"एक महान कहावत इस प्रकार है: "यदि आप किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने दिमाग में उस लक्ष्य तक पहुंचने की कल्पना करनी चाहिए।" दुनिया के सामने, हमारे राष्ट्र के सामने और हमारे देश के प्रत्येक राज्य के सामने सतत विकास के बारे में हमारे पास बहुत से लक्ष्य हैं।

सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सार्वभौमिक होना है सभी मनुष्यों के लिए ग्रह पर खुश हाली लाने के लिए एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और टिकाऊ स्थान की दिशा में प्रगति की साझा सामान्य वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना है।

हमारे महान तमिल कवि, कनियाँ पंगुन्नार ने *याधुम ऊरे यावरुम केलीर* कहा था जिसका अर्थ है 'हमारे लिए, सभी शहर एक हैं, सभी पुरुष हमारे परिजन हैं।' इसका अर्थ है समावेशी विकास अपरिहार्य है। अभिवादन कवि, संत तिरुवल्लुवर, ने 2000 साल पहले देश को एक के रूप में परिभाषित किया था जिसमें फसलों के बर्बाद होने के कारण अत्यधिक भुखमरी नहीं होंगी , जलवायु परिवर्तन के कारण लाइलाज बीमारियाँ नहीं होंगी और ऐसा कोई दुश्मन नहीं होगा जो बाहर से आक्रमण करके विनाश का कारण बने। कविता इस प्रकार है:

*उरूपासीयुम ओवा पिनियुम सेरुपकैयुम*

*सेरा थियल्लाधु नाडु*

हम बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी 125 करोड़ से अधिक जन संख्या वाला यह देश दिन-प्रतिदिन पहले से कहीं और अधिक मजबूत होता जा रहा है, भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की चुनौती दे रहा है।

कई तरह के लक्ष्य हैं। कुछ देश विशेष के हैं, कुछ क्षेत्र विशेष के हैं और कुछ आवश्यकता विशेष के हैं। हमें चुनौतियों को रेखांकित करना चाहिए और सभी के लिए सतत विकास हेतु उन चुनौतियों पर काबू पाने के उपाय करने चाहिये।

खाद्य सुरक्षा, वहनीय और उत्तम स्वास्थ्य देखभाल, सभी के लिए स्वच्छ और साफ-सफाई की सुविधाएं, साफ सुरक्षित वातावरण, सभी के लिए घर, असमानता की समाप्ति और महिलाओं के सशक्तिकरण का संवर्धन कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो मानव विकास के लिए एक समय सीमा में प्राप्त करने चाहिये।

आइए हम सभी निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करने के लिए अपने युवा पुरुषों और महिलाओं के बीच एक मानसिकता बनाएं। वे इस देश का भविष्य हैं। हमें अपने सभी बच्चों को उनकी खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार इस लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन फिर भी हमें अपने भावी भारतीयों को शून्य विद्यालय छोड़ने की दर के साथ शिक्षित करने के लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या यह हमारे लिए संभव है? आइए हम सकारात्मक रूप से योगदान करने की आशा करें और एक प्रबुद्ध और शिक्षित भारत का निर्माण करें क्योंकि ज्ञान शक्ति है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि दुनिया को अपनी प्रतिभाशाली बौद्धिक शक्ति के लिए भारतीयों की आवश्यकता है।

तमिलनाडु के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में एक दृष्टिकोण प्रपत्र है जिसे विजन-2023 कहा जाता है, जो विकास में बाधकों की पहचान करके उन को हटाने का प्रयत्न करता है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा गत परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करता है और एक बार पुनः विकास के मामले में तमिलनाडु को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। समावेशी विकास के साथ आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन प्राप्त करने का उद्देश्य एक सुसंगत दृष्टि के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

महत्वपूर्ण ढांचा गत परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा, तमिलनाडु बुनियादी ढांचा विकास " बोर्ड की स्थापना की गई। ये परियोजनाएं बिजली,

सड़क, बंदरगाह विकास, कृषि, सिंचाई, आवास, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, शहरी विकास, सार्वजनिक परिवहन, उद्योग और पर्यटन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हैं।

तमिलनाडु ने राज्य के लिए दस विषयों की पहचान निम्न अनुसार की है: (एक) तमिलनाडु विश्व स्तर पर उच्च-मध्यम आय वाले देशों के समान होने के लिए अगले 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में छह गुना वृद्धि हासिल करके वर्ष 2023 तक भारत के सबसे आर्थिक संपन्न राज्यों में से एक होगा; (दो) तमिलनाडु एक अत्यधिक समावेशी विकास पैटर्न प्रदर्शित करेगा, जो मोटे तौर पर उन सभी लोगों के लिए लाभकारी और उत्पादक रोजगार के अवसरों के साथ एक गरीबी-मुक्त राज्य होगा जो इसकी तलाश में हैं और राज्य में वंचित, कमजोर और बेसहारा लोगों की देखभाल करेंगे; (तीन) तमिलनाडु सामाजिक विकास में भारत का अग्रणी राज्य होगा और यहां सभी भारतीय राज्यों के बीच उच्चतम मानव विकास सूचकांक होगा; (चार) तमिलनाडु राज्य आवास, जल और स्वच्छता, ऊर्जा, परिवहन, सिंचाई, संपर्क, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच के मामले में भारत में सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा सेवाएं प्रदान करेगा; (पांच) तमिलनाडु एशिया में शीर्ष-तीन पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक होगा और दक्षता और प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिष्ठा के साथ भारत में सबसे पसंदीदा होगा; (छह) तमिलनाडु को विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तरीय संस्थानों और सर्वश्रेष्ठ मानव प्रतिभा के बल पर भारत के नवाचार-केंद्र और ज्ञान-पूंजी के रूप में जाना जाएगा; (सात) तमिलनाडु सभी नागरिकों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र आवाजाही और विचारों, लोगों और अन्य भारतीय राज्यों और शेष विश्व के साथ व्यापार को सक्षम बनाएगा; (आठ) तमिलनाडु अपनी पारिस्थितिकी और विरासत का संरक्षण और देखभाल करेगा; (नव) तमिलनाडु प्राकृतिक कारणों, आर्थिक मंदी और अन्य मानव-निर्मित कारणों से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारण राज्य और इसके लोगों को प्रभावित करने के कारणों का सक्रिय रूप से समाधान करेगा, और प्रतिकूल प्रभावों को कम करेगा; और (दस) तमिलनाडु उत्तरदायी और पारदर्शी शासन की संस्कृति को पोषित करेगा जो सभी हितधारकों की प्रगति, सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करता है।

तमिलनाडु माननीय अम्मा के कुशल नेतृत्व अग्रणी पहलों के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि वर्ष 2023 तक कोई भी इन विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में पीछे न रहे। वर्तमान की तुलना में प्रति व्यक्ति आय को छह गुना बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं, ताकि तमिलनाडु का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11 प्रतिशत तक पहुंच जाए। जैसा कि डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा टिप्पणी की गई है, राज्य की अर्थव्यवस्था को 11 प्रतिशत तक बढ़ाने की आकांक्षा एक 'प्राप्त करने योग्य लक्ष्य' है क्योंकि राज्य ने पहले ही वर्ष 2005-2006 में 13.95 प्रतिशत की प्रभावशाली विकास दर हासिल कर ली थी और विनिर्माण क्षेत्र ने 15.10 प्रतिशत की सर्वकालिक वृद्धि दर्ज की थी।

राज्य सभी हितधारकों को साथ लेकर समावेशी वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसे गरीबी मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे जाए। कोई भी निवासी जो रोजगार चाहता है, वह अपनी क्षमताओं के अनुरूप लाभदायक और उत्पादक रोजगार नियोजन प्राप्त करने में सक्षम होगा। राज्य सरकार तमिलनाडु में सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है और जन-समर्थक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लागू करती है। यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु के 90 प्रतिशत लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आते हैं, जो राज्य में प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं।

तमिलनाडु सरकार का विजन आर्थिक स्तर का विचार किए बिना, विश्व स्तरीय ढांचा प्राप्त करना है। राज्य में अगले आठ साल की अवधि में अवसंरचना सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को सक्षम करने के लिए कुल निवेश रु. 15 लाख करोड़ होने का अनुमान है। अवसंरचना के लिए वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के संगठनों, बैंकों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित गैर-सरकारी स्रोतों से जुटाया जाना है।

राज्य के दस वर्तमान शहरों का विश्वस्तरीय विकास किया जाएगा जो बाद में तमिलनाडु के केंद्र और आर्थिक विकास के इंजन बन जाएंगे।

तमिलनाडु अपने 100 प्रतिशत निवासियों को पाइप द्वारा और दबाव वाली 24 घंटे की जलापूर्ति प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी को खुले में शौच मुक्त और कचरा मुक्त वातावरण सहित सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच हो। माननीय अम्मा की दृष्टि अगले आठ वर्षों में 20,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली-उत्पादन क्षमता का निर्माण करना है। झोंपड़ी मुक्त गाँवों और झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहरों को बनाने के लिए पच्चीस लाख किफ़ायती मकानों का निर्माण करने की आवश्यकता है। राज्य का दृष्टिकोण सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना, व्यावसायिक शिक्षा सहित कॉलेजों, में नामांकन को 50 प्रतिशत से अधिक करना, है।

तमिलनाडु को छह से आठ लेन एक्सप्रेसवे, के 2,000 किलोमीटर, चार लेन राजमार्गों के 5000 किलोमीटर और सभी राजमार्गों को कम से कम डबल-लेन और पक्के फुटपाथ वाले बनाने है।

तमिलनाडु में बंदरगाहों की वृद्धिशील क्षमता 150 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक हो जाएगी।

पाँच लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरी क्षेत्रों को माल और यात्री यातायात दोनों के लिए उच्च गति रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। राज्य के सभी हवाई अड्डों पर प्रति वर्ष 80 मिलियन यात्रियों को संभालने की कुल क्षमता के साथ, जिसमें अकेले चेन्नई आधी क्षमता है, तमिलनाडु हवाई यात्रियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करेगा।

प्रत्येक गांव हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) नेटवर्क से जुड़ा होगा जो राज्य भर में जमीनी स्तर पर कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच के मामले में ब्रॉडबैंड को सक्षम करेगा।

तमिलनाडु तेजी से कनेक्टिविटी के लिए, मास ट्रांजिट सिस्टम सहित एकीकृत मल्टीमॉडल शहरी परिवहन की प्रणाली स्थापित करेगा। चेन्नई मेट्रो इसमें हाल ही में शामिल किया गया है।

तमिलनाडु एशिया में निवेश के लिए ऊपर के तीन गंतव्यों में से एक बनेगा, और भारत में निवेश के लिए सबसे अधिक आकर्षित राज्य भी बनेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने की चाबी अत्यधिक कुशल और उत्तरदायी शासन है। यह सुनिश्चित करना कि तमिलनाडु का प्रत्येक युवा अपने काम में पर्याप्त मात्रा में कुशल हो, एक और दृष्टिकोण है।

सभी मनुष्यों के लिए सुरक्षित पर्यावरण देना और अनुकूल शांति बनाना एक और मील का पत्थर है। इसके अलावा, ठोस कचरे के कुशल पुनः चक्रण के माध्यम से, तमिलनाडु वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करके और पूरे राज्य में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए पर्यावरण का संरक्षण और देखभाल करेगा।

तमिलनाडु प्राकृतिक कारणों, आर्थिक मंदी और अन्य मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न अनिश्चितताओं के लिए राज्य और इसके लोगों की संवेदनशीलता के कारणों को सक्रिय रूप से समाधान करेगा और उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करेगा। तमिलनाडु राज्य में विनियमन में प्रगति, सुरक्षा, और विनिमय की गुणवत्ता में अनुकरणीय होना चाहेगा। देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक के रूप में तमिलनाडु सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्र सरकार के प्रयासों को पूरक और समपूरक बनाना चाहता है। तमिलनाडु जैसे प्रगतिशील राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करना केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है।

फिर से तिरुक्कुरल से, यह कहता है,

*"नादेबा नाद वलथना नदल्ला*

*नाडा वालन्थरु नाडु। "*

इसका मतलब है कि "केवल वही देश कहा जाता है जहां किसी एक को सभी सुख-सुविधाओं की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब कुछ स्वाभाविक रूप से है। यह ऐसा देश नहीं है जहां प्रयास के साथ सुख-सुविधाओं अथवा धन की तलाश की जाती है।"

इस आशा के साथ कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनायेंगे और हमारा समावेशी विकास होगा मैं अपने भाषण का समापन करता हूँ। धन्यवाद।

**श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि यदि हम सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा किए बिना सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा शुरू करते हैं, तो यह चर्चा अधूरी और अपूर्ण होगी। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सतत विकास लक्ष्य, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के आधार पर ही बनाए गए हैं क्योंकि उनका लक्ष्य समावेशी वृद्धि करना है।

महोदय, एक ओर, मैं खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, लेकिन दूसरी ओर, मुझे इस बात का गहरा दुःख है कि वर्ष 2000 में विकास सहस्राब्दी लक्ष्य (एम.डी.जी.) फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने और लगभग 15 वर्षों, तक इसके लागू किए जाने के बाद भी हम मूलभूत सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं और पिछड़ रहे हैं। पश्चिम के बराबर होने के बारे में तो भूल जाओ, दुखद तथ्य तो यह है कि हम बी.आर.आई.सी.एस. के अन्य देशों अर्थात् ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के भी बराबर नहीं हो पाये हैं।

महोदय, अगले महीने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के नेता वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों के अधीन 17 लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों को अपनाने जा रहे हैं। लेकिन प्रस्तावित सतत विकास लक्ष्यों पर आने से पहले, आपकी अनुमति से, मैं कुछ मिलेनियम विकास लक्ष्यों, हमने जो प्रगति की है, उसे प्राप्त करने में हमारी विफलता के कारणों और उन विफलताओं को कैसे दूर किया जाए इस पर कुछ सुझावों पर बात करना चाहता हूँ।

सभा को ज्ञात है कि इस वर्ष के अंत तक हमें आठ उद्देश्य और 18 लक्ष्य प्राप्त करने हैं। यदि आप एम.डी.जी. भारत देश प्रतिवेदन, 2015, पर नजर डालें तो आप पायेंगे कि हम अभी तक चार अथवा पाँच लक्ष्य ही प्राप्त कर पाए हैं। हम सदन में है और हमारे पास शेष लक्ष्य चार महीनों में प्राप्त करने हैं यानि, हमारे पिछले रिकॉर्ड को देखे तो हमें इसे पाठ्यक्रम दिसम्बर 2015 तक प्राप्त करना होगा जोकि बहुत कठिन है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं न तो कोई राजनीतिक दोषारोपण का खेल खेल रहा हूँ और न ही मुझे कोई लाभ

प्राप्त कमाने में दिलचस्पी है। मैं बस इतना कहूंगा कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामूहिक रूप से विफल रहे हैं।

मेरा दूसरा मुद्दा लक्ष्य 3 और 4 तथा उद्देश्य 2 और 3 के बारे में है जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा करने के संबंध में है। जी हां, हमने इसे प्राप्त कर लिया है। हमारे पास प्राथमिक शिक्षा में 88 प्रतिशत का वार्षिक नामांकन अनुपात है। स्पष्ट उत्तर जीविता दर, अर्थात्, पांचवीं मानक तक जीवित रहने वाले बच्चे 93 प्रतिशत हैं और 15 और 24 वर्ष की आयु के बीच युवा साक्षरता 86 प्रतिशत है। लेकिन समस्या यह है कि हम बच्चों की उपस्थिति पर जोर देते हैं, उन्हें गुणवत्ता, शिक्षा प्रदान, करने पर नहीं।

मैं युवा साक्षरता के बारे में बात करूंगा। अविभाजित आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या सर्वाधिक है और प्रतिवर्ष वहां से लाखों छात्र पास होकर निकलते हैं। परन्तु, जब इन विद्यार्थियों के रोजगार के प्रतिशत दर देखेंगे, तो आप पायेंगे कि यह बहुत ही कम है। कुशल भारत प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि देश में 37 प्रतिशत स्नातक रोजगार के अयोग्य हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है और परिणाम ऐसा है कि स्नातक छात्र क्लर्क की नौकरी के लिए भी आवेदन कर रहे हैं। इसलिए, मैं केवल इतना कहूंगा कि मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना होगा। यह अच्छा है कि वर्तमान सरकार कौशल विकास पर बहुत जोर दे रही है और इस उद्देश्य के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है। मैंने कल ही श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया था। मुझे उम्मीद है कि इससे हमें देश में कुशल लोगों की संख्या को आज तीन प्रतिशत से कम करके 2019 तक कम से कम 30 प्रतिशत करने में मदद मिलेगी।

उद्देश्य सं. 3 महिलाओं को सशक्तीकरण के विषय में है। एन.एस.एस. 68<sup>वें</sup> दौर वर्ष (2011-12) के परिणामों ने गैर-कृषि क्षेत्र में मजदूरी रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी का प्रतिशत 19.3 प्रतिशत का अनुमान लगाया था, जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित आंकड़े क्रमशः 19.9 प्रतिशत और 18.7 प्रतिशत थे। एन.एस.एस. 66<sup>वें</sup> दौर के रूप में स्थिति में सुधार हुआ है जिसे वर्ष 2009-10 में लिया गया था, जिसमें

बताया गया था कि मजदूरी रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर 18.6 प्रतिशत है और ग्रामीण और शहरी भारत के लिए संबंधित अनुमान क्रमशः 19.6 प्रतिशत और 17.6 प्रतिशत हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि, प्रगति की इस दर पर, वेतन रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2015 तक लगभग 22.28 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच सकती है जो लक्षित पचास प्रतिशत से बहुत दूर है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, मेरा सुझाव है कि माननीय प्रधानमंत्री के विचार करने के लिये लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत तथा सभी स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जायेंगे। इससे महिलाओं को सशक्त बनाने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। दूसरी बात, यह चाहता हूं कि मैं निजी क्षेत्रों में महिलाओं को, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिये आरक्षण प्रदान किए जायें। तीसरा, इस लक्ष्य को प्राप्त करना के संकेतकों में से एक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लड़कों के लिए लड़कियों का समान अनुपात होना है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के माध्यम से बालिकाओं के लिए शिक्षा पर जोर देने की सरकार की पहल के साथ, मुझे यकीन है कि हम प्राथमिक, माध्यमिक और शिक्षा के सभी स्तरों में लैंगिक असमानता को बहुत जल्द समाप्त कर सकते हैं और यूनेस्को के मापदंडों के बराबर पहुंच सकते हैं।

लक्ष्य 7 के लक्ष्य 10 के संबद्ध में विचार करना, मैं कहूंगा कि जहां तक पेयजल उपलब्ध कराने की बात है उसमें हम बेहतर स्थिति में हैं। निश्चित रूप से, कुछ गाँव या मंडल हैं जो अभी भी सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में 757 ग्रामीण बस्तियां, फ्लोराइड से प्रभावित हैं, जिनमें मेरे गुंटूर जिले की 13 बस्तियां शामिल हैं। उन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। स्वच्छता के संबंध में विचार करने में मैं कहूंगा कि 'स्वच्छ भारत अभियान' निश्चित रूप से एक या उससे अधिक वर्ष में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

सतत विकास की ओर आते हुए सतत विकास को वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए हमारी भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने में समझौता किए बगैर विकास करना परिभाषित किया गया है। एम.डी.जी. की तुलना में एस.डी.जी. विकास के मुद्दे के व्यापक क्षेत्र यथा गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, वनों की सुरक्षा आदि. को शामिल किया गया है।

169 लक्ष्यों के साथ 17 लक्ष्य हैं। क्योंकि मेरे पास प्रत्येक लक्ष्य और लक्ष्य पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है, मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ही चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं लक्ष्य 1 और 2 पर आता हूँ जो अपने सभी प्रकार में गरीबी को समाप्त करने, भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण को प्राप्त करने से संबंधित है। भारत की गरीबी और भुखमरी के विविध, विभिन्न कारण हैं। वर्ष 2013 के अनुमान के अनुसार भारत में विश्व के लगभग एक तिहाई गरीब रहते हैं। भारत के 1.3 बिलियन लोगों में से सैंतीस प्रतिशत लोग अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे आते हैं जो प्रति दिन 1.25 यूएस डॉलर है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, महोदय, यह योजना आयोग द्वारा दिया गया आंकड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 98,000 व्यक्ति अतिसार से मर जाते हैं। ऐसा स्वच्छता, पौष्टिकता और साफ पेयजल के अभाव के कारण होता है।

उद्देश्य 2 में सतत कृषि की चर्चा की गई है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में 20 प्रतिशत फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। यह एक बहुत ही रूढ़िवादी अनुमान है और यह उससे भी बहुत अधिक हो सकता है। यदि आप इसकी पैसे के आंकड़ों में, गणना करें तो यह लगभग 13,500 करोड़ रुपये बैठता है। अगर आप इसमें अनाज को भी जोड़ दें, तो प्रतिवर्ष 44,000 करोड़ रुपये खाद्य पदार्थों की क्षति होती है। इससे खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है, और सभी उत्तरवर्ती सरकारें इस भारी क्षति को रोकने में विफल रही हैं। यदि हम इस बर्बादी की रोकथाम कर पायें तो हम अनेक गरीब लोगों जो हमारी जन संख्या का 37 प्रतिशत है, को पौष्टिक भोजन प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए, हमें देश में कोल्ड चेन सुविधाओं, फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित करना होगा।

मेरे अपने राज्य का उदाहरण देने के लिए, अविभाजित आंध्रप्रदेश में 9,500 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सबसे अधिक संख्या है। लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। इसलिए, इस क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि वे देश में खाद्य पदार्थों की क्षति को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

दूसरी बात, यह है कि गरीबी और भुखमरी को कम करने और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस सरकार ने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया है। और जे. ए.एम त्रिमूर्ति – जन धन योजना, आधार, मोबाइल त्रिमूर्ति – देश में अब तक के सबसे बड़े सुधारों में से एक है। इसका उद्देश्य लाभार्थी के खातों में सब्सिडी सीधे स्थानांतरित करना है ताकि सब्सिडी में परिवर्तन, भ्रष्टाचार और चोरी की जांच की जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम इस देश के नक्शे से गरीबी और भुखमरी को दूर कर पाएंगे।

भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया है और इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 तक राष्ट्रपिता की 150<sup>वीं</sup> जयंती पर, 62,000 करोड़ रुपये खर्च करके एक स्वच्छ भारत की दृष्टि को पूरा करना है। मेरा विश्वास है कि इससे हमारी बुनियादी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त होंगी, इस देश के गरीब लोगों को राहत मिलेगी और एस.डी.जी. के लक्ष्य 3 को प्राप्त करेंगे।

महोदय, अब मैं लक्ष्य 4 पर आता हूँ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। लक्ष्य 3 का उद्देश्य स्वस्थ जीवन और लक्ष्य 5 को सुनिश्चित करना है जो लैंगिक समानता और लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। एम.डी.जी. के अधीन हमने केवल लक्ष्य 2 के अधीन प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में बात की। लेकिन यहां हम समावेशी और साम्ययुक्त गुणवत्ता वाली शिक्षा और सभी के लिए जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के बारे में बात कर रहे हैं।

यहां मैं थोड़ा निराश हूँ क्योंकि भारत में परोपकार का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। यदि हम सारे संसार पर नजर डालें, तो पायेंगे कि बाहर के परोपकारी व्यक्ति अपने कुल वार्षिक आमदनी का दो से पाँच प्रतिशत कल्याणकारी कार्यों में खर्च करते हैं। परन्तु भारत में यह प्रति 0.7 से 1.7 प्रतिशत तक है। दूसरा, इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास स्कूलों की तुलना में एन.जी.ओ. की संख्या दोगुनी है, सरकारी अस्पतालों की संख्या की 250 गुना, प्रत्येक एन.जी.ओ. 709 लोगों के लिए एक पुलिसकर्मी के मुकाबले 400 लोगों को कवर करता

है, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने के लिये अभी संघर्ष ही कर रहे हैं।

सी.बी.आई. के अनुसार ये आंकड़े हैं जिन्होंने यह जानकारी एकत्र की है। मैं जिस बिंदु पर जोर डालने की कोशिश कर रहा हूँ वह यह है कि हमारे पास जनशक्ति तो अपार है लेकिन लोगों की दशा सुधारने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कमी है। मेरा विश्वास है कि कंपनी अधिनियम के अधीन सभी कंपनियों को अपने अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने के लिये अनिवार्य बताया गया है जब कारोबार 1000 करोड़ रुपये या कुल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो और शुद्ध लाभ सी.एस.आर. गतिविधियों पर खर्च करने के लिए रु. 5 करोड़ या उससे अधिक हो। इससे शिक्षा, महिलाओं को सशक्तीकरण करने, स्वास्थ्य, गरीबी दूर करने एवं अन्य समस्याओं के क्षेत्र में सी.एस.आर. गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुझे लगता है कि अगले महीने हमें सी.एस.आर. गतिविधियों के अधीन विभिन्न कंपनियों द्वारा खर्च की गई धनराशियों के पहले परिणाम मिलेंगे जो यह समझने में सक्षम होंगे कि प्रभाव क्या रहा है। लेकिन एक अनुमान से पता चलता है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कॉर्पोरेट परोपकार के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे।

महोदय, लक्ष्य 6 जल और स्वच्छता से संबंधित है जो मानव जाति के लिए बहुत आवश्यक है। यह लक्ष्य हमें समय दे रहा है और कहता है कि वर्ष 2013 तक हर देश को सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों और कमजोर परिस्थितियों में रहने वालों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देकर खुले में शौच को समाप्त करना होगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली, ग्राम स्वच्छता और हर परिवार तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सहित 2 अक्टूबर, 2019 तक प्रत्येक परिवार को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दिया है। इसलिए, इसे प्रतिबद्धता के

साथ अमल में लाना, हमें संयुक्त राष्ट्रों द्वारा यथा प्रस्तावित वर्ष 2030 तक भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे वर्ष 2019 तक ही प्राप्त कर सकते हैं।

यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी शौचालय बने हैं, वे चालू होने चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 के आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार, 20 प्रतिशत शौचालय निष्क्रिय हैं और झारखंड में यह प्रतिशत 66 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 59 प्रतिशत है। इसलिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

प्राक्कलन समिति की प्रतिवेदन के अनुसार, देश में सात करोड़ लोग भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड तत्वों की उपस्थिति से परेशान हैं। मेरा माननीय सरकार से निवेदन है कि पेयजल और स्वच्छता के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाये। मैं भारत सरकार को पेयजल प्रदान करने के लिए एम.पी.एल.ए.डी.एस. निधि खर्च करने की अनुमति देने, पानी से आर्सेनिक और फ्लोराइड सामग्री को हटाने के लिए परियोजनाओं और योजनाओं को शुरू करने पर विचार करने का भी सुझाव देता हूँ।

उद्देश्य सं. 8 में रोजगार नियोजन एवं अच्छा कार्य प्रदान करने की चर्चा की गई है। कौशल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। मौजूदा राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को नई नीति के साथ बदलने का सरकार का एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह किस निदेश में जाना चाहती है।

एक अनुमान के अनुसार, भारत को वर्ष 2020 तक 500 मिलियन कुशल लोगों की जरूरत पड़ेगी। चूंकि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, अतः हमें उन पर ध्यान देना होगा तभी हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें कौशल विकास और औद्योगिक विकास के बीच तालमेल बिठाना होगा। रोजगार पैदा करने का कोई मतलब नहीं है। फिर हमें ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को लाना होगा और उन्हें रोजगार प्रदान करना होगा। उन नौकरियों का सृजन करना बेहतर होगा जहां हमारे पास ऐसे लोग हों जिन्हें प्रशिक्षित और कुशल बनाया जा सके और उन्हें वे नौकरियां प्रदान की जा सकें।

ऐसे अन्य लक्ष्य भी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किए जाने की संभावना है यदि सभी देश उनसे सहमत हैं। लेकिन सभी लक्ष्यों को स्वीकार करने में कुछ समस्या है क्योंकि वे दोनों स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। यूनाइटेड किंगडम और जापान पहले ही सभी 17 लक्ष्यों को स्वीकार करने में अपनी आपत्ति व्यक्त कर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह सबसे अधिक 12 लक्ष्य चाहते हैं और यदि वे केवल 10 तक सीमित हैं तो उन्हें खुशी होगी। यह केवल सरकारें नहीं हैं, बल्कि कुछ गैर सरकारी एन.जी.ओ. ने भी अपनी आपत्तियां व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बहुत सारे लक्ष्य हैं।

वैसे भी, हमें यह देखना होगा कि अगले महीने न्यूयॉर्क में अंतिम परिणाम क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जिन लक्ष्यों के बारे में बात की है वे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें एस.टी.जी. का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वे मानवता, मानवीय गरिमा और मानव विकास के मूल हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह सही कहा गया है कि जब तक हम 'सबका साथ सबका विकास' के सिद्धांत के माध्यम से मिलेनियम विकास लक्ष्यों की प्राथमिकता को सुदृढ़ नहीं करते हैं और गरीबी, लैंगिक असमानता, स्वच्छता की कमी, बाल मृत्यु दर आदि पर काबू पाने के लिए मिलकर काम नहीं करते हैं, तब तक हम पिछड़ते रहेंगे। लेकिन श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन के साथ, मुझे विश्वास है कि हम अगले वर्ष तक सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र के सहयोग से सी.एस.आर. गतिविधियों के माध्यम से सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और वर्ष 2030 की समय सीमा से पहले के चरणों को भी प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी टिप्पणियों का समापन करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** उपाध्यक्ष महोदय, संधारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो चर्चा इस सदन में श्री निशंक जी लेकर लाये हैं, उस पर मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी बात अपने आराध्य परम पूज्य श्री बाबा श्री जी की वाणी से शुरू करूँगा। युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत है-“मूल सुधार और भूल सुधारा” यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब कभी हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो हम टुकड़ों में बात करते हैं। हम टुकड़ों में बात करने के आदी हो गये हैं। मेरा सबसे पहला सवाल सदन और सदन के माध्यम से दुनिया से है कि सतत विकास के लिए हम कौन सा मॉडल स्वीकार करेंगे? मैं तमिलनाडु के अपने मित्र की बात सुन रहा था। मैं उनकी बात से तो सहमत हो सकता हूँ, लेकिन जब कोई यू.एन. की बात करता है, तो मैं उससे सहमत होने के लिए तैयार नहीं हूँ। भारत में जितने प्रकार के क्षेत्र पाये जाते हैं, वहां पर अभी भी एक रूप विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, तो दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती।

मैं दूसरी बात यह कहूँगा कि दुनिया में ऐसे कितने राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति लगातार चलती रही, जिन्होंने अपने विकास के लक्ष्यों को पूरा किया? वे देश कौन से हैं, जिन्होंने लगातार अपने अस्तित्व को बरकरार रखा? शायद हमें उसी मॉडल को देखना होगा। दैशिक शास्त्र नाम की पुस्तक है, 200 वर्ष पहले मनीषियों ने चेताया था। सौभाग्य से यहां प्रकाश जी मौजूद हैं। वह धन के भी जानकार हैं और जो विषय उनके पास है, शायद उनका ध्यान इस पर जाएगा। दैशिक शास्त्र में कहा गया था कि हम धन किसे मानेंगे। हमारे लिए पशु धन है, भूमि धन है। उन्होंने अनाज को भी धन माना और जल को भी धन माना। उन्होंने कहा कि जन की सुरक्षा के लिए चारों चीजें जरूरी हैं। जिसे मुद्रा कहते हैं, जिसका चलन आज दुनिया में है, जिसकी स्वीकार्यता दुनिया के भीतर है, उन्होंने कहा यह द्रव्य है। इसका दुनिया के सामने बड़ा साफ दुष्परिणाम है, जब गिरावट आई तो बड़े ताकतवर बैंक रातों रात दिवालिया हो गए, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जमीन जैसी की तैसी है, जंगल जहां पर थे, वहीं मौजूद हैं। पशु धन कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है। इनको कहीं मांस के नाम पर काटे जा रहा है, यह विवाद का विषय हो सकता है। अगर हम समस्या की तरफ देखें तो पता चलता

है कि समस्या का मूल कारण क्या है। दुनिया मानती है कि समस्या का मूल कारण जनसंख्या है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या दुनिया में कोई कानून बना? क्या यूएन ने कुछ किया? भाषण दिए। हमारे सामने लक्ष्य रख दिया गया कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण करने का कारगर उपाय क्या होगा? क्या देश की संसद को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? अगर आप यूएन के रेसोल्यूशंस को मानते हैं तो क्या संसद के सामने सबसे पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, क्या सदन में विचार नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो उसके लिए सब के लिए एक सा कानून होगा। आज जनसंख्या सबसे बड़ी चुनौती है।

आप खाद्यान्न की बात कहते हैं लेकिन आप चीन की तरह साम्राज्यवादी नहीं हैं। आप अमेरिका की तरह साम्राज्यवादी नहीं हैं। चीन ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर साइबेरिया के मैदान तक जमीनें खरीदी हुई हैं। उसने अपनी बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के रास्ते तय कर रखे हैं। क्या हिंदुस्तान का कोई भी प्रधान इस नीति पर जाएगा? हम साम्राज्यवाद का विरोध करते रहे हैं। भारत की सीमा के भीतर हमें अपनी बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्न की चिंता करनी होगी। अगर हम दूसरों की नकल किसी भी तरह करेंगे तो मुसीबत का सामना करेंगे। हमें इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मैं दूसरी बात पीने के पानी के बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय अटल जी ने 1990 में राज्यसभा में भाषण दिया था तब माननीय चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने चेतावनी नहीं बल्कि संकेत दिया था कि शायद अगला विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। हमारे पास सबसे बड़े खुले स्रोत पानी के हैं, हम यह दावा 1979 में किया करते थे। अब हमारी नदियां पीने के पानी के लायक नहीं हैं। मेरे राज्य में नर्मदा और चंबल नदी को छोड़कर किसी भी नदी का पानी पीने के लायक नहीं है। भूमिगत जल स्रोत घट रहे हैं, भू जल घट रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जनसंख्या का सीधा संबंध पानी से है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पीने के पानी का संकट भी बढ़ेगा।

आप स्वच्छता और शौचालय की बात कहते हैं। आप कौन सी नीति अपनाना चाहते हैं। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, मैंने कमेटी में भी यही बात कही थी कि पठारी राज्य हों या पहाड़ी राज्य हों, अगर ग्रेविटी से पानी बंद हो गया तो मवेशियों के लिए पीने का पानी नहीं मिलेगा। जहां पीने के लिए पांच लीटर पानी नहीं है, क्या हम पांच लीटर शौचालय में पानी डालकर सफाई करेंगे?

### **सांय 06.00 बजे**

क्या यह चुनौती नहीं है? आज हम अपने जो भी लक्ष्य बनाएंगे, वे लक्ष्य कहीं धन के अभाव में अधूरे न रह जाएं। यह बात आज सदन को गंभीरता के साथ सोचनी पड़ेगी। इसका कारण सिर्फ जनसंख्या है। आप इतनी बड़ी जनसंख्या को स्वच्छता का साधन देना चाहते हैं, लेकिन बिना पानी के स्वच्छता नहीं हो सकती है, यह बात बिलकुल सच है। इस बारे में हमें सदन में बहुत ईमानदारी से विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिन विषयों पर सदन के भीतर सबसे अधिक चर्चा होनी चाहिए थी वह हैं - जल, जंगल, जमीन, जानवर आदि। हमने इन सभी को नज़र अंदाज किया और सिर्फ मुद्रा और पैसे की तरफ सारी नीतियां बनाते गए। शायद विपरीत दिशा में जाने के हमने जो क़दम उठाए हैं, उन गलतियों को ठीक करने के लिए यह वाजिब समय है। ऐसा न हो कि हम 200 साल की पुरानी चेतावनियों को नज़र अंदाज करने के बाद, मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा हूँ कि किसने ये गलतियां की हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हरित क्रांति आई थी और लोगों ने कहा कि इससे बड़ी क्रांति नहीं हो सकती है। पंजाब और हरियाणा का आज क्या हाल है, वहां की जमीनों के क्या हाल हैं। जहां हमने जमीनों को भी खत्म कर दिया है, उसके साथ किसान को तो मरना ही था। मैं चार साल से मजदूरों के बीच काम करता हूँ। हमारे मित्र डॉ. देवेन्द्र ने पहाड़ी राज्यों का सर्वे किया था। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में .01 पशु भी नहीं हैं। जब उसकी तह में गए ये पहाड़ी राज्य सिर्फ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या उत्तरांचल के ही नहीं हैं, पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों की भी यही हालत है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अंग्रेज इस देश में आए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पहाड़ी लोग बहुत मजबूत हैं। ये आनंद में क्यों हैं? इन्हें सेना में क्यों भर्ती नहीं

किया जाना चाहिए। जब उन्होंने आकलन किया तो उन्हें यह पता चला कि उनका जंगल पूरी तरह से समृद्ध है, उनके पास गौ वंश है, उन्हें दूध मिलता है, उन्हें संस्कार मिलते हैं।

**माननीय उपाध्यक्ष :** श्री. प्रह्लाद पटेल, आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

**सांय 06.01 बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 / 16 श्रावण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए  
स्थगित हुई।

---

## **इंटरनेट**

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

### **लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण**

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

---

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के  
अन्तर्गत प्रकाशित

---